Page No. 1

(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 12] अष्टम विधान सभा के बारहवें सत्र का तीसरा दिवस [संख्या 3

शनिवार,

30 दिसम्बर, 1989

विधान सभा की बैठक पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री गिरिराज प्रसाद तिवारी, अध्यक्ष, पदासीन)

कार्य सलाहकार समिति की रिपोर्ट पर विचार

श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, कल कार्य सलाहकार समिति की रिपोर्ट पेश हुई थी उसके बाद हमें कुछ पूछने का अवसर आपने नहीं दिया इसलिए मैं आज पूछना चाहता हूं कि जो प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं का बिल था वह इसी सत्र में आना चाहिए था वह कार्य सलाहकार समिति की रिपोर्ट में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : वह ले लिया है। आज आ रहा है।

श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंजमण्डी) : अध्यक्ष महोदय, कल जैसी सदन में कार्यवाही चल रही थी, हमने 295 के विशेष उल्लेख किये थे उसमें मेरा भी एक विशेष उल्लेख था कोटा नगर में साम्प्रदायिक दंगों के बारे में....

श्री अध्यक्ष : वह पढ़े हुए मैंने कह दिये थे।

श्री हरिकुमार औदिच्य : मेरी अर्ज सुन लें। पढ़ने के अलावा कुछ बातें ऐसी थी जो सदन के सामने मैं लाना चाहता था। बीच में ऐसा बताया गया था कि साम्प्रदायिक दंगों पर चर्चा भी होगी तो मैंने तसल्ली कर ली कि चर्चा होगी जब उल्लेख करूंगा। लेकिन वह नहीं किया गया तो मेरे ख्याल से कम से कम सदन में साम्प्रदायिक दंगों पर तो चर्चा की जानी चाहिए और यह अपने प्रदेश के लिए बहुत बड़ा मसला है। यह किसी दल विशेष या सम्प्रदाय विशेष का मसला नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आज इस पर स्टेटमेंट होगा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : एक विशेष मसले की तरफ मैं सदन का और शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उदयपुर यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार हर्षनारायण शर्मा को हटाया गया और उसकी जगह एक प्रशासक को वहां पर नियुक्त किया गया है, इसको लेकर वाइस चांसलर ने स्तीफा दिया है और इस बात से आपत्ति प्रकट की है कि यूनिवर्सिटी को सरकार विभाग की तरह से प्रयोग में ला रहे हैं। मैं समझता हूं इस पर शिक्षा मंत्री जी प्रकाश डालें

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

और हाऊस को बताएं कि यह बात कहा तक सही है कि उदयपुर नगर के प्रशासक को रजिस्ट्रार बनाया गया है और जो रजिस्ट्रार बने हुए हैं उनको अभी तक रिलीव नहीं किया है और जो रजिस्ट्रार लगाये गये हैं उनको ड्यूटी पर लिया गया है और उन्होंने चांसलर के पास वाइस चांसलर ने अपना स्तीफा भेज दिया है इसमें कहां तक सत्य है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। आज प्रश्न काल नहीं होगा। मैं अभी निवेदन करूंगा, आपका ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मेरे पास है।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैं :—

(1) श्री हंसराज मिढ़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विजयनगर तहसील में पंचायत समिति भवन व 250 जनसंख्या वाले गाँवों में प्राथमिक पाठशाला खोलने के सम्बन्ध में।

(2) श्री मांगीलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से तहसील केशवरायपाटन में बीहड़ सुधार कार्यक्रम में शिथिलता से जनआक्रोश बढ़ने के सम्बन्ध में।

(3) श्री डूंगरराम पंवार, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्टॉफ की कमी के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती विद्या पाठक, सदस्य, विधान सभा की ओर से पृथ्वीराज नगर और उससे सम्बन्धित ग्रीन बेल्ट में सरकारी आदेशों से गाँवों को निकालने और दूसरे अन्य गाँवों को जोड़ने की मनमानी कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण से प्राप्त ऋण के अन्तर्गत जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा आमंत्रित निविदाओं में मूल्य परिवर्तन की धारा शामिल करने से राज्य सरकार को 60–70 लाख रुपये की हानि पहुंचाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं अतः इन पर अनुमति देने में, मैं असमर्थ हूँ।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) श्री मुक्तिलाल मोदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से ग्राम गोवर्धनपुरा तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर में 23/11 के.वी. सब स्टेशन से विद्युत व्यवस्था सुचारू नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री गणेश लाल बैरागी, सदस्य, विधान सभा की ओर से हिण्डौन तहसील की सलावलियां मण्डी डाटुण्डा सिंचाई परियोजनाओं को जानबूझकर प्रारम्भ नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री फूलचन्द गुर्जर, सदस्य, विधान सभा की ओर से नीमकाथाना विधान सभा क्षेत्र में विद्युत सप्लाई पूरी एवं नियमित नहीं मिलने से जनता में व्याप्त असंतोष के संबंध में।

Page No. 3

(3)

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्री ग्यारसीलाल परिडवाल, सदस्य विधान सभा की ओर से निवाई नगर में रेफरल अस्पताल खोलने के संबंध में ।

(5) श्री हरीश शर्मा, सदस्य, विधान-सभा की ओर से कोटा जिले में जनहित के कार्य आधे-अधूरे छोड़ दिये जाने से जनता में व्याप्त भारी असंतोष के संबंध में ।

(6) श्री बिरदमल सिंघवी, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर शहर में पानी वितरण की अव्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

(7) श्री मांगीलाल मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा में छात्राओं के लिए स्नातकोत्तर महाविद्यालय नहीं खोले जाने के संबंध में ।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दिये गये प्रस्ताव को पढ़ने की अनुमति होगी ।

श्री हंसराज मिढ़ा, श्री मांगीलाल मेघवाल (अनुपस्थित) ।

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो मसला है वह बहुत महत्वपूर्ण भी है और जन सामान्य से जुड़ा हुआ भी है ।

श्री अध्यक्ष : पुष्पा जी, मैं अभी आपका नाम पुकार लूंगा । इनको दो-दो मिनट बोलने दें, फिर आपको पुकार लूंगा ।

श्री मानिकचन्द सुराना (लूणकरणसर) : पाइण्ट ऑफ आर्डर सर, नियम 295 के जो भी प्रस्ताव हैं जिनको आप पढ़ने की अनुमति दे रहे हैं उनसे पहले यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मैटर रेज करने की मुझे इजाजत दी जानी चाहिए क्योंकि नियमों में भी यह प्रावधान है ।

श्री अध्यक्ष : हां, अनुमति है ।

विशेषाधिकार हनन प्रश्न

सत्र आहूत होने के पश्चात् महत्वपूर्ण सरकारी घोषणाएं सदन के बाहर

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव मैंने आपको प्रस्तुत किया है और जो अनुमति चाही है वह इस संबंध में है कि इस विधान सभा का सत्र 12 दिसम्बर को राज्यपाल द्वारा आहूत किया गया है····

श्री अध्यक्ष : मैं पढ़ कर सुना दूं, आप अगर बुरा न मानें·······

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं उसी के सपोर्ट में ही कह रहा हूं कि 12 दिसम्बर को यह आहूत किये जाने के बाद यह तय था कि विधान सभा 28 दिसम्बर को मिलेगी । 28 दिसम्बर के मध्य में राज्य के मुख्यमंत्री ने 18 दिसम्बर को महत्वपूर्ण घोषणाएं अखबारों में की, फिर 20 दिसम्बर को की । डेढ़ दर्जन घोषणाएं पहली किश्त में की और उसके बाद में घोषणा 20 दिसम्बर को की । कुछ घोषणाओं में तो उन्होंने पुरानी घोषणाओं को नया रूप दे दिया । यह कह दिया कि कृषि जमीन पर मकान बनाने की छूट होगी, उद्योग लगाने की काश्तकारों को छूट होगी । मैं जहां तक समझता हूँ अध्यक्ष महोदय, यह छूट पहले भी थी क्योंकि जो छूट इन्होंने दी उसमें कहा कि कन्वर्सन चार्जेज पहले देना पड़ेगा । वह देने के बाद पहले भी काश्तकारों को छूट थी कि वह मकान बनालें चाहे उद्योग के काम में लेलें, वहां चाहे ईंट का भट्टा बनालें लेकिन फिर भी इसको एक घोषणा बना दिया गया । खैर, मैं घोषणा की मेरिट में नहीं जाना चाहता····

श्री रामसिंह विश्नोई : पहले मट्टे का नहीं था। उसको क्लियर किया है।

श्री मानिकचन्द सुराना : सब था, मैं आपको नियम बता दूंगा और सारे डिटेल्स उसके जो नियम बने हुए हैं। यह नियम तो बहुत पहले बन गये, यह 1979—80 में बनाये, 1981 में रिपोर्ट हुए, यह तो 1971 में ही बन गये और 1974 में गाँवों की जमीनों के रूपान्तरण के बन गये और यह घोषणा तो जनता सरकार ही कर गई थी कि काश्तकार उस पर उद्योग लगा सकेंगे। खैर, आप हमारी घोषणाओं को नया रूप दे रहे हैं और अपनी लिस्ट में उसको जोड़ भी रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि

श्री भैरू लाल भारद्वाज (जमवारामगढ़) : जिसको आप धन्यवाद भी नहीं देते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराना : इसका हम क्या धन्यवाद देंगे। जो घोषणा हम कर चुके हैं, 10 साल पहले सन् 1979 में कर चुके हैं उसको आप सन् 1989 में पुरानी यानी नयी बोतल में डाल कर बता रहे हैं कि यह नयी चीज है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है अध्यक्ष महोदय, कि नीतिगत····

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : आप मूल बात में आ जावें कि आप क्या कहना चाहते हों।

श्री मानिकचन्द सुराना : मैं उसी पर आ रहा हूँ शक्तावत साहब नीतिगत मुद्दों पर जब भी घोषणा हुई और सदन यदि नहीं चल रहा है लेकिन सदन आहूत हो गया है, जब सदन आहूत हो चुका है और कोई परिस्थितियां हैं कि आपको घोषणा करनी पड़ रही है तो अर्लिएस्ट एपोर्च्युनिटी पर आपका यह फर्ज था कि आप अपने आप of your own accord. आप उन घोषणाओं की यहां पर पुनरावृत्ति करते और जो नीतिगत घोषणाएं आपने की हैं उस नीतिगत घोषणा का आधार हमको बतलाते। आपने जितनी घोषणाएं की हैं, 15 हजार के कर्जे माफ कर दिये और अखबारों में आ गया माफ, माफ और उसके नीचे लिखते हैं कि स्थगित, स्थगित, हमने स्थगित कर दिये और कमेटी बना दी और कमेटी बना कर····

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : माफ करना ही स्थगित है।

श्री मानिकचन्द सुराना : हां, वह माफ करना स्थगित कर दिया। खैर, माफ कर दिये, अखबारों में माफी और सरकारी कागजों में स्थगित, यह राजस्थान की जनता के साथ जो आप धोखा कर रहे हैं, देवपुरा साहब आपकी सरकार जो धोखा कर रही है और आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि इसका आर्थिक वजन क्या पड़ेगा इसकी मैंने गणना नहीं करायी है।

श्री छोगाराम बाकोलिया : माननीय सुराना साहब, मुलायमसिंहजी ने क्या घोषणा की थी ?

श्री मानिकचन्द सुराना : कहां मुलायम सिंह जी को मिला रहे हैं हरिदेवजी जोशी से।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय बाकोलियाजी आप अधिकृत है क्या उत्तर देने के लिए। क्या आपको अधिकृत किया गया है उत्तर देने के लिए।

श्री छोगाराम बाकोलिया : मैं तो इन्टरप्ट कर रहा हूँ आपको।

श्री अध्यक्ष : उज्जलाजी आप भी बीच में टोकने की अधिकृत नहीं है।

श्री मानिक द सुराना : हमने 10 हजार रुपये कर्ज माफ करने के मेण्डेट पर जनादेश भी कराया है। मैं वरिष्ठ मंत्रियों से खास तौर से देवपुराजी से पूछना चाहता हूँ, अभी चूंकि नेता आपके सदन में ...(व्यवधान)...

यह 15 हजार क्यों किये आपने? यदि बिना गणना के करना था ...

श्री हीरालाल देवपुरा : (विधिमंत्री) अध्यक्ष महोदय, आपने इजाजत दी है प्रिविलेज मोशन पर बोलने की। आपने कोई घोषणाएं जो की हैं उसके मैरिट और डी–मैरिट पर बोलने की इजाजत नहीं दी है। ...(व्यवधान)...

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं उसको रेफर कर रहा हूँ।

श्री हीरालाल देवपुरा : रेफर नहीं कर रहे हैं आप तो उस पर बहस कर रहे हैं, आप तो उसके मुद्दे पर बहस कर रहे हैं। रेफर कहां कर रहे हैं। आप अमेण्डमेण्ट में जायज है या नाजायज है, यह बात तो बिल्कुल दूसरी है। आप यह कह रहे हैं कि विधान सभा के आहूत करने के बाद जो घोषणाएं की गई हैं इसलिए आपको प्रिविलेज मोशन पर बोलने की ...(व्यवधान)...

उस पर कुछ कहना हो तो कह दीजिये।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं उसी पर ही कह रहा हूँ पर आपको इतनी परेशानी क्या है।

श्री हीरालाल देवपुरा : मुझे तो परेशानी नहीं है। आपने मुझे सम्बोधित करके पूछा है इसलिए मैंने जबाब दिया। मैं तो चुप बैठा था। मुझे कोई आपत्ति नहीं है आपके बोलने से, पर आपने मुझे सम्बोधित करके जब पूछा तो मेरा फर्ज हो गया कि मैं आपको कुछ कहूँ।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं तो आपका मान बढ़ा रहा था, आप वरिष्ठतम मंत्री है।

श्री हीरालाल देवपुरा : बहुत धन्यवाद आपको लेकिन अपनी सीमा में बोलें तो ज्यादा अच्छा है।

श्री मानिक चन्द सुराना, सीमा ही है। मैं नहीं समझता कि मैंने कोई सीमा तोड़ी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सुराना साहब, अलग से स्टेटमेण्ट जब मुख्यमंत्रीजी का हो उस समय बहस का सवाल है। इस समय तो आपने यह रखा है।

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्षजी, मैं सिर्फ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि 10 हजार से 15 हजार के कर्जे पर कितना 100 करोड़ का वजन पड़ेगा और इसकी बिना जानकारी के सरकार यह

Page No. 6

(श्री मानिक चन्द सुराना)
कहे कि हमने माफ कर दिया तो 15 हजार ही क्यों किये ? आप 50 हजार के कर्जे माफ कर देते ।

श्रीमती कमला : यह तो शाम को चर्चा कर लें ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : आप मेरिट पर डिस्कस कर रहे हैं । आप तो प्रिविलेज मोशन पर आये । क्या कहना चाहते हैं ।

श्री मानिक चन्द सुराना : जो भी इस सरकार ने अध्यक्ष महोदय,....

श्री अध्यक्ष : वह जानते है सब बात को फिर भी कह रहे हैं । वह ऐसे भोले नहीं है कि इन बातों को नहीं जानते हों । जानते हुए भी कह रहे हैं । वह जानते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वह रेलेवेण्ट नहीं है ।

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, मैं जो कह रहा हूं वह बहुत रेलेवेन्ट है । 20 जुलाई को इनकी सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवचरण माथुर की घोषणाएं मेरे हाथ में है । जब मुख्य मंत्री जी बोलेंगे तब आप मुझे इस बात का अधिकार दें कि मैं यह पूछूं कि उन घोषणाओं में से कितनी क्रियान्वित कर दी । जो सरकार 20 जुलाई, 1989 को कम्पाउण्ड इण्टरेस्ट माफ करने को तैयार नहीं थी, ब्याज छोड़ने को तैयार नहीं थी और जो कह रही थी कि 114 करोड़ रुपये का कर्जा है, 94 करोड़ का ब्याज है और हमको 8 किश्तों में स्थगित करते हैं, ब्याज पर ब्याज नहीं लगेगा, ब्याज को हमने ड्रोप कर दिया और एक भी किश्त, 94 करोड़ पर आज भी ब्याज पर ब्याज लग रहा है । आपने कोई प्रशासनिक आदेश आज तक जारी नहीं किये शिवचरणजी माथुर की 20 जुलाई की घोषणाओं पर ।

श्री हरिदेव जोशी (मुख्यमंत्री) : मैं आज शाम को बोल ही रहा हूं, आप अगर प्रिविलेज मोशन पर........व्यवधान

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, यह जो विशेषाधिकार हनन, यह 28 दिसम्बर को इस सदन को अपने own accord पर जो इन्होंने कान्फिडेंस में नहीं लिया और इन घोषणाओं को यहां पर इस सदन में जाहिर किया और उसके वित्तीय आधारों को जाहिर नहीं किया क्योंकि अखबारों में जो कुछ जोशीजी ने कहा, उन्होंने कहा कि तीन महीने की व्यवस्था करली है, बजट में अभी प्रावधान नहीं है, आने वाले बजट में प्रावधान होगा । मतलब यह है कि बजट में तो प्रावधान नहीं है सिर्फ व्यवस्था करनी है । तीन महीने की हमने तो स्थगित की घोषणा कर दी है । बस यही व्यवस्था है कि स्थगित, वसूली नहीं करेंगे । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा गम्भीर मसला है । नीतिगत घोषणाएं यदि इस सदन को आहूत करने के बाद में उसके पीठ के पीछे की जाती है तो फर्स्ट एपोर्च्युनिटी इस सदन में उन घोषणाओं को पुनः इस सदन को कान्फिडेंस में लेकर बताया जाना चाहिये, उसके आधार बताये जाने चाहिये, उसके मानदण्ड बताये जाने चाहिये, उसके क्रियान्वयन के लिए सरकार ने क्या किया है, किस तरह से खर्चे का प्रावधान करेगी क्योंकि जोशी साहब खुद और शिवचरणजी यह कह चुके हैं कि

(श्री मानिकचन्द सुराना)

बैंकों का रीएम्बर्समेण्ट जब तक नहीं होगा तब तक बैंक कर्जा माफ नहीं करेगी । यह बात उनकी जानकारी में है और बैंकों को कितना रुपया चुकाने का इन्होंने इन्तजाम किया है 31 मार्च से पहले, जब तक इसकी टर्म चल रही है पाँच साल की जो 14 मार्च को खत्म होगी उस टर्म में कितना करोड़ रुपया बैंकों को देने का मन बना लिया है, उसके ठोस कदम उठा लिये हैं। यह बतायें और जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन जो मुख्यमंत्री जी का है कि परसों नहीं बोले, कल नहीं बोले और निरन्तर इस सदन में 4–5 घण्टे, इसी पर बहस होती रही कि मुख्यमंत्रीजी इस पर वक्तव्य दें । यह जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का नवश्चन में आपके सामने उठा रहा हूँ, मेरा आपसे निवेदन है कि इसे को ब्रीच ऑफ प्रिविलेज को कमेटी को रेफर किया जाय और वहां पर मैं यह साबित करूंगा कि सेशन तब से शुरू हो गया जब से यह आहूत किया गया है और सेशन के बीच में इन्होंने जो घोषणाएं हमारे पीठ पीछे की है वह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का है इसलिए इसको रेफर किया जाय ।

व्यवस्था

विशेषाधिकार हनन प्रश्न पर सत्र आहूत होने के पश्चात् महत्वपूर्ण सरकारी घोषणाएं सदन के बाहर

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री मानिक चन्दजी सुराना ने कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 157 व 158 के अन्तर्गत विशेषाधिकार हनन का निम्न प्रस्ताव उठाने की अनुमति चाही है ।

राजस्थान विधान सभा का वर्तमान सत्र राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 12 दिसम्बर, 1989 को आहूत किया गया था । विधान सभा का सत्र राज्यपाल महोदय द्वारा राज्य सरकार के निवेदन के आधार पर ही आहूत किया जाता है। लोकतन्त्र की यह स्वस्थ परम्परा है कि विधान सभा सत्र आहूत होने के बाद मुख्य मन्त्री द्वारा नीतिगत महत्वपूर्ण घोषणाएं विधान सभा में ही की जानी चाहिये । उक्त परम्परा का उल्लंघन विधान सभा के विशेषाधिकार की अवहेलना है । मुख्यमंत्री श्री हरिदेव जोशी द्वारा विधान सभा आहूत होने के बाद जो भी घोषणाएं 15 हजार रुपये के कर्ज माफी वगैरह की सरकार की तरफ से तारीख 18.12.1989 को व उसके बाद में की गई हैं वे समस्त घोषणाएं विधान सभा के विशेषाधिकारों का उल्लंघन है । यह प्रश्न आपने उठाया है, इस संबंध में मैंने कौल और शकधर और जो दूसरी कानून की किताबें हैं, उनको देखा । कौल एण्ड शकधर के पेज 235, यह थर्ड एडिशन है, इसमें बहुत स्पष्ट लिखा है :

"No privilege of Parliament is involved if statements on matters of public interest are not first made in the House and are made outside. Such actions are against conventions and propriety, but do not constitute any basis on which breaches of privilege can be founded."

श्री अध्यक्ष

यह काफी स्पष्ट है। इसलिये इसको ध्यान में रखते हुए यह प्रस्तावना ग्राह्य नहीं है। मैं इसको अस्वीकार करता हूँ। धन्यवाद।

व्यवस्था का प्रश्न
नेता, प्रतिपक्ष का निर्णय

श्री सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ आर्डर, पिछले लम्बे समय से सदन इस बात के लिये जानकारी चाहता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में आपने क्या फैसला दिया और आपने अभी तक लीडर ऑफ अपोजिशन के मामले में सदन को कोई जानकारी नहीं दी है। मैं एक सदन के सदस्य के रूप में आपसे जानकारी चाहता हूँ कि लीडर ऑफ अपोजिशन का इश्यू, जो आपके पास पेंडिंग है, उस सम्बन्ध में आपने क्या निर्णय लिया और लीडर ऑफ अपोजिशन इस सदन के अन्दर कौन हैं, इस के सम्बन्ध में आप हमको सूचना दें जिससे हमें यह जानकारी मिल सके कि कानून के अन्तर्गत सदस्यों की संख्या के आधार पर इस राजस्थान की विधान सभा में लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन की सेलेरी और प्रिविलेज, उसके साथ में दूसरे पावर्स हैं, उन सब का पेमेंट हमारे कन्सोलिडेटेड फण्ड से होता है। मेरी राइट है इस बात की जानकारी पाने का कि आपने इस विधान सभा में किस सदस्य को लीडर आफ अपोजिशन का प्रिविलेज दिया है, तनख्वाह दे रहे हैं और क्या सुविधा दे रहे हैं, जब तक आप सदन को इस बारे में जानकारी नहीं देंगे, मैं समझता हूं यह गलत परम्परा सदन के अन्दर पड़ जायेगी कि हम जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिये आप कृपया सदन के सामने हमको इस बात से अवगत करायें कि लीडर आफ अपोजिशन कौन है और संख्या के आधार पर और दूसरी जो प्री-रीक्वीजिट्स लीडर आफ अपोजिशन की हैं, जो मे' ज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेज में लिखी हुई हैं उस आधार पर हमें जानकारी दें जिससे कम से कम जिसको यह प्रिविलेज मिलना चाहिये, उस प्रिविलेज का वह फायदा उठा कर हमें जानकारी दे रहा है या नहीं दे रहा है, इस सम्बन्ध में हमारा थोड़ा अपना मार्गदर्शन करें माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री लक्ष्मण सिंह (राज्य मंत्री, गृह) : अध्यक्ष महोदय, इस विषय में, मैं भी निवेदन कर दूं उसके पश्चात् आप अपनी बात कहें। पाइंट ऑफ आर्डर के साथ-साथ मैं कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 195 और रूल्स ऑफ प्रोसीजर के रूल नम्बर 4, इन दोनों के विषय में भी निवेदन करना चाहूंगा। नाथद्वारा से आने वाले माननीय विधायक ने जो बात अभी बात बतायी, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं यह निवेदन चाहूंगा कि कांस्टीट्यूशन के अन्दर आर्टिकल 195 में इस विषय में एक बात कही गया है, "Salary and allowances of Members". जो कि स्टेट की असेम्बली के जो मेंबर्स और विपक्ष के नेता और मंत्रिगण के सेलेरी के सम्बन्ध में है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय लक्ष्मण सिंह जी, आप इसको शार्ट कर दें, माननीय भैरोंसिंह जी बोलना चाह रहे थे वे अपनी बात को उठाते अभी....

श्री लक्ष्मण सिंह : बिल्कुल, मैं बहुत ही शार्ट करूंगा सर। लेकिन अपनी बात तो कह दूं मैं ? मैं अभी तो फार्मूलेट कर रहा हूँ। एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट इश्यू है....

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : अपना नेता तो + + + और हमारे बारे में...हमारे नेता भैरोंसिंह जी शेखावत हैं और रहेंगे।

(व्यवधान)

श्री पंकज पंचोली (मुख्य सचेतक) : आपके नेता नहीं हैं, बी. जे. पी. के नेता हैं।

श्री मानक चन्द डाणी (ब्यावर) : जब माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे थे, तो बीच में क्यों इन्टरवीन करते हैं। उसमें इंटरफेयर क्यों करते हैं ?

श्री अध्यक्ष : बोलने दीजिये। कोई दिक्कत नहीं है।

श्री सम्पत सिंह (नगर) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूँ।....

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, थोड़ा-सा तो पेशेंस रखें। मैं पाइंट ऑफ आर्डर दे रहा हूं उसके बीच में अगर इस तरह से माननीय सदस्य डिस्टर्ब करते हैं, कुछ पेशेंस होना चाहिये।

श्री सम्पत सिंह : साम्प्रदायिक दंगों से राजस्थान में कितनी हालत बिगड़ चुकी है, आरक्षण की नीति पर मैंने दो प्रस्ताव दे रखे हैं, आपने कोई तवज्जोह नहीं दी और बड़ी आसानी से पाइंट ऑफ आर्डर उठा रहे हैं। यह इबादत सुनने के लिये नहीं आये हम। हमने बड़ी आसानी से उनका पाइंट ऑफ आर्डर सुना और हमारा समय बर्बाद हो रहा है।....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी सलटाता हूं, मैं कहता हूं आप बैठिये....

श्री लक्ष्मण सिंह : कुछ सहनशीलता तो होनी चाहिये। मैंने तो सोचा था कि जनता दल के माननीय सदस्य जो संख्या में भी ज्यादा हैं और जनता दल के माननीय सदस्यों में से कई ऐसे सीनियर मेम्बर भी हैं, जो विपक्ष के नेता का पक्ष लेने में सक्षम हैं....

श्री जगतसिंह दायमा (बानसूर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये किसे विपक्ष का नेता बनायेंगे....

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन कर दूं। अभी तक जो मैं बोला एक मिनट....

श्री सम्पत सिंह : मैं कल से आपका स्टेटमेंट चाह रहा था। आपने मुझे तो एक पल भी नहीं सुना।

श्री अध्यक्ष : मैं कहता हूं सब आप ही का टाइम है, मेरा तो बहुत कम रहता है। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि....

(व्यवधान)

हाँ, हाँ, कर लीजिये बात।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलेपित की गई।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, पहले मैंने अपनी बात ही नहीं की। मेरी बात सुनने से पहले अपनी बात कह रहे हैं। पहले निर्णय कैसे दे रहे हैं, पहले मेरी बात सुनिये। बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। अध्यक्ष महोदय, कौल एण्ड शकधर की किताब के अन्दर लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होना चाहिये और उसके महत्व के ऊपर काफी गम्भीरता से चिन्तन और मनन किया गया है....

श्री जगत सिंह दायमा : लीडर ऑफ अपोजिशन भैरोंसिंह जी शेखावत हैं, वही हैं अब तक। उसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको ? हमारे अन्दर कोई भेदभाव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। थोड़ा सा बैठिये, सहूलियत रहेगी। लक्ष्मण सिंह जी !

श्री लक्ष्मण सिंह : लीडर ऑफ अपोजिशन एक तरह से शैडो कैबिनेट को लीड करता है....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, कौल और शकधर के पेज 115 पर कहा गया है,

"One of the biggest parliamentary achievements of the present contuary is that the role of the opposition has been formally recognised and is given due place in the parliamentary system. He has, therefore, to measure carefully his words and actions on a matter of national interest and act with as mach responsibility as is expected of the Prime Minister."

यह मैं इसलिये कोट कर रहा हूं कि लीडर ऑफ अपोजिशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन है। लीडर ऑफ अपोजिशन की थिंकिंग, उसकी आइडियोलॉजी, उसकी वर्किंग and how he leads his party

इस विषय पर 117 के ऊपर कहा गया है :

"The Page Committee recommended that the leader of the largest recognised opposition party, whether a regular party or a party composed of different parties or groups should be recognised as the leader of the opposition."

श्री जगत सिंह दायमा : अब तो आपको तय करना है कि लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है, आप तय कीजिये इसको।

श्री लक्ष्मण सिंह : इसमें बहुत क्लीयरली कहा गया है

"Whether it is a regular party or a party composed of different parties or groups." और इसमे कहा गया है "The Committee further suggests that the leader of the opposition should be paid a salary,

(श्री लक्ष्मण सिंह)

and provided with office as well as residential accommodation and some secretariat staff."

कहने का तात्पर्य यह है अध्यक्ष महोदय, हमारे जो वर्तमान में लीडर ग्रॉफ ग्रपोजिशन हैं । माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत साहब, वे इस वक्त लीडर ग्रॉफ ग्रपोजिशन की हैसियत से प्रिविलेज एनज्वाय करते हैं, सेलेरी एनज्वाय करते हैं, उनको कुछ फैसिलिटीज दी गयी हैं ग्रौर जिसको कि स्टेच्यूटरी एक्सेप्टेंस भी दे दी गयी है ग्रौर लीडर ग्रॉफ ग्रपोजिशन का इश्यू इस विधान सभा में पिछले कई महीनों से पेंडिंग है । कुछ समय पूर्व तक तो ग्रसमंजस की स्थिति थी । मैं इस चीज को स्वीकार करता हूँ कि जब ग्राप भी इस निर्णय को नहीं ले सके कि 38 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं ग्रौर 38 सदस्य ही जनता दल के हैं, लेकिन ग्राज की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है । मेरे विचार में तो हम ग्रपने कर्त्तव्य का निर्वहन पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं । कर्त्तव्य का निर्वहन तो सबसे पहले विपक्ष के नेता महोदय की जिम्मेदारी थी, जब उनकी पार्टी के पांच सदस्य लोक सभा में चुन लिये गये ग्रौर वे 38 से 33 हो गये, तो वे इस कर्त्तव्य का निर्वहन करते हुए इस पद से त्यागपत्र देते ग्रौर ग्रापके पास ग्राते ग्रौर इस बात को प्रस्तुत करते कि लोक तन्त्र की परम्परा का निर्वहन करते हुए लीडर ग्रॉफ ग्रपोजिशन नहीं है । लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उनके जैसे सीनियर, सीजंड ग्रौर जिन का कि हम सम्मान करते हैं, जिनके लिये हम मानते हैं कि लोकतांत्रिक परम्पराग्रों का निर्वहन करने में बहुत सक्षम हैं, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन्होंने सिर्फ कुछ छोटी-सी सुविधाग्रों के लिये, कुर्सी से चिपके रहने के लिये इस पद को नहीं छोड़ा । लेकिन इसके साथ ही साथ में हमारे जनता दल के जो माननीय सदस्य हैं....

श्री जगत सिंह दायमा : जब 42–42 मंत्री बना दिया, तो भार नहीं पड़ा राजस्थान पर ग्रौर इससे भार पड़ रहा है....

श्री लक्ष्मण सिंह : उनसे भी मैं ग्रपेक्षा करता था कि जनता दल के ग्रन्दर इतने सीजंड सीनियर मेंबर हैं, प्रो. केदार जी जैसे सीनियर सदस्य हैं, मानिकचन्द जी सुराना जैसे हैं....

(व्यवधान)

पेशेंस तो रहता नहीं है, बीच बीच में बोल रहे हैं । जनता दल के माननीय सदस्य ने भी ग्रपने कर्त्तव्य का निर्वहन नहीं किया । यह उनका ग्रधिकार था कि वह इस ग्रधिकार को मान लें । उन्होंने ग्रपने ग्रधिकार के लिये लड़ाई नहीं की, जो ग्रपने ग्रधिकारों के लिये लड़ता नहीं है, वह कायरता की निशानी है । जनता दल में प्रो. केदार जैसे सीनियर मेंबर हैं, जनता दल में मानिकचन्द जी सुराना जैसे माननीय सदस्य हैं । जो कि लीडर ग्रॉफ ग्रपोजिशन बनने में सक्षम हैं, जो कि पूरी तरह से इनको लीड कर सकते हैं । संख्यात्मक दृष्टिकोण से ग्रौर गुणात्मक दृष्टिकोण से इस समय जनता दल के ग्रन्दर ऐसे सदस्य हैं, इसलिये जनता दल के सदस्यों ने भी, नेताग्रों ने भी ग्रपने कर्त्तव्यों का निर्वहन ग्रत्यन्त खेद की बात है नहीं किया । यह ग्रौर ग्रध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री लक्ष्मण सिंह)

निवेदन करना चाहूंगा, आपके प्रति पूरी आस्था है, आपके प्रति पूरा विश्वास है, कि अध्यक्ष महोदय ने भी अपने कर्त्तव्य का निर्वहन नहीं किया। नम्रतापूर्वक क्षमा चाहते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि ऐसे बिंदु को, जो कि बहुत ही महत्त्वपूर्ण बिंदु है, आज हम विपक्ष के नेता महोदय को या

आप विपक्ष के नेता महोदय को पूछें यहां क्यों बैठे हैं ? एक परम्परा बनी हुई है कि चेयर के लेफ्ट में फर्स्ट सीट पर विपक्ष के नेता महोदय बैठते हैं तो इस प्रकार हमारी सिटिंग अरेंजमेंट की तरफ आपको ध्यान देना चाहिये था। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी लेफ्ट में बैठती है, जो कि अपोजिशन में होती है। लेकिन अपोजीशन की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीच में बैठाकर आपने सिर्फ हमारे राजस्थान की ही नहीं, बल्कि विश्व की जो डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन्स हैं उनकी जो परम्परा पड़ी हुई है, उन परम्पराओं का निर्वहन नहीं किया गया इसलिए आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि इसका इसी वक्त तत्काल निर्णय किया जाय और जो कांस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट है कि जो इनको सेलेरी और फेसेलिटिज दी गई है उनको विथड्रा किया जाय और जनता दल के नेताओं से कहा जाय कि वह अपना लीडर ऑफ अपोजीशन को अपने बांयी तरफ पहली सीट पर बैठायें।

एक माननीय सदस्य : इससे लगता है कि आप इधर आना चाहते हैं, महेन्द्र शास्त्री इनके उप नेता है यहां....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य और भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, मैं समझता हूं कि वह प्रश्न उचित है। आपको स्मरण होगा कि विधानसभा की कार्यवाही आरम्भ होने के तीन घण्टे पहले मैंने आपके चैम्बर में जाकर निवेदन किया था कि हमारे दल की संख्या कम हो गई है इसलिए आप लीडर ऑफ अपोजीशन के पद से........

श्री. सी. पी. जोशी : आज की है, तीन दिन पहले, आज की है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज नहीं, तीन दिन पहले....

(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : जरूरी है क्या कि आपकी बात को सुनें हम, आप आज की बात कर रहे हैं। काहे की बात करना चाहते हैं। नैतिकता की बात करते, नैतिकता थी तो आप पहले बात करते....

(व्यवधान)

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : आप सुनिये तो सही।

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहें....

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : He Should raise the issue पहल आपको करनी चाहिए थी....

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्त रहे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, यह मैंने आज कहा था विधान

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

सभा का सत्र आरम्भ होने के पहले कहा, इसमें मैं कह रहा हूं वह सही है या नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं वह सही है, इसका निर्णय तो अध्यक्ष महोदय कर देंगे। किन्तु यह हो नहीं सकता कि मैंने आज कहा हो। आज तो, मैं समझता हूं कि विधानसभा में आने के बाद में अध्यक्ष महोदय से मिला भी नहीं हूं। आज आपने जो प्रश्न उठाया है, इस बात से मुझे खुशी है कि कांग्रेस को मेरे से बड़ी आपत्ति हो रही है। स्वाभाविक है, होनी भी चाहिए....(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : आपसे आपत्ति नहीं है....

श्री सी. पी. जोशी : राजस्थान की जनता से नैतिकता की बात कर रहे हैं....

श्री हरिकुमार औदिच्य : + + + बार-बार नहीं चलेगी।

अध्यक्ष महोदय, यह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ...

श्री सी. पी. जोशी : बी. जे. पी. की पार्टी मेम्बर नहीं है, बी. जे. पी. के मेम्बर नहीं है....

श्री लक्ष्मण सिंह : यह सदन का प्रश्न है।

श्री सी. पी. जोशी : नैतिकता की बात करना चाहते हैं आप ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठिये।

श्री माणकचन्द सुराणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तो इनको बड़ी पीड़ा हो रही है, कल जब सदन के नेता बोल रहे थे तो इस समय इनको क्या हुआ? इस समय इनको चुप नहीं किया जा सकता था ? समझने वाली बात है। आज केन्द्र में जब इनकी सरकार बन चुकी है, आज भी इनका रवैया सिविलियन नहीं बना, इसलिए अध्यक्ष महोदय, आप इनको इस बात के लिए निर्देश प्रदान करें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह तो आप निर्णय करेंगे कि मैंने आपसे विधान सभा का सत्र आरम्भ होने से पहले कहा था विधानसभा का सत्र आरम्भ होने के पश्चात् कहा था। मैंने पहले ही निवेदन किया था कि अभी आपके पास दो घण्टे हैं, आज जो भी निर्णय करना चाहे, मुझे स्वीकार है। हमारे पांच सदस्य लोक सभा के सदस्य चुने गये हैं और इस कारण से हमारी संख्या कम हो गई। उससे कम से कम आपको यह तो अहसास होगा कि तीन दिन के बाद जो चीज आपके दिमाग में आई, वह मेरे पहले तीन दिन पहले ही आ गई। इसलिए इसकी आप चिन्ता नहीं करें, लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि कांग्रेस के सदस्यों ने यह आपत्ति उठाई। कांग्रेस के सदस्य यह चाहते हैं कि लीडर

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ऑफ अपोजीशन के प्रश्न को लेकर विपक्ष में किसी प्रकार का मन-मुटाव पैदा हो जाय और विधानसभा के चुनावों में हम इसका लाभ उठा ले........

श्री रामसिंह विश्नोई : क्या बुरा है ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यही तो चाहते हैं ।

श्री डूंगरराम पंवार : यह तो आप मन में ही ले जाओगे ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए कह दूं कि पद के कारण विपक्ष में किसी प्रकार की फूट पैदा होने वाली नहीं है और आपका निपटारा इस प्रकार से करेंगे जैसे लोक सभा के चुनाव में आपका निपटारा किया है । इसमें आपको चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है । लक्ष्मण सिंह जी जैसे एक योग्य सदस्य यदि यह बात कहें कि मैं कोई पर्क्स के कारण, तनख्वाह के कारण या कोई लाभ मिल रहा है उसके कारण से यहां बैठा हूं विधान सभा के सदस्य का कोई समिति बैठकर इस बात का फैसला कर लें कि विधान सभा के सदस्य से मुझे कम वेतन मिलता है । कम सुविधाएं मिलती हैं । मेरे पास केवल एक सुविधा है और वह सुविधा इस बात की है कि मेरे पास एक मोटर दी हुई है, उस पर भी यह रेस्ट्रीक्शन है कि जयपुर शहर के बाहर नहीं जा सकती । इस एक महीने के अन्दर, मैं समझता हूँ कि बीस पच्चीस दिन जयपुर के बाहर रहता हूँ । अब उस गाड़ी का कितना उपयोग होगा, आप कर सकते हैं....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय मैं यह भी कहना चाहूँगा कि आपको विपक्ष के नेता की तो चिन्ता हुई लेकिन इस सदन में कभी इस बात की चिन्ता नहीं हुई कि हिन्दुस्तान भर में विपक्ष के नेता को जो सुविधाएं दी जाती हैं उसमें सबसे कम सुविधाएं राजस्थान विधान सभा में विपक्ष के नेता को दी जाती है । मैंने आज तक इस सम्बन्ध में इस प्रश्न को नहीं उठाया । अध्यक्ष महोदय आप जानते हैं कि जयपुर से बाहर रहे तो भत्ता मिलता है

श्री सोहन सिंह (मसूदा) : आपने 77 में क्यों नहीं किया ? सबसे कम है, यह आपकी जानकारी में था तो जब 77 में आप मुख्यमंत्री थे, आपने क्यों नहीं किया यह ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह समझ रहा हूँ कि इसका आगे आपको भुगतान करना पड़ेगा तो गलत परिपाटी न डालें । मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि मुझे कोई बात अनुचित सी लगी और लक्ष्मण सिंह जी कहे कि पर्क्स के कारण, मैं आपको बता दूं कि ईश्वर की कृपा से जनता में स्थान है और ऐसे पर्क्स के कारण से मेरी नीति में, मेरे कार्यक्रम में किसी प्रकार का अन्तर आने वाला नहीं है । आप खुद ही अगर देखेंगे तो आपको खुद भी यह चिन्ता होगी कि विपक्ष का पद देकर हमने इस आदमी को सजा दी है या इनाम दिया है । यदि आप पर्क्स के आधार पर टोटल वेल्यूएशन करें तो आपको स्वयं ही अन्दाजा लग जायेगा कि हमने विपक्ष के नेता के रूप में किस प्रकार....

श्री छोगाराम बाकोलिया : आप इसको पर्सनली क्यों ले रहे हैं ? लीडर ऑफ अपोजीशन के बारे में बात की है, नाम थोड़े ही लिया है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चाहें किसी को बनायें, मुझे आपत्ति नहीं है । मैंने अपनी तरफ से आपको निवेदन कर दिया, खुशी इस बात की हुई कि कांग्रेस के सदस्यों ने इस प्रश्न को उठाया । कांग्रेस को जरूर मैं इन्कन्वीनिएन्ट मालूम हो रहा हूँ । एक-एक मिनट इस कुर्सी पर बैठा रहता हूँ लेकिन इसको यह बता दूं कि मैं वहां भी बैठ जाऊंगा तो आपके लिए इन्कन्वीनिएंट हूँ....

श्री सी. पी. जोशी : नैतिकता की बात दो दिन से कर रहे हैं, इसलिए उठाया है । इस कुर्सी पर आप जिन्दगी भर ही बैठे रहें, हमको कोई तकलीफ नहीं है । नैतिकता की बात कर रहे हैं इसलिए उठाया है, बाकी नहीं उठाते ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह प्रश्न शायद आपने इसलिए उठाया है कि विपक्ष के नेता के पर्क्स के बारे में कुछ हो जाय और मुख्यमंत्रीजी घोषणायें कर रहे हैं और आज खूब घोषणा कर जाय । इस आधार पर करें कि अगली बार हममें से कोई यहां बैठेगा तो सारी सुविधाओं का इन्तजाम पहले से ही कर दें....

श्री हीरालाल देवपुरा : यह भ्रम तो आप दूर कर लीजिए कि अगली बार वहां बैठेंगे । हम तो जहां हैं, वहीं बैठे बैठेंगे—

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस दृष्टि से देवपुरा साहब, कोई घोषणा कर रहे हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी । आखिर राज आपका है....

श्री हीरालाल देवपुरा : यह भ्रम तो निकाल देना चाहिए, मन में नहीं रहना चाहिए आपको, न किसी और को रहना चाहिए, इसका फैसला तो जनता ही करे....

श्री बिरदमल सिंघवी : सदन में ही नहीं आयेंगे....

श्री माणक डाणी : विपक्ष के नेता ने तो तीस साल का रिकार्ड कायम रख लिया । तब यह बात कही है कि हम इधर बैठेंगे या उधर बैठेंगे । तीस साल में एक बार मौका मिला है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप नये-नये बने हैं, आप किधर बैठेंगे ? मैं समझता हूँ आपको तो जगह वहां भी नहीं है और वहां भी नहीं है । इन चुनावों में पता लग जायेगा, इसलिए यदि आप कुछ बोलें तो मुझे आपत्ति नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय, आज मैं थोड़ा लेट जरूर हो गया । कुछ काम ऐसे ही हो गये थे । मैंने आज समाचार पत्र में पढ़ा कि मुख्यमंत्रीजी ने कल एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, उस समय मैंने हरिशंकरजी को यहां टेलीफोन किया कि आप इस प्रश्न को उठा देना, मैं पांच-सात मिनट में आ रहा हूँ । मुख्यमंत्रीजी ने एक वक्तव्य दिया है, उस पर मुझे बड़ी आपत्ति है । जब एक संवाददाता ने उनको बताया कि भारतीय

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

जनता पार्टी के पांच विधायकों के सांसद चुने जाने से विपक्ष में अब उनका ऐसा बहुमत नहीं रहा कि विपक्षी दल के नेता का पद उनके पास रहे, तो क्या आप इस मुद्दे को नहीं उठाकर भा. ज. पा. पर अहसान कर रहे हैं ? मुख्यमंत्रीजी कहते हैं, जोशीजी ने जवाब दिया—उन पर हमारे और भी बहुत अहसान है। यह एक प्रकार की शालीनता है कि इस सवाल को नहीं उठा रहे हैं। मुख्यमंत्रीजी, शालीनता का परिचय तो इन सदस्यों ने दे दिया। आपने पत्रकारों को अपनी शालीनता बताई, लेकिन आप ही बड़े-बड़े प्रमुख सदस्य आपकी शालीनता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मैं बाकी यह जानना चाहता हूं कि आपके मेरे ऊपर कौन-कौन से अहसान हैं ? मैं ऐसा समझता हूँ कि यदि आप बता दें तो बहुत अच्छा होगा . . .

श्री हरिदेव जोशी : मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं। प्रेस को कहीं कोई गलतफहमी रही होगी, मैंने कोई अहसान की बात नहीं कही मैंने यह कहा था, चार पांच लोग बैठे थे। अखबार वालों ने कहा था कि आपका यह अहसान है तो मैंने कहा अहसान का क्या सवाल है यह तो शालीनता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने इसी स्पष्टीकरण के लिए इनको सुबह फोन किया था।

श्री हरिदेव जोशी : न तो इस रूप में उठाया था और न इस रूप में जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि अहसान करना चाहते हैं क्या ? मैंने कहा अहसान का प्रश्न नहीं है यह तो शालीनता का प्रश्न है।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : आप ही इनको बचाते रहते हैं, और लो।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने यह भी कहा था, मुझ से किसी ने पूछा कि पहले भी उठा था तो मैंने कहा कि मैं उस समय नहीं था, मुझे कहा गया कि अध्यक्ष जी के पास पेण्डिग है तो ठीक है उनको फैसला करना है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। इन दोनों माननीय सदस्यों की इच्छा पूर्ति हो जाय, आप जिसको भी चाहें विपक्ष का नेता घोषित कर दें, मुझे बहुत खुशी होगी।

श्री मानिकचन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, अभी जो व्यवस्था का प्रश्न के माध्यम से यह मुद्दा उठाया गया है, मूल मुद्दा तो यह है कि नये चुनाओं के बाद कांग्रेस आई का विपक्ष का नेता कौन होगा जोशी जी होंगे या मदेरणा जी होंगे। आपको यह तय करना है, जिसको आप अपनी पार्टी की मीटिंग बुलाकर तय कर लो।

(व्यवधान)

श्री जगतसिंह दायमा : हाऊस में आयेंगे तब तो विपक्ष के नेता बनेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराना : इस सम्बन्ध में मेरा आपसे निवेदन है कि जब मुद्दा उठाया गया था, आपने उस मुद्दे पर निर्णय पिछली विधान सभा जब खत्म हुई, उसके बाद चेम्बर में यह कहा था कि उस मुद्दे का निपटारा तो बिना निपटारा किये ही हो गया। मैं समझता हूँ कि आपको याद होगा कि यह शब्द आपने कहे थे, आपने

(श्री मानिकचन्द सुराना)

अपने खुद के चेम्बर में कहे थे । इस सदन के प्रतिष्ठित और कई मन्त्रीगण भी थे, विपक्ष के सदस्य भी थे, आपने यह ऑब्जरवेशन दिया था । यदि वह परिस्थिति जो 30 जुलाई को थी उसमें यदि कोई परिवर्तन आया भी है तो जनता विधायक दल ने अभी आपके सामने नई परिस्थितियों का कोई आंकलन करके उनको कोई सुविधा देने की मांग नहीं की है और यदि हमारी तरफ से कोई आवेदन ही नहीं है तो, हम ने कोई प्रश्न उठाया ही नहीं है तो यह प्रश्न क्यों ? हमें गर्व है कि विपक्ष के नेता भैरोंसिंह शेखावत हैं, इस बात का गर्व सिर्फ भाजपा को ही नहीं है जनता दल को भी है । फोग गण्ड में जबकि हम एक तरफ मांग कर रहे हैं भारत सरकार से कि इस सरकार को बर्खास्त किया जाय....

श्री रामसिंह विश्नोई : अधिकारों की रक्षा करने का हमारा फर्ज है ।

श्री मानिकचन्द सुराना : वह अध्यक्षजी को है । हमने आवेदन किया ही नहीं, हम ने कुछ मांगा ही नहीं आप जबर्दस्ती देना चाहते हैं । यह आपकी कृपा क्यों ?

श्री हीरालाल देवपुरा : आपने आवेदन नहीं किया ?

श्री मानिकचन्द सुराना : हमने जो आवेदन किया उसका डिस्पोजल हो गया है ।

श्री हीरालाल देवपुरा : आप लोगों ने ही मांग की थी नेता बदलने की ।

श्री मानिकचन्द सुराना : माननीय देवपुराजी, जो आवेदन किया उसका डिस्पोजल तो अध्यक्ष महोदय ने कर दिया है कर चुके हैं ।

श्री हीरालाल देवपुरा : नहीं कर चुके हैं ।

श्री मानिकचन्द सुराना : कर चुके हैं । जब हम ने आवेदन किया तब तो उसकी हिम्मत भैरोंसिंह शेखावत को हटाने की हुई नहीं और जब हमने आवेदन किया ही नहीं....

श्री हीरालाल देवपुरा : हम तो आपको भी नहीं हटा रहे हैं । आप चुन लो नेता उनको ।

श्री मानिकचन्द सुराना : जब हम क्लेम ही नहीं कर रहे हैं, जब हमने कोई मुद्दा उठाया ही नहीं है । जब कोई विषय सामने है ही नहीं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई विवाद नहीं है । विवाद है कहां ?

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) : विवाद तो उस समय था जब एक वोट का फर्क था और आपस में लड़ रहे थे, मैं इस गुत्थी को सुलझा सकता था . . .

श्री हरिदेव जोशी : सुराना जी, विवाद कहां है यह तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं परन्तु इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं ।

श्री मानिकचन्द सुराना : इसलिए तो मैंने निवेदन किया कि जनता दल के विधायक दल ने कोई क्लेम ही नहीं किया, नई

(श्री मानिकचन्द सुराना)

परिस्थितियों का कोई आंकलन नहीं किया। हम हमारे विधायक दल की मीटिंग करेंगे तब विचार करेंगे अभी तो कोई मुद्दा ही नहीं है। जिस पर हम कोई निर्णय मांगे।

श्री अब्दुल अजीज : मुद्दा उठाया था, मुद्दा तो उस समय था। जब एक मत का फर्क था। तब आपके कालवी साहब और नाथूरामजी मिर्धा मेरे पास आये थे कि हमारी पार्टी का आदमी नेता बनेगा। यह तो शालीनता है कांग्रेस की कि उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। डिसाइडिंग वोट मेरे पास था, मैं सदस्य था मैं उसका अधिकार यूज कर सकता था, यह शालीनता की बात है कांग्रेस की कि उन्होंने उस प्रश्न को आज तक चुपचाप रखा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अब्दुल अजीज को अब तो मंत्री बना दो।

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : इसीलिए लोकदल छोड़कर चले गये।

(व्यवधान)

श्री मानिकचन्द सुराना : कांग्रेस की शालीनता के लिए कांग्रेस को धन्यवाद, मकराना से आने वाले माननीय सदस्य की शालीनता के लिए उनको धन्यवाद। पर यह कोई मुद्दा नहीं है।

श्री अब्दुल अजीज : मेरे पास आये थे कि कालवी साहब को बनाना है मैंने कहा मेरे मत का उपयोग कांग्रेस (आई) कहती है तो करूंगा नहीं तो नहीं करूंगा।

श्री मानिकचन्द सुराना : ना तो कोई मुद्दा पहले था और न अब है जो मुद्दा पेण्डिग था उसका निपटारा आप इनफोरमली कर चुके हैं।

श्री जगतसिंह दायमा : आप हमारे लिए भी अशुभ थे। हमारे साथ थे तब कोई बात नहीं थी और आप उधर चले गये तो पटड़ा साफ हो गया

श्री अब्दुल अजीज : राजस्थान विधान सभा में पता चल जायेगा, आप क्या हैं और दिल्ली की सरकार कब तक चलेगी, 15 अगस्त का झण्डा भी आप नहीं फहरायेंगे।

श्री जगतसिंह दायमा : आप जैसे + + + नहीं हैं। इनके पास जायेंगे नाथूरामजी ?

श्री अब्दुल अजीज : दंगे फसाद करने वालों के साथ हो गये आप। कामयाब नहीं हो सकते हैं, लोग चक्कर में फंस गये, हम लोगों को इस चक्कर से निकालेंगे।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय + + +

एक माननीय सदस्य : वी. पी. सिंह कौन है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह एक्सपंज कर देना। यह एक्सपंज किया जाता है।

(व्यवधान)

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : + + +

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री यदुनाथ सिंह : क्या एक्सपंज कर दिया। + + +

श्री अध्यक्ष : यह एक्सपंज कर देना।

श्री प्रभुदयाल मीणा : + + +

श्री अध्यक्ष : यह न लिखें। निकाल दें।

श्री यदुनाथ सिंह : + + +

श्री अब्दुल अजीज : मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है, आप क्या कह रहे हैं ?

श्री जगतसिंह दायमा : आपकी खाने बंद न हों इसलिए कह रहे हैं। . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया सुने।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्षजी, यह पूछ रहे हैं कि मैंने क्या कहा ? मैं यह कह रहा हूँ कि + + +

श्री अध्यक्ष : यह मत लिखना इसको एक्सपंज कर देना।

श्री माणक डाणी : यह तो लोकदल में पैदा हुए हैं और लोकदल में ही हैं। आप हैं जो लोकदल छोड़कर जनता दल में चले गये हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री देवीलाल : अध्यक्ष महोदय, जो सदस्य बोले हैं + + + वह शब्द निकालिये। वह शब्द निकाल दें।

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज कर देना।

श्री मानिकचन्द सुराना : इसलिये अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है वह बिल्कुल हाइपोथेटिकली है, उसका कोई वजूद नहीं है, उसका निर्णय आपके द्वारा पूर्व में लिया जा चुका है। नई परिस्थिति में हमने कोई ध्यान आकर्षित नहीं किया है। यह जनता दल का एक्सक्लुसिव प्रिविलेज है कि वह इस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करे। कांग्रेस की मेहरबानी से जनता दल कोई विपक्ष का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेगी। यह बात मैं साफ आपके सम्मुख कर देना चाहता हूँ इसलिए इस हाइपोथेटिकली प्रश्न को आप कम्प्लीटली रूल आउट करने का कष्ट करें। यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हरिदेव जोशी : मैं इस प्रश्न को प्रिसीपीटेट नहीं करना चाहता हूँ। पहले मैं था नहीं। जुलाई में क्या हुआ क्या नहीं मुझे मालूम नहीं है मगर यह कहना कि यहां यह प्रश्न बिल्कुल पैदा ही नहीं हुआ है, यह सही नहीं है। मैं किसी उस की बात नहीं करता मगर कांग्रेस पार्टी के लीडर की हैसियत से कहता हूँ कि यह प्रश्न मेरे सामने आया था . . .

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : हमारे पर आप आरोप लगा रहे हैं कितने लीड

+ + + माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अभिव्यक्ति अपलोपित की गई।

(श्री हरीश शर्मा)

बदल गये हैं। आपके पहले लीडर कौन थे ? आप कौनसे नम्बर के लीडर हैं। अध्यक्ष महोदय, इनकी आदत है नेता बदलने की। अब नेता कौन आयेंगे इनको पता नहीं . . .

श्री अध्यक्ष : हरीशजी बैठिये आप। सदन के नेता बोल रहे हैं . . बहुत गलत परिपाटी है।

श्री हरिदेव जोशी : मुझसे यह कहा गया था मेरी पार्टी के लोगों से भी कहा गया था तब जाकर के कल यह सवाल सामने आया था मैंने कहा मैं इसको प्रिसीपीटेट नहीं करूंगा, मगर यह कहना कि कोई सवाल पैदा ही नहीं हुआ है यह सही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह नहीं है, यह किसी का सवाल नहीं है।

श्री लालचन्द डूडी (मादरा) : अध्यक्ष महोदय, यह हमारी पार्टी का मामला है इस वास्ते एक मिनिट के लिए समय दें। अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता पद की जनता दल को कोई ख्वाइश नहीं थी और न ही कहीं डिमाण्ड की। लेकिन क्योंकि आज यह इश्यू खड़ा हो चुका है, आपके पास भी फैसला पेण्डिग है इस वास्ते मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर जनता दल का बहुमत है तो लीडर ऑफ दी अपोजीशन जनता दल का ही सदस्य हो।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी यह निवेदन करना चाहता था कि हमने बहुत पहले विपक्ष के नेता महोदय....

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : मैं लोक दल से हूं मेरा ध्यान रखें। आप मुझे नोटिस दें ऐसा नहीं हो आप अन्धेरे में कुछ कर लें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री नवरंगसिंह : बहुत अर्से पूर्व हमने नेता पद के लिए आपसे निवेदन किया था और ऑफेशियली मेरे को जानकारी नहीं है कि उसको डिसपोज ऑफ कर दिया। अगर उसको डिसपोज ऑफ कर दिया तो ठीक है अगर वह मामला विचाराधीन है तो डिसपोज ऑफ करना चाहिए यह मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह बड़ा डेलीगेट क्वेश्चन था अभी भी यह बात सही है कि माननीय भैरोसिंह जी ने 28 को मुझसे हाउस शुरू होने से पूर्व कहा।

(व्यवधान)

लेकिन इसमें मुझे बहुत सी चीजें देखनी थीं और बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो अध्यक्ष से कोई चीज कहनी चाहिए तो वह अपने तक रखनी चाहिए। ऐसा ही मामला है निष्पक्षता का, जहां तक मैं मानता हूँ अभी मैं माननीय सदस्यों से नेताओं से बात करूंगा चैम्बर में और बात करने के बाद आज ही इसका निपटारा करूंगा। जनता दल के नेताओं से, बी. जे. पी. के नेताओं से....

(श्री अध्यक्ष)

एक माननीय सदस्य : एम. एल. एज की भी राय ले ली जाये ।

श्री अब्दुल अजीज : यह सदस्य है । इनको पता ही नहीं वोट से होता है नेता....

श्री जगतसिंह दायमा : अध्यक्ष महोदय, पहले हमारी जनता दल की मीटिंग होगी और उसके बाद ही निर्णय लेंगे । जब तक हमारे जनता दल विधायक दल की मीटिंग नहीं हो तब तक आप किसी तरह से कोई निर्णय नहीं ले सकते । हमारी यह मांग है आपसे ।

श्री अध्यक्ष : यह आपकी पार्टी के दरमियान की चीज है मुझसे कोई वास्ता नहीं जो आपके दल के नेता हैं उनमें मैं कहूंगा ।

श्री जगतसिंह दायमा : उसके बाद आप निर्णय लेंगे इसके लिए....

(व्यवधान)

श्री माणक डाणी : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो वो वाली बात हो गई कि नाथू राम जी मिर्धा तो ++अलग कह रहे हैं और दिग्विजय सिंह जी अलग कह रहे हैं ।

श्री सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा आपातकाल में श्री लालकृष्ण अड़वाणी जेल में थे, आपको स्मरण होगा तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री बंशीलाल जी उनसे मिलने गये और उसने कहा कि अडवाणी जी यह बताओ हमारी यह माडर्न जेल है हरियाणा में नई-नई बनाई है आपको पसन्द आई क्या ? उन्होंने कहा हमें तो थोड़े दिन को रहना है रहना तो आपको ही है देख लो कैसी बनी है कैसी नहीं बनी है । विरोधी पक्ष का नेता कौन हो कौन नहीं हो... यह हमारे सामने जो प्रश्न आयेगा यह हमारी एक्सरसाइज नहीं है लगता है आपकी एक्सरसाइज है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, इसको समाप्त करें । मैं स्थगन प्रस्ताव ले रहा हूं । आप बैठें ।

श्री जगतसिंह दायमा : यह हमारे अधिकार की बात है कि जब तक हम अपनी पार्टी के दल की मीटिंग नहीं कर लें और उसमें कोई निर्णय नहीं लें तब तक आप अपनी बात चैम्बर में बुला कर नहीं करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : यह आप अपने दल के नेता से कहें कृपया मुझसे नहीं कहें । मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है । यह आपके दल पर छोड़ दिया है स्थगन प्रस्ताव जो अस्वीकार किये हैं उन पर एक-एक मिनिट बोल लें । श्री हसराज मिढा ।

श्री नवरंग सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे दल के डिप्टी लीडर थे कल्याणसिंह जी चले गये महेन्द्र शास्त्री उनकी अनुपस्थिति में है ।

श्री अध्यक्ष : हंसराज जी मिढा एक-एक मिनट स्थगन प्रस्ताव पर ।

+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

श्री सम्पत सिंह : पॉइन्ट ऑफ आर्डर। कल आपने यह व्यवस्था दी थी कि सरकार के लिए जांच के लिए भिजवाये मेरे दो स्थगन प्रस्ताव थे पहला अध्यक्ष महोदय यह था कि....

श्री अध्यक्ष : उनको भी लूँगा आज के स्थगन प्रस्ताव है आज डिसपोज आफ कर लूं। एक-एक मिनिट बोल लें आप।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री हंसराज मिढा (सूरतगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो पांच साल से एक ही मसला ज्यादातर है खालों वाला। दूसरा है जो ढाई सौ जनसंख्या वाले गांव में प्राथमिक पाठशालायें खोलने का। सरकार ने 1988-89 में यह घोषणा कर दी और 1989-90 में यह घोषणा, करी यह थोथी घोषणा से पेट भरता नहीं। मेरे क्षेत्र मे तीन सौ प्राथमिक पाठशालायें कम है। बड़े अफसोस की बात है। सरकार घोषणा करें कि ढाई सौ जनसख्या वाले गांव में प्राथमिक पाठशालायें खोलेंगे। 1988 की जनगणना से मेरे क्षेत्र में कलैक्टर गंगानगर के तस्दीक शुदा 78 प्राथमिक पाठशालायें कम हैं जिनकी जनसंख्या 965 से ऊपर में 965, नीचे में 455। जब ढाई सौ जनसंख्या वाले गांव में आप, प्राथमिक पाठशालायें खोलना चाहते हैं तो मैं आपसे थोड़ी सी जानकारी चाहूंगा 1989 या 1985 या 86 की जनगणना से लेंगे मेरे क्षेत्र में तीन सौ प्राथमिक पाठशालायें कम हैं। अफसोस जो सरकार घोषणा कर रही है ढाए सौ जनसंख्या वाले गांव में खोलेंगे। आपने क्राइटेरिया पांच सौ, छः सौ या चार सौ क्यों नहीं रखा। आपने गद्दारी की देश के साथ, आपने जनता के साथ गद्दारी की, आपने बच्चों के साथ गद्दारी की जब आपने न्याय पूर्वक प्राथमिक पाठशालायें नहीं खोली। बड़े अफसोस की बात है आप उनसे कुछ भी कहे जाओ। आपने जो बजट घोषणा दो साल में की उसका आपने क्या किया? आपने क्या किया ढाई सौ जनसंख्या का। पांच सौ जनसंख्या वाले में खोल देते तो मैं समझता हूं कि आपने कुछ कार्य किया है मगर कुछ भी नहीं। आपने सारी जनता को धोखा दिया है। मेरे क्षेत्र के बच्चे आज भी अनपढ़ फिरते हैं। उन बच्चों की क्या दुर्दशा होगी।

दूसरा मेरा मसला यह है कि जब खालों के बारे में 9-7-87 को हम तीन दिन भूख हड़ताल पर थे माननीय मुख्यमन्त्री जी हरिदेव जोशी जी ने घोषणा की थी रात को नौ बजे कि हम तीन महीने में फैसला करके खालों की कीमत माफ कर देंगे आज इतने बड़े-बड़े लम्बे अखबारों में छापकर भेजते हैं। 15 हजार के कर्जे माफ। तो खालों वाले मसले को आज तक नहीं लिया गया। 9-7-87 से ढाई साल हो गये। जमीन की रजिस्ट्री करवाते हैं। लोगों को लूटा जा रहा है खालों के नाम से। मैं माननीय मुख्यमन्त्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा डेढ़ महीने की बात है आपने तो नहीं छोड़ी खालों की कीमत को हम खुद आकर छोड़ेंगे।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। श्री मांगीलाल मेघवाल।

श्री हंसराज मिढा : हमारे विपक्ष के नेता महोदय बैठे हैं। घोषणा कर दी है। सरकार अडियल है जैसे आप अडियल है तो वोटर भी अडियल है। और आपने खालों

(श्री हंसराज मिढा)

की कीमत नहीं छोड़ी तो आपको पहले। बाकी 115 फिर साफ करके भेज देंगे। पकड़े रहो, पकड़े रहो, थोड़े दिन की बात है। आप लोगों को तो मैंने पहले भी कहा था, दारा रहा न सिकन्दर रहा, रावण रहा न दुर्योधन रहा, न आप इन कुर्सियों पर रहेंगे, थोड़े दिन की बात है।

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलालजी मेघवाल।

श्री मांगीलाल मेघवाल (पाटन) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने बजट डिबेट में कृषि पर बोलते हुए बताया कि राजस्थान में 18 लाख हेक्टेयर ऐसी जमीनें हैं जिनका कृषि के लिए उपयोग किया जा सकता है। सौभाग्य की बात है कि हमारे बार-बार मांग करने के बाद में धौलपुर, सवाईमाधोपुर, बूंदी, कोटा के चम्बल बीहड़ों को सुधारने के लिए सरकार ने दस्यु उन्मूलन, भू-संरक्षण और वन विभाग से मिला-जुला एक बीहड़-सुधार का कार्यक्रम लिया, करोड़ों रुपये की योजना बनी और बूंदी जिले में 70 लाख रुपया केवल मात्र केशोरायपाटन तहसील की ऊबड़ खाबड़ जमीनों और चम्बल के बीहड़ों को सुधारने के लिए बनाई गयी। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन तीन वर्षों में अधिकारियों द्वारा जो मनमानी की जा रही है उससे उस क्षेत्र में कोई भी विकास की लहर दिखाना तो दूर रहा आज किसान उससे पीड़ित है। न वहां कटूर्बडिंग के नाम से खालों को बनाया जा रहा है, न लेवलिंग का काम किया जा रहा है और इस तरह से 70 लाख रुपये की योजना, जिसके माध्यम से खालों को खोदना, कटाव को रोकना और भूमि समतल करके उस अकाल ग्रस्त क्षेत्र में, उस अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र में गरीब किसानों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, भूमिहीन लोगों को जमीन लेवल करके, उनको अलाटमेंट करके देश का, उस क्षेत्र का और उन गरीब लोगों का पेट पालने की जो योजना थी उसके साथ आज अन्याय हो रहा है। लाखों-रुपया सरकार का बर्बाद हो रहा है। अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह मांग करता हूं कि उस क्षेत्र में कितने कैचमेंट ब्लाक हैं उसकी अतिशीघ्र रिपोर्ट प्रकाशित की जाये। उक्त ब्लॉकों में कितने क्षेत्र किस-किस स्कीम के तहत लिया जा रहा है, उक्त ब्लॉकों में कितना पैसा अब तक किस-किस काम के लिए खर्च किया जा रहा है? यह सरकार स्पष्ट करे और इसके माध्यम से कितनी जमीन अब तक लेवल की जा चुकी है और कितनी करके क्या सरकार उन गरीबों को बांटेगी, यह स्पष्ट करें। जिससे उस क्षेत्र के ग्राम जन-प्रतिनिधियों में, सरपंचों में, जनता में, किसानों में, गरीबों में असन्तोष और इस तरह का आक्रोश है कि सरकार के स्वीकृत पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। पर्याप्त स्टॉक नहीं है। इसलिए इस तरह के कार्यक्रम लाये जायें, पर्याप्त स्टॉक देकर विकास कार्य चलाया जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री डूंगरराम जी पंवार।

श्री डूंगरराम पंवार (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, मेरे दो स्थगन प्रस्ताव हैं, 28

(श्री डूंगरराम पंवार)

तारीख का मेरा है पक्की सड़कों के बारे में और 29 को है ग्रामीण क्षेत्र में स्कूलों में अध्यापक नहीं है तो मैं प्रथम तो पक्की सड़कों के बारे में बता देता हूं कि मेरे टी बी विधानसभा क्षेत्र में साइएस एस संगरिया टीबी रोड बिल्कुल खत्म हो गयी है टूट-फूट से, जिस पर वाहन चल नहीं सकते और चलते भी हैं तो पलट जाते हैं और हर वक्त दुर्घटना होने की सम्भावना रहती है, दुर्घटना होती भी रहती है।

(12.00 मध्याह्न)

(उपाध्यक्ष, श्री किशन मोटवानी, पदासीन)

और नम्हीवाला से ग्राम सूरेवाला तक सड़क नष्ट हो गयी है और उन सड़कों पर कोई वाहन चल नहीं सकता और हनुमानगढ़ से टी बी आने वाली रोड टूटकर नष्ट होती जा रही है। बार-बार सरकार को बताने पर, सरकार से मांग करने पर कि उन सड़को को तुरन्त ठीक करवाया जाये। जो सिंगल रोड्स हैं उनको डबल करवाया जाये क्योंकि हनुमानगढ़ टी बी और टीबी से कलवाड़ा भील होती हुई अहमदाबाद तक जाती है इण्टर स्टेट रोड है। कई बार सरकार से यह मांग की गई है कि इस रोड को डबल किया जाये और डबल करने से पहले जो रोड टूट चुकी है उसकी मरम्मत की जाये लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है और उस एरिये का बुरा हाल हो गया है, कोई आ-जा नहीं सकता है और वाहन टूट जाते हैं और साइड लेने को कोई जगह नहीं है। जाकर देखो तो ऐसी हालत कहीं मिलेगी नहीं जो सड़कों की है।

दूसरा, मेरा प्रश्न यह था कि गंगानगर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में उच्च माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, और प्राथमिक विद्यालय, इनमें अध्यापकों की इतनी कमी है कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा नाम की कोई चीज नहीं रही है। जहां 12 अध्यापक होने चाहिए वहां 5 ही है, जहां 10 अध्यापक होने चाहिए वहां 3 ही हैं। जहाँ 8 अध्यापक होने चाहिए वहाँ केवल 12 ही है। ग्रामीण क्षेत्र का छात्र अनपढ़ जैसा ही रह गया है। मैं सोचता हूं कि यह सरकार की एक ऐसी साजिश है इस कांग्रेस सरकार की नीति है, मुझे शंका हो रही है कि ग्रामीण क्षेत्र को अनपढ़ रखना है, उनको मूर्ख बनाये रखना है कि वहां के बच्चे पढ़ लिखकर के शहर के मुकाबले में, कम्पीटीशन में न आ सकें, अच्छी शिक्षा न पा सकें। मूर्ख रखने का अर्थ यह है कि उनका शोषण करते रहें, उनको कभी अक्ल आये नहीं। और वह अनपढ़ रहें। कहीं भी स्कूलों में मास्टर अभी तक पूरे नहीं किये गये हैं। विधानसभा में हर सत्र में माननीय सदस्यों ने इस पर काफी चिन्ता व्यक्त की है कि पढ़ाई का स्तर गिर रहा है और ग्रामीण क्षेत्र का तो इतना गिर रहा है कि जिसको कोई देखने वाला भी नहीं है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार को गंगानगर जिले में या सारे राजस्थान में यह समस्या हर जगह जहां भी अध्यापकों की कमी है उसको तुरन्त पूरा किया जाये ताकि छात्रों की पढ़ाई में नुकसान न हो। दूसरा जो मेरा प्रश्न था पक्की सड़कों का, इन दोनों पर गम्भीरता से गौर किया जाये और जल्द

(श्री डूंगरराम पंवार)

ही इन समस्याओं का निराकरण किया जाये। आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक

(अनुपस्थित)

डॉ. उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव कल पृथ्वीराज नगर योजना में मनमानी फेरबदल के बारे में दिया था। पृथ्वीराज नगर योजना काफी लम्बी और इस तरह से अव्यावहारिक बनाई जा रही है कि जिसमें कई योजनाओं के प्रारूप पहले ही योजना में आये हुये हैं। मेरा उस ओर ध्यान दिलाने की तरफ यों इरादा है कि राज्य सरकार ने कुछ गांवों को राज्यादेश से बाहर निकाल दिया, कुछ को वैसे ही बाहर निकाल दिया। यह दोनों विपरीत परिस्थितियां हैं जिससे गांवों में आक्रोश है। मेरा यह कहना है कि नया मास्टर प्लान तैयार हो रहा है नये मास्टर प्लान में जो भी प्रारूप आने वाला है उसका इन्तजार करना चाहिए और तब तक इस पृथ्वीराज नगर योजना को, जो बहुत दिनों से निरस्त करने की मांग चली आ रही है इसको समाप्त कर देना चाहिए स्थगित नहीं करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को स्थगित किया है। वह इसको कर तो सकते नहीं लेकिन लोगों को कुछ को राज्यादेश के आधार पर, कुछ को बिना आदेश के आधार पर लटकाये रखने की जो योजना है, वह कोई भी कार्य न कर सके न अपना मकान बना सकें, न अपनी जमीन बेच सकें। जे. डी. ए. के द्वारा उनको निरन्तर सताया जाता रहे कि पांच हजार रुपये छोड़ने के दो, पांच हजार रुपये तोड़ने के दो, पांच हजार रुपये बनाने के दो। इस तरह से भ्रष्टाचार फैलाने के लिए जो कार्यवाही की जा रही है तो मैं कहना चाहूंगी कि इसको निरस्त किया जाये जिससे कि लोग, वहां के रहने वाले निवासी हैं उन पर यह तलवार न लटकी रहे और इसके लिए तात्कालिक रूप से राज्य सरकार को आदेश प्रसारित करने चाहिए। मैं यह नहीं चाहती कि जयपुर में विकास न हो लेकिन जिस तरीके से, ढीलम ढाले ढंग से यह कार्य किया जा रहा है और अव्यवहारिकता से किया जा रहा है मैं समझती हूं कि इसमें बिजली के ट्रांसफार्मर हैं, जे. डी. ए. की बनी हुई योजनाओं के नगर हैं जिनमें सड़कें बन चुकी हैं, कई गांव ऐसे हैं जिनमें से इनको हटाया ही नहीं जा सकता है, कई योजनाओं में आपने नक्शे पट्टे दे दिये हैं। इस तरह से अव्यावहारिकता करके यह काम किया जा रहा है।

दूसरी बात, मैं यह कहना चाहूंगी कि जो ग्रीन बैल्ट का एरिया है, ग्रीन बैल्ट अगर नहीं है तो शहर को किस तरह से आप रखेंगे, एक प्रावधान है ग्रीन बैल्ट के एरिये का। इस तरह से उसको तोड़ा-मरोड़ा नहीं जा सकता। सरकार बिना चारों तरफ देखे हुये अनाप-शनाप आदेश दे देती है। मैं समझती हूं कि यह गलत बात है ग्रीन बैल्ट को रखा जाना चाहिए।

शहर के लिए बहुत आवश्यक है। मैं समझती हूं कि आने वाले समय में यह

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

पर्यावरण के लिए जरूरी है जिस पर आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। मेरा आप से निवेदन है कि आप इस ग्रीन बैल्ट के बारे में कोई भी निर्णय लिये जाने तक इसे स्थगित रखें। कोर्ट में इसके केस पैण्डिग चल रहे हैं, तीन केस विभिन्न लोगों ने किये हुए हैं। तब फिर आप फैसला कैसे ले सकते हैं? मेरा यह निवेदन है कि इस दुर्भावना को तो छोड़ें और इस योजना को निरस्त करें। आने वाले मास्टर प्लान में कोई योजना बनती हो, तब तक के लिए इसको स्थगित रखा जाना चाहिए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री नवरंगसिंह जी।

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसानों को रात में जो बिजली दी जा रही है और उससे किसानों में जो बीमारी और मौतें हो रही हैं, मैंने उसकी बाबत स्थगन प्रस्ताव दिया है। माननीय ऊर्जा मंत्रीजी होते तो ज्यादा अच्छा होता लेकिन वह तो आपकी व्यवस्था है। रात में भयंकर सर्दी है। सीकर और भुंभुनूं का जो तापमान है वह तो कई जगह शून्य से भी नीचे चला गया है। रात में किसान पांणत करता है, पानी देता है। जिस स्थिति में वह घूमता है, बिलकुल ठिठुर जाता है। मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भुंभुनूं, सीकर और जयपुर के आस-पास के इलाके में किसान भारी संख्या में बीमार हो गये हैं ज्यादा ठण्ड पड़ने से, क्योंकि रात में पानी में रहते हैं। इसलिए कई जगह भारी संख्या में मौतें भी हो गई हैं। सर्दी का मौसम है, सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि सरकार रात की बजाय दिन में किसान को बिजली देने की व्यवस्था करें।

दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूँ कि इन दिनों राजस्थान में बिजली की हालत बहुत खराब है, 3-4 घण्टे से ज्यादा राजस्थान में बिजली नहीं आ रही है। इसलिए किसानों की खड़ी फसल खराब हो रही है।

एक निवेदन यह है कि इस फसल के टाइम पर किसानों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। मैं अभी मेरे विधानसभा क्षेत्र नवलगढ़, भुंभुनू और सीकर के दूसरे क्षेत्रों में गया, जहां मैंने देखा कि भारी संख्या में बिजली बोर्ड के लोग एक कार्यक्रम लेकर कनेक्शन काटने में लगे हुए हैं। आपके माध्यम से राजस्थान सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कनेक्शन काटकर उसकी फसल बर्बाद करना केवल किसान का व्यक्तिगत नुकसान ही नहीं है, यह जो पैदावार होती है उसका भी राष्ट्रीय नुकसान है। इसलिए किसी भी बकाया के नाम पर इस समय कनेक्शन नहीं काटे जायें। अगर उसकी बकाया थी तो फसल के पहले कनेक्शन काटे जाते, या अब जब उसकी फसल निकल जाय उसके बाद कोई कार्यवाही की जाय। इस समय किसी भी तरह से कनेक्शन काटे गये....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री नवरंग सिंह : तो राजस्थान का किसान उसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री घनश्याम जी तिवाड़ी । समाप्त करें आप ।

श्री नवरंग सिंह : एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि जितनी बड़ी पावर लाइन हैं, बड़े ट्रांसफार्मर हैं वह सारे के सारे खराब हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप सारी बात कहना चाहते हैं क्या ?

श्री नवरंग सिंह : सीकर के बड़े पावर हाउस का ट्रांसफार्मर खराब है, जिससे 132 के. वी. में नवलगढ़ बिजली जाती है । वह आज एक महीने से ठप्प पड़ी है, जिससे सही बिजली नहीं जाती ।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें आप ।

श्री नवरंग सिंह : वहां पर किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, जल रही हैं । किसान बर्बाद हो गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें । माननीय श्री घनश्याम तिवाड़ी ।

श्री नवरंग सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार घोषणाएं करती हैं 50 हजार 30 हजार कनेक्शन देने की, लेकिन 20 हजार का जो टार्गेट था उसके विरुद्ध सारे राजस्थान में 10 हजार कनेक्शन भी नहीं दे सकी है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नवरंग सिंह जी, सहयोग करें । माननीय घनश्याम जी ।

श्री नवरंग सिंह : यह सरकार उन कनेक्शन को दे और इसमें जो भयंकर भ्रष्टाचार है उसको रोकें ।

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन । समाप्त करें आप ।

श्री नवरंग सिंह : अन्त में आपके माध्मम से....

श्री उपाध्यक्ष : नाट टू बी रिकॉर्डेड हीयर आफ्टर ।

श्री नवरंग सिंह : × × ×

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : उपाध्यक्ष महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण से प्राप्त जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग की निविदा संख्या आई. सी. बी. 86-87/50 के द्वारा मैसर्स भारत पाइप्स एवं डायना प्लास्ट को जो आदेश दिये गये थे, नियम 50 के अन्तर्गत मैंने आपका ध्यान उस सम्बन्ध में खींचा है । उपाध्यक्ष महोदय आप यह सुनकर ताज्जुब करेंगे कि पी. वी. सी. रेजिन पाइप बनाने और उनसे लेने का एक करोड़ रुपये का ठेका उनको दिया गया और एक करोड़ रुपये के रेजिन की विदेशों से आयात की छूट दी गई । रेजिन के हिन्दुस्तान के भावों और विदेश के भावों में 60% का डिफरेंस है, जहां 60 रुपये लगते वहां 600 रुपये लगते हैं । यहां पर जो 4 करोड़ की रेजिन की बात थी वह विदेशों से उनको 50 लाख रुपये में प्राप्त हुई । इसके अन्तर्गत दो प्रकार की गड़बड़ की गयी । एक बात तो यह थी कि एक करोड़ की रेजिन के जितने पी. वी. सी. पाइप बनते हैं

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

वह राजस्थान सरकार को सप्लाई किये जायेंगे। दूसरा यह था कि जो निर्धारण है वह आज की तारीख में किया जायेगा। एक साल के बाद अगर पाइप सप्लाई होते हैं तो मूल्यों में परिवर्तन नहीं किया जायेगा इन दोनों बातों के अलावा अधिकारियों ने यह कार्यवाही की और एफ. ए. एण्ड सी. ओ. के आदेश के बावजूद, रेट कान्ट्रैक्ट में इस प्रकार की बात होने के बावजूद प्राइस वेरिएशन क्लाज को इसमें जोड़ दिया। प्राइस वेरियेशन के इस क्लाज को जोड़ने से राजस्थान सरकार को 60 लाख रुपये का नुकसान हुआ। उसके बाद पी. वी. सी. पाइप के बजाय ए. सी. पाइप खरीदने का काम किया गया और सिर्फ 6 लाख रुपये का पाइप उनसे खरीदा गया जबकि पूरे आयात का उनको ठेका दिया गया था। इस प्रकार उसने 50 लाख रुपये की रेजिन बाहर से मंगाई और 4 करोड़ रु. कमाये। राजस्थान सरकार को वह माल सप्लाई नहीं किया। प्राइस वेरिएशन क्लाज के कारण राजस्थान सरकार को 10 लाख का नुकसान हुआ। उसके बाद एफ. ए. एण्ड सी. ओ. ने एक चार्ज शीट बनाकर राजस्थान को भेजी कि इन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही की जाय, भारत सरकार को लिखा जाय और फेरा कानून के अन्तर्गत एफ. आई. आर. दर्ज करके भारत पाइप्स एवं डायना प्लास्ट के विरुद्ध कार्यवाही की जाय। यह सारी कार्यवाही की गई। चीफ इंजीनियर ने भी लिख दिया। फाइल उसके बाद मंत्री महोदय के पास चली गई। मंत्री महोदय के पास फाइल जाने के बाद मंत्री महोदय से यह हुआ कि यह फाइल पी. एच. ई. डी. सैक्रेटरी के थ्रू मेरे पास आनी चाहिए थी, चीफ इंजीनियर के थ्रू नहीं आनी चाहिए थी। वह फाइल वापस चली गई। 6 महीने से वह फाइल पड़ी हुई है। एक आदेश की प्रति आपकी आज्ञा से सदन के पटल पर रखना चाहूंगा, जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार का 9 मई, 1988 का आदेश है। उसमें लिखे हैं कुछ अधिकारियों के नाम कि इन अधिकारियों की डी. पी. सी. और प्रमोशन से पूर्व इन मामलों का निपटारा किया जाए। उनमें यह पी. सी. वी. सी. पाइप का मामला भी शामिल है। उसमें नाम हैं : श्री देवीसिंह, श्री दाऊलाल माथुर, जो उस जोधपुर में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता थे। उनके प्रमोशन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था, लेकिन इस आदेश के बावजूद, एफ. आई. आर. दर्ज करने के आदेश के बावजूद और फर्म पर कार्यवाही करने के आदेश के बावजूद मंत्री महोदय के पास से आकर यह फाइल सैक्रेटरी साहब के पास पड़ी रही और उनको टैक्निकल मैम्बर बना दिया गया। उसके बाद खान साहब को, जो पी. एस. सी. से 31 तारीख को रिटायर होने वाले थे, विशेष आदेश के द्वारा जयपुर बुलाया गया दिल्ली से और लास्ट दिन डी. पी. सी. करके उनका प्रमोशन करने की कोशिश की गयी। वह फाइल अभी तक पड़ी हुई है, इसके अलावा भी कुछ अधिकारियों के इसमें नाम हैं : श्री वी. एस. रावत श्री चौधरी, श्री के. डी. खींची और श्री बलवीर सिंह। इस प्रकार 13 अधिकारी हैं। आज के दिन इन 13 अधिकारियों के राजस्थान की सरकार प्रमोशन करना चाहती है और बढ़िया जगह लगाना चाहती है। यह फाइल पड़ी हुई है सैक्रेटरी साहब के

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पास। मेरा आप से निवेदन है कि राजस्थान सरकार को जो एक करोड़ का घाटा हुआ है, और भारत सरकार को जो 4 करोड़ का घाटा हुआ है, उसके अन्तर्गत फेरा कानून के अन्तर्गत एफ. आई. आर. दर्ज करायी जाय। भारत पाइप्स डायना प्लास्ट, इन दोनों कम्पनियों से वसूली की जाय और दाऊलाल माथुर को, जो टैक्निकल मैम्बर हैं पी. एच. ई. डी. के., तुरन्त निलम्बित किया जाय, उनका प्रमोशन रोका जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात समाप्त कर रहा हूं और मामले के सारे डाकुमैंट्स आपके पास पेश कर रहा हूं। मेरा आप से इतना ही निवेदन है.....

श्री उपाध्यक्ष : यह आप सदन की जगह राज्य सरकार को दे दो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसलिए दे रहा हूं आपको कि आप बात करके इस विषय पर कोई व्यवस्था करायें।

श्री उपाध्यक्ष : राज्य सरकार को दे दो व्यवस्था हो जायेगी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : राज्य सरकार तो करना चाहती है, इसीलिए मैंने आपका आसरा लिया है, आपकी शरण ली है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं कह रहा हूं, आप राज्य सरकार को दे दो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपका संरक्षण इसलिए चाहता हूं कि आप राज्य सरकार से इस मामले में कुछ कहें। सारे डाकुमैंट्स मेरे पास हैं। वह डाकुमैण्ट्स मेरे नहीं हैं, एफ. ए. एण्ड सी. ओ. और फाइनेंस डिपार्टमैण्ट, तब से इन पर कार्यवाही करने के लिए लिखा है। फाइल पड़ी हुई है। जब तक राजस्थान सरकार का पैसा वसूल नहीं होता है, एफ. आई. आर. दर्ज नहीं होती है, इन पर कार्यवाही नहीं होती है, तब तक इनके सारे आदेश रुकने चाहिए। इस संबंध में सारे कागज पेश कर रहा हूं। आप इस सम्बन्ध में कार्यवाही करिये, यही मुझे आप से निवेदन करना है।

श्री उपाध्यक्ष : सुश्री पुष्पा जैन।

सुश्री पुष्पा जैन (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले करीब एक माह से राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली आर. ए. एस. की परीक्षा के खिलाफ हड़ताल चल रही है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष जे. एम. खान ने पर्चे आउट करवा दिये। और उस बात को लेकर परीक्षार्थियों ने आन्दोलन किया। पिछले 9 दिनों से 2 परीक्षार्थी निरन्तर भूख-हड़ताल पर चल रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जब तक उनकी न्यायोचित मांगें नहीं मान ली जाती हैं वह आजन्म अनशन करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सन्दर्भ में दो याचिकायें हाईकोर्ट में भी गई। हाईकोर्ट में जो माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेन्द्रनाथ भार्गव ने अपना फैसला दिया उसकी चार लाइनें, जो उसका आपरेटिव फैसला है, मैं कहना चाहूंगी—

"राजस्थान लोक सेवा आयोग एक बहुत ही प्रतिष्ठित व स्वतन्त्र प्रतिष्ठान है

(सुश्री पुष्पा जैन)

और सभी सदस्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस विषय पर गम्भीरता से विचार कर सभी परीक्षार्थियों की जन-भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार उचित निर्णय शीघ्र लेंगे। उसकी सूचना अखबारों, रेडियो, टेलीविजन इत्यादि के माध्यम से प्रसारित करवायेंगे। जिससे परीक्षार्थियों में जो यह अनिश्चितता बनी हुई है कि परीक्षा 31 दिसम्बर से होगी या नहीं। यदि होगी तो प्रश्न-पत्र नये सेट किये जायेंगे या नहीं, दूर हो सके और फिर से परीक्षा के लिये अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान लगावें।" लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि राज्य सरकार व राजस्थान लोक सेवा आयोग इस बात पर कटिबद्ध है कि उन्होंने पर्चों से, जो पर्चे आउट हो चुके है उन्हीं पर्चों पर 31 दिसम्बर की यह परीक्षायें ली जायेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सन्दर्भ में मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जैसे ही श्री जे. एम. खान रिटायर हुये अपने पद से उनके स्थान पर श्री सुगमचन्द सिंगारिया कार्यवाहक अध्यक्ष बन गये। श्री सिंगारिया ने भी कहा कि यह पर्चे दुबारा री-सेट होने चाहिये और री-सेट करके उसके बाद परीक्षा की तिथियां बढ़ाकर परीक्षा लेनी चाहिये। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि राज्य सरकार किस बात के लिये प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर उन्हीं पर्चों पर, जो आउट हो चुके हैं, उन्हीं पर्चों के द्वारा आर ए एस. परीक्षार्थियों की परीक्षायें लेना चाहती है जबकि वह इस बात पर कटिबद्ध है कि पर्चे आउट हो चुके हैं उन पर्चों पर उनकी परीक्षा न ली जाय और न्याय के हित में भी यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि जब एक बार यह स्पष्ट हो चुका है कि पर्चे आउट हो चुके हैं इन पर्चों पर यह परीक्षायें क्यों ली जाय। यह बात मेरी आज तक समझ में नहीं आई। इसके दूसरे पहलू पर अगर अपन ध्यान दें तो इससे स्वाभाविक तौर पर एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला बनता है। राज्य सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी आ जाती है कि वह इस सन्दर्भ में बहुत ही गम्भीर कार्यवाही करे और जिनकी वजह से यह पर्चे आउट हुये हैं उनके खिलाफ तो कार्यवाही की जाय ही पर इससे जिन परीक्षार्थियों का भविष्य जुड़ा हुआ है उन परीक्षार्थियों के भविष्य से न खेला जाय और यथाशीघ्र राज्य सरकार यह निर्णय ले कि 31 दिसम्बर को जो लोक सेवा आयोग द्वारा आर. ए. एस. की परीक्षायें ली जा रही हैं वह परीक्षायें रद्द करें, नये पर्चे री-सेट किये जाय और उस परीक्षा के लिये करीब एक महीने का समय दिया जाए यह परीक्षार्थियों के साथ और जनता के साथ न्याय हो सके। आर. ए. एस. की जो परीक्षायें हैं वह कोई साधारण परीक्षा नहीं है। आर. ए. एस. चुने जाने वाले लोग इस देश की न्यायपालिका से जुड़े हुये होते हैं अगर वही भ्रष्टाचार से जुड़कर पर्चे आउट हो चुके है, उनसे परीक्षा देंगे तो उसके परिणामस्वरूप आर. ए. एस. में जिनका सलेक्शन होगा वह किस तरह का न्याय करेंगे, किस तरह का उनका प्रशासन चलेगा इस बात को हम समझ सकते हैं!

उपाध्यक्ष महोदय, दो व्यक्ति श्री रघुनाथ सिंह राजपुरोहित (पाली) और श्री महावीर सिंह गोदारा (गगानगर) पिछले 9

Page No. 31

(सुश्री पुष्पा जैन)

दिनों से भूख-हड़ताल पर बैठे हुये हैं। इनका स्वास्थ्य निरन्तर गिर रहा है। मुझे यह अन्देशा है कि कल को कुछ भी, कोई भी दुर्घटना हो गई तो राज्य सरकार उसके लिये निश्चित रूप से जिम्मेदार होगी।

मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाये। यह बहुत गम्भीर मसला है, यह जन-भावना से जुड़ा हुआ है और यह महत्वपूर्ण न्याय से जुड़ा हुआ है। इसलिये इन दी इन्ट्रेस्ट ऑफ जस्टिस राज्य सरकार को सोचना चाहिये और यथाशीघ्र आज ही फैसला करके सदन में घोषणा करनी चाहिये, यह पर्चे दुबारा री-सेट होंगे और इसकी परीक्षा के लिये करीब एक महीने का समय दिया जायेगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री भैरोंसिंह जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, कल रात को करीब 2 बजे 00 के करीब यह परीक्षार्थी मेरे घर पहुंचे और उन लोगों ने मुझे जानकारी दी कि जो दो व्यक्ति भूख-हड़ताल पर बैठे हुये हैं उनकी स्थिति खराब है हम उनको जयपुर लाकर विधान सभा के सामने लेटाना चाहते हैं। मैंने कहा कि दो बजे हैं मैं इस समय किसी से बात नहीं कर सकता। उनकी सारी व्यथा यह है कि जिस पर मैं समझता हूं कि सदन को कॉग्निजेन्स लेना चाहिये। कोई विद्यार्थी जाति या समुदाय, वर्ग के नहीं है लगभग 5 हजार के करीब विद्यार्थी हैं...

श्री उपाध्यक्ष : गर्वनमैण्ट की ओर से कौन इसको सीरियसली ले रहा है। हू इज दी सीनियर मोस्ट। आचार्य जी, प्लीज टेक नोट ऑफ इट।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जहां तक स्मरण है दिनांक 27 नवम्बर को श्री जे. एम. खान सेवा निवृत्त हुये और 28 तारीख को श्री सिंगारिया को कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया जब यह अध्यक्ष बने तो है तो पब्लिक समिति कमीशन की व्यवस्था की बात लेकिन व्यवस्था यह है कि नये पर्चों का एक सेट सील कवर में, डबल लॉक में रखे जाते है। उपाध्यक्ष महोदय, चैयरमैन चले गये सेवा निवृत्त होकर नये चैयरमैन आये तो उन्होंने डबल लॉक को खोला और उस डबल लॉक के अन्दर इस प्रकार के पर्चे, जो सील कवर में होने चाहिये वह नहीं मिले। नहीं मिले तो पब्लिक सर्विस कमीशन में इसकी चर्चा हुई को पर्चे गायब हैं। अब वह गायब थे या नहीं थे इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन मुझे इतनी जानकारी अवश्य मिली है कि 6 दिन के बाद में ढूंढने पर वह सील कवर में मिल गये। अब कैसे सील कवर थे, किस प्रकार के थे, वास्तव में सील कवर थे या नहीं थे इस बारे में तो पब्लिक सर्विस कमीशन ही कह सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस पर पब्लिक सर्विस कमीशन में चर्चा हुयी और चर्चा होने के बाद मुझे याद है कि दो मैम्बर्स ने इस बात को लिखकर दिया कि यह परीक्षायें क्यों स्थगित की

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

गयीं ? यह पहले तो 10 तारीख को रखी गई थी वह 10 तारीख को स्थगित करके 31 तारीख की रख दी, तो यह परीक्षायें स्थगित क्यों की गई ? उसके ऊपर चेयरमैन ने यह जवाब दिया कि स्थगित इसलिये की गई कि जयपुर में साम्प्रदायिक दंगा हो गया था और उस दंगे जो परीक्षार्थी हैं उनको अध्ययन करने का समय नहीं मिला। उसके बाद में यह पर्चे हुये लेकिन पर्चे होने के बाद जब तीनों के अन्दर चर्चा हुई तो यह राइटिंग में है पब्लिक सर्विस कमीशन के, रेकार्ड में है कि पर्चे लीक हो गये यह उनके रेकार्ड में है। रेकार्ड आप मंगाकर मुझे तो देंगे नहीं लेकिन आप देखना चाहे तो शायद आपको दे दें। आप वह पर्चे देखें तो उन पर लिखा हुआ है पर्चे लीक हो गये। और यह दो मेम्बर्स ने इस रेफरेन्स में लिख रखा है कि जब आपने परीक्षाओं की तिथियां स्थगित कीं उस समय कोई कारण नहीं बताया और अब आप कारण बता रहे हैं कि पर्चे लीक हो गये। दोनों मेम्बर्स ने चैयरमैन को कारण लिखा और लिखने के बाद में फिर यह चर्चा हुई कि पर्चे री-सेट करवाये जाय। चैयरमैन ने, उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे जानकारी है पर्चे री-सेट करने का निर्णय ले लिया और निर्णय लेने के बाद में जब मामला सेक्रेटरी के पास गया तो सैक्रेटरी ने यह आपत्ति की कि नये पर्चे छपवाने में 1 लाख 98 हजार रुपये का खर्चा आयेगा इसलिये पर्चे नहीं छपवाये जायं, यह अनावश्यक खर्चा है। अब प्रश्न यह आता है कि 1 लाख 98 हजार, बाद में मुझे पता लगा कि 1 लाख 98 हजार नहीं यह केवल 1 लाख 30 हजार का खर्चा आयेगा और पेपर्स नये सेट हो सकते हैं। इस बीच यहां जयपुर में एक बार नहीं अनेकों लोगों ने जाकर मुझे कहा कि पेपर्स जो होने वाले हैं वह बीकानेर में और जयपुर में बिक रहे हैं। अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई पेपर्स खरीदने गया नहीं और न खरीदने की मैंने कोशिश की लेकिन जगह-जगह से यह समाचार आ रहे थे कि इस प्रकार से पेपर्स बिक रहे हैं। अब उससे बोर्ड की क्रेडिबिलिटी क्या रहती क्वश्चन क्रेडिबिलिटी का है। हम आज नवयुवकों को सर्विसेज में लेना चाहते हैं और वह यह पेश कर रहे हैं कि पेपर्स लीक हो गये वह केवल यह डिमाण्ड नहीं करते हैं कि साहब हमें पेपर्स आउट करवायें जाये। वह डिमाण्ड यह करते हैं कि हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा सन्देह पैदा हो गया है कि पेपर्स लीक हो गये हैं, पेपर्स लोगों के पास पहुंच गये। इसलिये पेपर्स री-सेट करवाये जायें यह कोई छोटा-मोटा ऐसा झगड़ा नहीं है और 1 लाख 30 हजार कोई खर्चा में समझता हूं कि इस प्रकार का खर्चा नहीं है जो खर्चा पब्लिक सर्विस कमीशन को क्रेडिबिलिटी को बनाये रखने के लिये नहीं किया जा सकता हो। परीक्षा 31 तारीख को है और विद्यार्थी 20 तारीख से आन्दोलन कर रहे हैं। सारे अजमेर में बैठे हुये हैं। अब अजमेर में बैठे हुये हैं वह परीक्षा के सम्बन्ध में तैयारी कैसी कर रहे हैं इसका आप अन्दाजा लगा लें, कोई तैयारी हुई नहीं। सबके दिमाग में अनिश्चितता पैदा हो गई। उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मुझे याद पड़ता है शायद मुख्य मंत्रीजी को या तो मैंने टेलीफोन किया था या पत्र लिखकर भेजा था लेकिन टेलीफोन पर मैंने निश्चित रूप से कहा था कि यह इस प्रकार की चर्चा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

है, इस चर्चा के आधार पर पेपर्स री-सैट करवा लें तो ज्यादा अच्छा होगा । क्रेडिबिलिटी इस कमीशन को बनाये रखें। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में चैयरमैन से बात करके शीघ्र ही निर्णय लेऊंगा । अब वह निर्णय नहीं हुआ और उन पेपर्स जिन पेपर्स के बारे में लोगों में यह भावना बनी हुई है कि यह पेपर्स लीक आउट हो गये उन्हीं पेपर्स के ऊपर परीक्षायें करवायी जा रही है । एक प्रश्न तो आता है पेपर्स री-सैट करने का दूसरा आता है 31 तारीख से कल से परीक्षायें हैं और आज तक वे धरने पर बैठे हुए हैं । आज भूख हड़ताल पर बैठे हुए आदमी और उनके समर्थक हजारों की संख्या में युवक वहां पर खड़े हैं । आप अंदाज लगा लें क्या उन नवयुवकों ने परीक्षा की तैयारी की है, वह तैयारी कर नहीं सकते इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार किन अधिकारों से कर सकती है सकती है तो मैं कह नहीं सकता । पब्लिक सर्विस कमीशन एक आटोनोमस बोर्ड है उसमें हम किस प्रकार से हस्तक्षेप कर सकते हैं लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि सदन की भावना के आधार पर मुख्यमंत्रीजी हस्तक्षेप करके पर्चे री-सैट कराने के लिए और पर्चे कुछ समय के लिए आगे स्थगित करने के लिए इस सदन को आश्वासन दें उसके कारण सरकार को भी लाभ होगा । निश्चित रूप से अच्छे विद्यार्थी पदाधिकारी बनकर हमारे सामने आयेंगे और बोर्ड की क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी । मैं समझता हूं चाहे एक लाख की जगह 20 लाख रुपये खर्च हो जाये हमें पब्लिक सर्विस कमीशन की क्रेडिबिलिटी बनाकर रखनी है । यह प्रश्न क्रेडिबिलिटी का है और इस नाते मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वह जिस प्रकार से उचित समझे उसी प्रकार से हस्तक्षेप करके इस समस्या का समाधान कराये ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सी. पी. जोशी ।

श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस समस्या के सम्बन्ध में माननीय विपक्ष के नेता ने अपने विचार व्यक्त किये और जिस विधानसभा क्षेत्र का आप प्रतिनिधित्व करते हैं । आप स्वयं इस बात को महसूस करेंगे कि पहली बार राजस्थान लोक सेवा आयोग के सम्बन्ध मे इस तरह की स्थिति पैदा हुई । यह स्थिति पैदा हुई इसका मतलब कुछ न कुछ इसमें लोक स्टेडी और प्राइमाफेसी कैस बनता है तो पहली बार पेपर लीक के सम्बन्ध में लम्बे समय से अखबारों में चर्चायें आ रही है । जिस तरह की बात माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने कहा कि चैयरमैन ने एक बात कही, तीनों मेम्बर मिलकर कह रहे हैं कि लीक हुआ उसको सरकार अपने लेविल जांच कर सकती है लेकिन इस बारे में कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता कि क्रेडिबिलिटी ऑफ राजस्थान लोक सेवा आयोग स्टेक पर है इसलिए आप और हम सब का उत्तरदायित्व है कि राजस्थान के नवयुवकों के सामने राजस्थान लोक सेवा आयोग की क्रेडिबिलिटी बनी रहे । इसको बनाये रखने के लिए हम यदि माइनर इनवेस्टमेंट है जो एक लाख 30 हजार रुपये को आधार बनाकर पेपर री-सैट नहीं करते हैं तो यह

(श्री सी. पी. जोशी)

लड़कों के साथ न्याय नहीं है, राजस्थान लोक सेवा आयोग की क्रेडिटिबिलिटी भी ठीक नहीं होगी इसलिए मैं स्वयं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में जैसा माननीय विपक्ष के नेता ने कहा कि यह आटोनोमस बोर्ड है, कैसे हम इन्टर-फियरेंस कर सकते हैं, करें लेकिन नवयुवकों के सामने इम्पार्शियल लोक सेवा आयोग की क्रेडिटिबिलिटी स्टेब्लिश रहे इसलिए परीक्षा भी पोस्टपोन की जानी चाहिए और पेपर भी रिसैट करके एक कांफीडेंस जनरेट किया जाना चाहिए जिससे नवयुवक निश्चित तौर पर इस क्रेडिटिबिलिटी के माध्यम से अपने जोब की एवेन्यू को अवेल करने के लिए इस परीक्षा में बैठ सकें अन्यथा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने अभी-अभी रिक्रूटमेंट खोला है । रिक्रूटमेंट नहीं हो रहे हैं पिछले 10 साल से और रिक्रूटमेंट की एक एजेन्सी है उसकी क्रेडि-टिबिलिटी स्टेक पर होगी तो नवयुवकों के लिए अच्छी परम्परा ठीक ढंग से लागू नहीं होगी इसलिए मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में निश्चित तौर पर ऐसी कुछ व्यवस्था करें जिससे राजस्थान लोक सेवा आयोग की क्रेडिटिबिलिटी भी स्टेब्लिश हो और विद्यार्थियों के सामने जो स्थिति पैदा हुई है इस समस्या का निराकरण ठीक ढंग से हो सके, परीक्षा पोस्टपोन हो सके और पेपर री-सेट करने की आवश्यकता हो तो निश्चित तौर पर इस सम्बन्ध में सरकार को कदम उठाने चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय देवपुरा जी ।

श्री हीरालाल देवपुरा (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में जिस विषय पर यहां चर्चा की जा रही है वह चिन्ता का विषय है । राजस्थान लोक सेवा आयोग की क्रेडिटिबिलिटी बनी रहनी चाहिए । पर्चे लीक आउट हुए, क्यों हुए ? कैसे हुए ? यह अलग से जांच का विषय है लेकिन यह सही है कि वातावरण ऐसा बन गया है कि पर्चे लीक आउट हुए हैं । युवकों में नाराजगी है, कल से परीक्षा होने वाली है । राजस्थान सरकार ने इसको महसूस किया है और यह फैसला किया है कि परचे री-सैट करवायें जाये और साथ ही साथ री-सैट करवाने के आधार पर जो री-शिड्यूल्ड बने परीक्षाओं का उसको भी री-शिड्यूल्ड किया जाय अर्थात् कल से परीक्षायें न होकर के वह री-शिड्यूलिंग के आधार पर जो नई तारीखें तय हों उस पर परीक्षायें हों । मैं समझता हूँ यह आवश्यक भी था और सदन की भावना भी है इन भावनाओं की कद्र करते हुए सरकार ने यह फैसला किया है ।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद । माननीय मुक्तिलाल मोदी

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

श्री मुक्तिलाल मोदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मेरा 295 के अन्तर्गत प्रस्ताव है । कोटपूतली के अन्दर एक को-आपरेटिव सोसाइटी है और बिजली की को-आपरेटिव बनी हुई है और मैंने कई दफा विधानसभा में कहा कि बिजली की को-आपरेटिव सोसायटी को खत्म कर दिया जाय क्योंकि वहां पर एक छत्र राज हो रहा है । इधर से उधर ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं लड़ाई-झगड़े होते हैं और पुलिस थानों के अन्दर रोजाना केस दर्ज होते हैं उसके बावजूद भी बिजली की सोसायटी तो है परन्तु जो

(श्री मुक्तिलाल मोदी)
स्टेशन चाहिए 11 हजार. के. वी. का, 33 हजार के. वी. का राजस्थान सरकार उसको लगाती है तो कई दफा इस बात के लिए मैंने सदन में भी कहा, लिखकर भी दिया कि वहाँ पर पावटा और कोटपूतली के बीच में 11 हजार, 33 हजार के. वी का सब स्टेशन बनाया जाय और उसके लिए इस सरकार ने प्रपोजल भेजा फिर उस प्रपोजल को खत्म कर दिया उससे क्या है कि 18 किलोमीटर की दूरी के अन्दर पावटा और कोटपूतली के बीच में जो बिजली के कनैक्शन पड़ते हैं उनको बहुत बड़ी भारी दिक्कतें होती है तो मेरा यह सरकार से कहना है कि वहां पर इसके बीच में एक 33 हजार के. वी. का सब-स्टेशन बनाया जाय और जल्दी से जल्दी बनाया जाय जिससे कि किसानों को जो बिजली नहीं मिल रही है। कभी लाइन खराब हो जाती है, कभी ट्रांसफार्मर जल जाता है, कभी कनैक्शन तो ज्यादा हैं और बिजली कम मिलती है और कभी बिजली खेतड़ी से आती है, कभी अलवर से आती है, कभी दूसरी जगह से आती है, चम्बल से आती है तो मेरा आपसे यह विनम्र निवेदन है कि आप 33 हजार के. वी. का सब-स्टेशन वहाँ गोवर्धनपुरा चौकी के अन्दर बना दें जिससे कि किसानों को जो बिजली की परेशानी है, वह दूर हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गणेशलाल बैरागी।

श्री गणेशलाल बैरागी (हिण्डोली) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस क्षेत्र से मैं जीतकर आता हूँ वह एक बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और उस इलाके में बहुत ही गरीब किसान रहते हैं और मैं निरन्तर पांच साल तक लगातार सरकार के सामने यह निवेदन करता रहा हूं। मेरे इलाके में जहां-जहां छोटे बांध सिंचाई की दृष्टि से बांधे जा सकते हों, बांधे जाने चाहिए लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, निरन्तर प्रयास करने के बाद भी और विभिन्न तरीकों से इस सरकार के सामने निवेदन करने के बाद भी आज तक भी मेरी बातों को सरकार ने ठीक प्रकार से सुना नहीं है और आज की परिस्थितियों में मैं यह मानता हूं कि यह सरकार कुछ कहने की स्थिति में नहीं है लेकिन फिर भी जिस प्रकार से आपा-धापी में घोषणायें तो कर रही है, मैं यकीन करता हूँ कि इस तरह की घोषणा पर सरकार कुछ न कुछ करेगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में पांच-सात बांधों के सर्वे हुए हैं और सर्वे होने के बाद आपके मंत्रिमण्डल के माननीय मंत्री जी मेरे क्षेत्र में गये हैं और जाने के बाद भी उन्होंने सलावलिया और मेंडी जो दो परियोजनायें सिंचाई की दृष्टि प्रारम्भ होने वाली थी उनके बारे में सार्वजनिक स्तर पर ये घोषणायें की इस चुनाव के पहले कि आपके यहां एक महीने के अन्दर काम प्रारम्भ हो जावेगा....

(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (राज्य मंत्री) : हीरालाल जी आर्य साहब, आप बीच में नहीं बोलें। आपको पता है क्या वे क्या ? कह रहे हैं ? आपको पता ही नहीं है और बोले जा रहे हैं। इस प्रकार की कोई सार्वजनिक घोषणायें यहां मैंने नहीं की।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठिये आप।

श्री गणेशलाल बैरागी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात तो मैं स्पष्ट करूं कि मंत्री जी शायद अपने बारे में समझ गये हों। अभी नये-नये बने हैं, चमड़े के सिक्के चला रहे हैं। मैं यह स्पष्ट करूँ कि....

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बहुत बोल लिए। पढ़ लीजिए अब आप।

श्री गणेशलाल बैरागी : यह उनके बारे में बात नहीं है। इनसे पहले हमारे विभाग के मंत्री हुआ करते थे माननीय रामकिशन जी वर्मा, वह गये थे उन्होंने सार्वजनिक स्तर पर यह घोषणायें की थीं। मेंडी में जाकर के कि आपके यहाँ एक महीने में काम प्रारम्भ कर दिया जायेगा, वह आज तक नहीं हुआ। अब ये + + +वाली बातें है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई घोषणायें कर रहे हैं, चमड़े के सिक्के चला रहे हैं इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हरिमोहन जी आप क्यों विचलित हो रहे हैं।

आपसे कोई कन्सर्न ही नहीं है।

माननीय सदस्य, प्लीज सिट डाउन।

(व्यवधान)

श्री गणेशलाल बैरागी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निरन्तर निवेदन करता रहा हूँ कि यह सरकार जो बाहरी सरकार है, गूंगी तो है ही और अगर मैं यह कहूँ कि यह विकलांग सरकार है आज तक भी किसानों के हित में कोई फैसला नहीं कर सकी है लेकिन फिर भी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा यह दायित्व बनता है कि मैं बार-बार इस सरकार को इंगित करता रहूं। इसी सन्दर्भ में मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री फूलचन्द जी।

अब आपने पढ़ लिया।

श्री गणेशलाल बैरागी : उपाध्यक्ष महोदय, मूल बात तो आई नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : एक्सटेम्पोर इतना बोलने के बाद भी आप पढ़ेंगे।

श्री गणेशलाल बैरागी : दो मिनट लिये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट और।

श्री उपाध्यक्ष : you will have to co-operate.

श्री गणेशलाल बैरागी : दस लाईन हैं पढ़ कर सुनाता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : जल्दी करिये।

श्री गणेशलाल बैरागी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र

+ + +अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री गणेशलाल बैरागी)]

हिण्डोली में छोटे-छोटे कृषक हैं, अलावा जनता शासन के इस क्षेत्र में कांग्रेस दल के शासन काल में छोटे किसानों को पानी की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कभी ध्यान दिया ही नहीं। पिछले 5 वर्षों में भरसक प्रयास करने के बावजूद जिन स्थानों पर छोटे बांध बनाये जा सकते हैं उनका सर्वे अभी तक पूरा नहीं हुआ है। गाँव में कुछ बाँधों का सर्वे पूरा हुआ है जिनमें सलावलिया, मेंडी, डाटून्दा, किशनपुरा प्रमुख हैं इन बाँधों का निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ हो जाना चाहिये था किन्तु जान-बूझ कर इनका निर्माण नहीं किया जा रहा है। जिससे गरीब किसानों की हालत बदतर होती जा रही है। इसी प्रकार नारायणपुरा, पगारा बाँध का शिलान्यास मात्र चुनाव के लिये कर दिये गये किन्तु लाखों रुपया खर्च करके उनको अधूरा छोड़ दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार यद्यपि अपना जनसमर्थन खो चुकी है और मात्र थोथी घोषणायें कर रही हैं किन्तु पाँच वर्ष के शासन काल में कभी भी किसानों की भलाई का कार्य नहीं किया है और हमेशा किसानों का शोषण किया है। अब भी यदि इस सरकार में तनिक भी नैतिकता है तो तुरन्त सलावलिया, मेंडी, डाटून्डा बांधों का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो किसानों का शोषण हो रहा है और दूसरी तरफ सिंचाई खण्ड बूंदी में लाखों रुपये का घोटाला हो रहा है जिसकी कोई जाँच यह अकर्मण्य सरकार नहीं कर रही है जिस कारण ऐसा आभास हो रहा है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों का ऊपर तक सम्बन्ध बना हुआ है।

कृषकों के प्रति इस सरकार का उपेक्षा-पूर्ण रवैया रहा है। यह भयंकर रूप से निंदनीय है। यदि तनिक भी शर्म है तो इस सरकार को सलावलिया, मेंडी, डाटून्दा बांधों का निर्माण कार्य अविलम्ब प्रारम्भ करना चाहिये। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री फूलचन्द जी।

श्री फूलचन्द गुर्जर (नीम का थाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नियम 295 के तहत सीकर जिले के नीम का थाना क्षेत्र का एक मामला है जो केवल मात्र बिजली पर निर्भर करता है सिंचाई के और कोई साधन नहीं है। प्रस्ताव है नीम का थाना विधान सभा क्षेत्र में विद्युत सप्लाई पूरी व नियमित न मिलने से हो रहे असन्तोष के क्रम में।

महोदय, निवेदन है कि नीम का थाना विधान सभा क्षेत्र में विद्युत सप्लाई का समय अनिश्चित व भारी कमी के कारण काश्तकार बहुत चिन्तित हैं। जबकि रबी की फसल का इस समय पिलाई का काम चल रहा है। विद्युत सप्लाई का समय विभाग की तरफ से निश्चित नहीं है तथा सर्दी के इस भयंकर समय में भी

(श्री फूलचन्द गुर्जर)

बिजली की सप्लाई रात्रि में ही अधिक समय दी जा रही है। रात्रि सिंचाई कार्य से भी किसान दुखी हैं तथा उक्त क्षेत्र में कई जगह ट्रान्सफार्मर जल गये हैं जिससे बिजली की सप्लाई पूर्ण रूप से नहीं हो रही है। किसानों की विद्युत सप्लाई में अवरोध होने से भारी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा कई जगह कम क्षमता के ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं जिससे सभी किसानों के कुओं पर बिजली सप्लाई का समय अवरोध होकर अनिश्चितता में पड़ जाते हैं। कृषि कूपों पर पूरी सप्लाई नहीं हो पाती है। विद्युत लाईन खराब पड़ी है तथा ट्रांसफार्मर या मीटर वगैरह जलने के बाद कृषकों को भयंकर परेशानी है। इसी के साथ-साथ सभी लाइनों पर हैल्परों की ड्यूटी नहीं है। इसके अलावा सात-आठ साल से किसानों ने विद्युत कनेक्शन के फार्म भर रखे हैं परन्तु आज तक किसान कनेक्शनों के इन्तजार में बैठे हैं। किसानों को पूर्ण रूप से कृषि कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। अतः मैं नियम 295 के तहत माँग करता हूँ कि विद्युत सप्लाई कम से कम 12 घण्टे तक दी जाये विद्युत सप्लाई का समय ब्योरा पंचायत कार्यालय पर चिपकाया जाये। किसानों को बिजली देने के समय की निश्चित सूची बनाई जाये। जले हुये ट्रांसफार्मर तुरन्त नये बदले जायें। किसानों के पुराने विद्युत कनेक्शन प्रार्थना पत्रों पर तुरन्त कार्यवाही की जावे। किसानों का कनैक्शन सुविधा में पोल चार्ज खत्म किया जावे और लघु और सीमान्त काश्तकारों की जो प्रायोरिटी बनाई है उसको तोड़ा जाये। सभी किसानों के जिन्होंने बिजली के कनेक्शन के फार्म भर रखे हैं उनको कनेक्शन दिये जायें। इसलिये जब तक किसानों को विद्युत सप्लाई सही माने में नहीं मिलेगी, रबी की फसल में उनको बहुत चिन्ता लगी हुई है। अतः मैं आपकी मार्फत निवेदन करता हूँ कि आप इस विद्युत सप्लाई की सही व्यवस्था करिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल।

श्री फूल चन्द गुर्जर : उपाध्यक्ष महोदय, कल मैंने शालाओं के बारे में भी एक प्रश्न लगाया था। शाला सत्र अब खत्म होने जा रहा है लेकिन विषय अध्यापकों की भयंकर कमी है और शालाओं में विषय अध्यापक नहीं होने से आने वाले परीक्षा फल पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं शिक्षा मंत्री से निवेदन करूँगा कि विषय अध्यापक सभी शालाओं में लगाये जायें ताकि आने वाले परीक्षा फल में उसका प्रभाव पड़े और शालाओं में अध्यापकों की कमी दूर हो। यह मेरी आपसे माँग है।

श्री उपाध्यक्ष : Kindly read it. Please.

कृपया पढ़ें।

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल (निवाई) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो मैं रैफरल अस्पताल का मामला आपके जरिये उठा रहा हूँ यह मैं लगभग सदन में चार बार उठा चुका हूँ ..

श्री उपाध्यक्ष : आपको जबाब भी आ चुका है।

श्री ग्यारसीलाल परिड़वाल : मेरे यहाँ इतनी बड़ी सिटी होते हुए भी रैफरल अस्पताल नहीं खोला गया इसलिये मेरा निवेदन है।

महोदय, निवाई नगर जो जिला टोंक का सबसे बड़ा कस्बा औद्योगिक नगरी जहां तहसील, पंचायत समिति 'ए' क्लास पुलिस थाना इतना सब होने के बाद भी बार-बार मेरे द्वारा विधान सभा सत्र में रैफरल अस्पताल खुलवाने के लिये निवेदन कर चुका हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, निवाई नगर में मात्र दो डाक्टर्स कार्यरत हैं। दवाईयों का अभाव है, दवाइयां नहीं हैं और भी किसी तरह के साधन नहीं है। एक्सरे आदि का कोई साधन नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, वहाँ जनता परेशान होकर मजबूर होकर जब वहाँ दवाइयों की पूरी सुविधा नहीं है, वहाँ डाक्टरों की पूरी सुविधा नहीं होने के कारण मजबूर होकर मरीज प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाते हैं और वे मनमाना पैसा उनसे वसूल करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यहां तक कि जच्चा-बच्चा के लिए भी कोई सुविधा नहीं है कोई प्रसूति गृह नहीं है जिससे जच्चा को कोई सुविधा मिले। आये दिन डिलवरी केस जो बहुत ही दुविधा की स्थिति में होते हैं निवाई नगर में रैफरल अस्पताल नहीं होने के कारण और पूरे साधन नहीं होने के कारण उनको टोंक या जयपुर में भेजना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, वहाँ एक्सरे की सुविधा नहीं है। वहाँ नेशनल हाई-वे होने के कारण एक्सीडेण्ट होते हैं उनको वहां पूर्ण सुविधा नहीं होने के कारण एक्सीडेण्ट हुए लोग मर जाते हैं। निवाई नगर का कोई धणी-धोरी नहीं है। जनता परेशानी महसूस करती है। इसलिये मेरा निवेदन है और मैंने महसूस किया है कि मैं एक विरोधी दल का विधायक होने के नाते मेरे साथ वहां राजनैतिक भेदभाव किया जाता है। मैंने इस प्रश्न को कई बार उठाया है लेकिन कोई सुनाई नहीं होती है और राजनैतिक भेदभाव मानकर निवाई नगर में रैफरल अस्पताल नहीं खोला गया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि वहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या को देखते हुये यहाँ रैफरल अस्पताल खोला जाये। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री हरीशजी शर्मा।

श्री हरीश शर्मा (खानपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत भरा हुआ हूं दिल से। पांच साल से लगातार भीषण अकाल है, कुएं सूख गये, हैण्ड पम्पस में पानी नहीं आ रहा है। सन् 88 में पंचायत समिति अन्ता की काचरी लिफ्ट स्वीकृत की थी उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिये 1·45 लाख रुपये स्वीकृत कर दिये। उपाध्यक्ष महोदय, इसका कार्य भी चालू हो गया। खेतों में जब फसल खड़ी थी, वहाँ के किसानों के खेत अवाप्त कर लिये गये। खेत अवाप्त करके उन फसलों में लिफ्ट खोद दी लोगों में बड़ी खुशी हो रही थी, मिठाइयां बांटी थी, उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे खेत लहलहायेंगे, पानी आयेगा। खेत खुदने के बाद तत्काल सरकार को ध्यान आया कि लिफ्ट तो हाड़ौती में खुद रही है, हाड़ौती हमारा विद्रोही क्षेत्र है, लिफ्ट कैसे खुद

(श्री हरीश शर्मा)

जाय। बीच में काम छोड़ करके जबकि लिफ्ट पूरी खुद चुकी थी, लाइनिंग और मैन हैड दो काम बाकी थे, तत्काल पैसा वहां से इन्दिरा गांधी नहर में भेज दिया गया। इतना बड़ा अन्याय हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, तब से आज तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। न मुआवजा मिला है और न लिफ्ट का काम चला। परिणाम यह हुआ, मैं विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा, किसी में अगर हृदय हो, चार साल तक जो किसान फसल नहीं ले पाये हैं, खुदी हुई लिफ्ट की जगह में से, उसका जिम्मेदार कौन है। उसका मुआवजा कौन देगा ? पहले का भी मुआवजा नहीं मिला है। उपाध्यक्ष महोदय इसी प्रकार इस लिफ्ट में 20 लाख रुपये सरकार खर्च कर चुकी है तब बन्द किया काम। इसको कौन समझदार सरकार कहेगा यह उतरे घड़े की सरकार है जिसमें कोई दम ही नहीं है।

(व्यवधान)

बीस लाख रुपये खर्च कर चुके थे। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपसे विनम्रता से कहना चाहूंगा किस प्रकार से हाड़ौती के ऊपर एक के बाद दूसरा कुठाराघात किया गया है योजनाबद्ध तरीके से। सौर खण्ड लिफ्ट जिसमें 25 लाख रुपया खर्च हो गया था····

श्री उपाध्यक्ष : आप तय कर लें, आप बोलने के बाद फिर पढ़ेंगे ? यह तय कर लीजिये आप बोल लें भले ही, मुझे एतराज नही है।

एक माननीय सदस्य : भरोसा करो साहब।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, भरोसा है इन पर आप पर भरोसा नहीं था, इन पर भरोसा है।

श्री हरीश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे बस एक शिकायत है कि नियामत ने आपको मुस्कान नहीं दी, आपको हृदय नहीं दिया, बड़ी-बड़ी आंखें दी हैं जिससे मुझे डर लगता है।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे में हृदय नहीं होता, आपसे यह प्रश्न ही नहीं करता मैं।

I know your difficulty. I under stand your difficulty, that's why I told you.

श्री हरीश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आप देख लीजिये, मैंने जो दिया है उसके बाहर बोला क्या मैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो बोलते जाइये धारा प्रवाह।

श्री हरीश शर्मा : इसी प्रकार सौर खंड लिफ्ट जो पूरी खुद चुकी, देखिए तमाशा कि लिफ्ट पूरी खुद चुकी, खेत में से खुद गई तब से चार साल से मुआवजा नहीं दिया गया एक पैसा। अकाल की मार पड़ रही है। अकाल की मार और सरकार की मार, दोनों की मार के बीच किसान वहां का पिस गया। यह कह देना चाहता हूं, आप कितना ही पैसा दो, हाड़ौती के किसान को

(श्री हरीश शर्मा)

वह आपके पक्ष में आज आयेगा, न कल आयेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आप देखिये, एक और उदाहरण देता हूं आपको। एक हमारे यहां गणेशगंज लिफ्ट योजना है। वह पूरी बन गई। बने हुए दो साल हो गये। सारा काम तैयार है। लेकिन कोई ऐसा भयंकर हाथों वाला मंत्री नहीं मिला सिंचाई विभाग को जो उसका उद्‌घाटन करता और वह लिफ्ट चलती। उद्‌घाटन के पीछे किसानों के खेत पानी के लिये तरस रहे हैं। उसको बिजली कनेक्शन नहीं दिया गया। धिक्कार है इस सरकार पर। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा, एक गणेशगंज लिफ्ट योजना जो पूरी तैयार हो गई, मैन हैड बन गया, लाईनिंग हो गई, केवल पानी देना बाकी है, उद्‌घाटन के पीछे आप किसानों की हत्या क्यों कर रहे हैं? बताइये यह बात आप। आप किसान के मुंह की रोटी क्यों छीन रहे हैं? उद्‌घाटन के पीछे, बिजली कनेक्शन के पीछे? उपाध्यक्ष महोदय, आप देखिये, अकाल में सहायतार्थ हमारे यहां दो सड़कें मंजूर की। अन्ता से कांचरी चार किलोमीटर, बोरदा से कुंजर। जिसको स्वीकृत किये एक साल हो गया। लेकिन अब तक टेण्डर नहीं हुए हैं, यह क्या है? यह हाड़ौती पर अत्याचार है, कुठाराघात है सरकार का जान-बूझकर योजनाबद्ध तरीके से।

श्री उपाध्यक्ष : Now you have gone beyond it.

श्री हरीश शर्मा : दुख की बात है किसानों को खुश करते हैं और वहां पहले तो धन आवंटित करते हैं और वह धन अन्य योजनाओं में जाता है जिसमें इनको वोट मिलते हैं। इसी प्रकार से मेडिकल कालेज में एक दिन का प्रिंसिपल बैठा दिया और लड़कों से वाहवाही ले ली।

श्री उपाध्यक्ष : You are going beyond again.

फिर कह रहे हैं मैं पढूंगा, वह करूंगा।

श्री हरीश शर्मा : नहीं सर, यह बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी दो बातें थीं, एक तो कार्य शुरू नहीं हुआ है और एक का उद्‌घाटन नहीं हुआ है। दोनों बातें आपने कह दीं।

श्री हरीश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी ही बात मैं कहने जा रहा हूं। जो आपके दिल में है वही बात कह रहा हूं। नहीं, मर्जी आये जो नहीं है। एक-एक बीघा के खेत थे वह लिफ्ट में चले गये। कांचरी लिफ्ट में, सौर खण्ड लिफ्ट में उसका मुआवजा नहीं दिया गया। लोग फसलें नहीं कर पा रहे हैं। उनके बच्चे-बच्ची पढ़ नहीं पा रहे हैं स्कूल में। उनको दूध नहीं मिल रहा है। उनके पैसे छीन कर इन्दिरा गांधी नहर को दे दिये गये। यह क्या न्याय है, यह क्या न्यायोचित है? और अगर शीशरामजी ओला यहां हो तो गये सत्र में मेरा आया है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, मंजूर हो गया था, जवाब आ गया था, ओलाजी ने मुझे

(श्री हरीश शर्मा)

खड़े होकर कहा था, यह वापस ले लो, मैं बच्चे की सौगंध खाता हूं, मैं वचन देता हूं यह पैसा मिलेगा इस लिफ्ट को। वह आज तक पैसा नहीं दिया गया। यह वचन खोर मंत्री शीशराम ओला जिसने मुझे धोखा दिया, हाड़ौती को धोखा दिया। यह कहा मुझसे अध्यक्षजी के सामने जो गिरिजाप्रसाद तिवारी है, उनके सामने कहा मुझसे कि मैं वचन देता हूं, मेरे बच्चे की शपथ खाता हूं, यह आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव वापस ले लो मैंने उनकी बात मानी, वापस लिया और पैसा नहीं मिला। जब की काचरी लिफ्ट को 75 लाख रुपये की आवश्यकता है, सौर खण्ड लिफ्ट को 30 लाख रुपये की आवश्यकता है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप को-आपरेट करिये।

Not to be recorded.

श्री हरीश शर्मा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मेघवाल जी आप बैठें।

श्री हरीश शर्मा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : Not to be recorded.

अब समाप्त करें आप। माननीय सदस्य बैठें आप। आप कतई को-आपरेट नहीं करना चाहते हैं। दस बार तो रिपीट कर चुके हैं आप इस बात को।

श्री हरीश शर्मा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बिरदमल जी सिंघवी। प्लीज सिट डाउन। को-आपरेट करिये। यह क्या इंस्टीगेट करते हैं। आपकी कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही है। Your speech is not being recorded.

बैठिये आप, प्लीज सिट डाउन।

श्री हरीश शर्मा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : आपकी रिकार्ड नहीं हो रही है कोई बात। कोई बात रिकार्ड नहीं हो रही है। आप बैठिये अब। आप सदन की स्थिति देखिये। बैठिये आप।

श्री हरीश शर्मा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बिरदमल जी सिंघवी। प्लीज सिट डाउन नाउ। हरीश जी बैठें आप। आपकी बात कोई रिकार्ड नहीं हो रही है।

I will name you now.

अब आपको नेम करूंगा मैं। को-आपरेट करिये।

एक माननीय सदस्य : × × ×

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री हरीश शर्मा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : हरीश जी बैठें। माननीय बिरदमलजी सिंघवी। हरीशजी, बैठिये आप। मजबूर ना करें मुझे। अब बैठें आप।

श्री हरीश शर्मा : × × ×

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। मैं सचेतक से निवेदन करूंगा कि आप सदस्य को कंट्रोल करें। सचेतक बी. जे. पी. प्लीज बैठें आप।

श्री हरीश शर्मा : × × ×

(1·00 म० प०)

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बैठें तो कहूंगा। हरीश शर्मा द्वारा दो मुद्दे उठाये गये। एक तो लिफ्ट कैनाल की परियोजना चालू नहीं की गई है और एक योजना जो तैयार पड़ी है उसका उद्‌घाटन करने की देरी है। मैं राज्य सरकार से कहूंगा कि इन दोनों पर तुरन्त कार्यवाही करके हाउस को इन्फार्म करें।

श्री हरीश शर्मा : जवाब नहीं आया। सरकार ने मुझे वचन दिया था, वादा किया था। यह नहीं होगा + + +

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। यह कोई बात नहीं है। 295 में इस प्रकार से बात करने की बात नहीं होती है।

(व्यवधान)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : योजना बनकर तैयार पड़ी है। सरकार उसको करना नहीं चाहती है....

श्री उपाध्यक्ष : यू डोन्ट वान्ट टू को आपरेट....

(व्यवधान)

हरीश जी इस तरह से कोई बात नहीं आएगी।

श्री हीरालाल आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, वहां अकाल की स्थिति है। नहर से पानी देकर किसानों को बचाया जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष : हरीश जी, माननीय सदस्य, आसन से सहयोग करें। आप बैठिये।

श्री हरीश शर्मा : वहां कुए, बावड़ी सूख गये। हैण्ड पम्पों में पानी नहीं आ रहा है...

श्री उपाध्यक्ष : नोट टू बी रिकार्डेड।

श्री हरीश शर्मा : × × ×

× × × माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हरीशजी और माननीय बी. जे. पी. के सचेतक महोदय से नम्र निवेदन है कि जिस तरह से हरीश जी आसन को बाध्य करना चाहते हैं, अपनी बात को थोपना चाहते हैं सदन पर यह नहीं चलेगा ।

श्री हरीश शर्मा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : नाऊ यू सिट डाउन । आपकी तरह और भी सभी माननीय सदस्यों की समस्याएं हैं । सभी अपनी समस्या यहां कहने आये हैं । कृपया बैठें ।

श्री हरीश शर्मा : ×××

श्री हीरालाल आर्य : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बैठें । माननीय रमजान जी, बैठें । मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं । माननीय हरीश जी, 295 की कुछ परम्पराएं हैं, कुछ लिमिटेशन्स हैं उसमें आज आपने नोटिस दिया है । मैंने राज्य सरकार को उसमें बाध्य किया है कि वह तुरन्त इस पर कार्यवाही करे । सदन को सूचित करे, असेम्बली को सूचित करे । यों हरीश जी देखिए, हाउस को मुझे चलाना है आप इस तरह से मेरे पर अपनी बात को थोप कर चलाने का प्रयास करेंगे तो यह नहीं होगा । इसलिए आप सभी लोग सहयोग करें और हर एक सदस्य की अपनी-अपनी समस्याएं हैं । अगर इस तरह से हर एक अपनी समस्या को आसन पर थोप कर काम कराने का प्रयास करेंगे तो यह सदन नहीं चल पाएगा । इसलिए सहयोग करिये । मैंने आपको बियोण्ड लिमिट अलाऊ किया आपने पढ़ना नहीं चाहा, इस पर एक्सटेम्पो बात की उसके बाद भी आप बाध्य होकर कहना चाहते हैं कि राज्य सरकार से अभी कमिटमेंट लूं तो यह 295 की परम्पराओं में नहीं आता है । फिर भी मैंने डायरेक्शन्स दिये हैं । उनकी अनुपालना होगी ऐसा मुझे विश्वास है । अब आप शान्त रहें ।

श्री हरीश शर्मा : धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बिरदमल सिंघवी ।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) : उपाध्यक्ष जी, मैं जिस समस्या का उल्लेख करना चाहता हूं वह है जोधपुर की पेयजल समस्या पानी की कमी के कारण समस्या हो यह बात तो समझ में आती है परन्तु इस बार जो हमारी पेयजल की, जल वितरण की समस्या है वह केवल राजनीति का शिकार हो रही है इस कारण मुझे कहना पड़ रहा है ।

चुनाव के ठीक पहले क्योंकि पी. एच. ई. डी. के मंत्री जी वहां प्रत्याशी थे । उन्होंने नित्य पानी देने की घोषणा की । जवाई में पानी पर्याप्त था यह देख कर उन्होंने वोट लेने की नीयत से कहा कि जोधपुर की पब्लिक को हमेशा पानी दिया जाएगा और हमेशा पानी मिलने लगा दो महीने तक पानी बराबर आया परन्तु ज्योंहि वह हारे और जोशीजी की सरकार आई उसी दिन से

××× माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री विरदमल सिंघवी)

पानी एक समय कर दिया गया। इसलिए यह समस्या राजनीति का शिकार हो गई है। इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आप भी अजमेर नगर के हैं। आप भी पानी की तकलीफ जानते हैं शहर में किस प्रकार की होती है इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, कि बिना पानी की कमी के हमको तकलीफ दी जा रही है उसको कम से कम हटाइये।

दस लाख की आबादी का जोधपुर शहर पानी के वितरण की अव्यवस्था के कारण त्राहि-त्राहि कर रहा है। जोधपुर शहर में पानी का वितरण फिर से इकांतरे अर्थात् दो दिन में एक बार करने से जनता को भारी कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। सर्दी के मौसम में ही यह स्थिति है तो आगे क्या होगा यही चिन्ता लोगों को सता रही है। रात को लोग 1-1, 2-2 बजे तक जागते हैं सर्दी के मौसम में कि कब पानी आएगा और कब भरेंगे और ठण्ड में उनको पानी भरना पड़ता है। कभी एक घण्टे दिया कभी दो घण्टे दे दिया और कभी दो दिन में केवल एक बार देते हैं और टेल एण्ड पर तो पहुंच ही नहीं पा रहा है। इकांतरे जल वितरण का कोई औचित्य नहीं है। जवाई बान्ध में पर्याप्त पानी है और पानी होते हुए भी उसे पेयजल के लिए आरक्षित रखा जाता है तो अगले 8 माह तक कोई कठिनाई आने वाली नहीं है। इकांतरे जल वितरण के पीछे केवल दूषित राजनीति है। लोक सभा चुनावों में कुछ समय पूर्व ही तत्कालीन पी. एच. ई. डी. मंत्री जी ने जो वहां लोक सभा के कांग्रेस के प्रत्याशी थे, चुनाव के प्रलोभन के रूप में रोजाना जल वितरण की व्यवस्था करवाई। वोट लेने के लिए उन्होंने कहा कि हमेशा पानी दिया जायेगा। उस समय यह तो देखा ही गया होगा कि आगे जल वितरण के लिए पानी पर्याप्त है। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से, कांग्रेस प्रत्याशी को जोधपुर की जनता ने रिजेक्ट कर दिया। इस हार से खीज कर बदले की भावना से चुनाव समाप्त होने के बाद फिर से पानी इकांतरे किया। माथुर मंत्रिमण्डल के बदलने के साथ, ज्योंहि जोशी मंत्रिमण्डल आया, 4 दिसम्बर को जोशी जी ने शपथ ली और उसी दिन से यह कर दिया। यह बताने की कोशिश की कि मैं मंत्री नहीं रहा, माथुर साहब नहीं रहे, जोशी जी आये हैं इसलिए उनके राज में ऐसा ही होगा। उनको बदनाम करने के लिए उसी दिन से पानी इकांतरे किया गया है और यह धारणा उत्पन्न की गई कि जोधपुर की जनता को कांग्रेस को परास्त करने के कारण और जोशी मंत्रिमण्डल के आने के कारण कष्ट भोगना पड़ा है।

इस गुटबाजी की राजनीति का परिणाम जोधपुर की जनता को भोगना पड़ रहा है। जोधपुर की जल समस्या हमेशा गुटबाजी की राजनीति की शिकार रही है। जोधपुर लिफ्ट योजना का स्वरूप और आकार हर नये मंत्री के साथ बदलता गया। खेतसिंह जी, माधवसिंह जी और नरेन्द्रसिंह जी भाटी आये उनके साथ-साथ इसका आकार हमेशा बदलता गया और उसका परिणाम यह हुआ कि किसी भी

(श्री बिरदमल सिंघवी)

एक योजना पर काम नहीं हो सका । जो लिफ्ट अब तक आ जानी चाहिए थी वह अगले पांच वर्ष तक भी आने की कोई सम्भावना नहीं है । यह कहा जाता है कि माधवसिंह जी दीवान ने घोषणा की थी कि 89 के अन्त तक नहीं आई तो त्याग पत्र दे दूंगा परन्तु जिस गति से काम चल रहा है मैं विश्वास, के साथ कह सकता हूँ कि पांच वर्ष तक इस सरकार में यह आने की कोई हालत नहीं बन रही है । अभी न तो पम्पिंग सैट का पता है, न विद्युत का पता है । ईटों का भी उत्पादन बराबर नहीं हो रहा है । नहर की खुदाई भी बड़ी मन्थर गति से चल रही है । अपेक्षित राशि का कोई प्रावधान नहीं किया गया है । लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं । जोधपुर की जनता को दुख: यह होता है कि राजनीति के शिकार होने के कारण हमको दुख भोगना पड़ रहा हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : हम दोनों ही दुःखी हैं ।

श्री बिरदमल सिंघवी : जोधपुर नगर के प्रति सरकारी उदासीनता का इमसे भी ज्ञान हो सकता है कि किले के पास जो स्टाक रिजरवायर बनाने का प्रस्ताव है....

वह अभी विभागीय स्तर पर ही अधर भूल में लटक रहा है । एक लाख की जनसंख्या को इस रिजरवेयर से ठीक प्रेशर से पानी मिल सकेगा । पिछले वर्ष पाइप लाइनों के बदलने व वितरण व्यवस्था में सुधार के लिए जो 50 लाख के प्रस्ताव आए उसमें केवल 25 लाख की राशि भेजी गई इससे काम अधूरा रह गया ।

उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर की जल वितरण व्यवस्था में तुरन्त सुधार नहीं हुआ तो इसके गम्भीर परिणाम होंगे और राज्य सरकार से मेरा आग्रह है उपाध्यक्ष महोदय, एक तो यह पानी जो इकांतरे कर दिया गया है इस सर्दी में अभी पर्याप्त होने पर भी इकांतरे पानी न रख कर नित्य प्रति वितरित किया जाय । लोगों के पास इतना स्टाक रखने का साधन ही नहीं है, बड़ी तकलीफ होती है और अभी, पानी नहीं हो तब तो हम पिछले वर्ष स्वीकार ही कर रहे थे परन्तु जब दे सकते हैं तो यह जानबूझकर परेशान करने के लिए इकांतरे कर रहे हैं, यह बहुत बुरी बात है ।

दूसरा, किले के पास जो स्टाक रिजरवेयर बनने की व्यवस्था थी उसे शीघ्र पूरा कराया जाय और घोषणा की जाय कि यह कब हो जायेगा । यह भी अधरभूल में है । पाइप लाइनें बदलने के लिए बकाया 25 लाख तुरन्त भेजे जायें । देखिये, 50 लाख के प्रस्ताव मन्जूर हो गये और केवल 25 लाख ही भेजे हैं ।

तीसरा, लिफ्ट योजना शीघ्र पूर्ण करायी जाय ।

चौथा, लोक महत्व के इस विषय पर मैंने विशेष उल्लेख के द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है । मुझे आशा है उपाध्यक्ष महोदय, कि कम से कम राजनैतिक शिकार इसे न बनायें ।....

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मंत्री नोट ही नहीं कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी नोट कर रहे हैं। आपकी बात नोट कर ली है उन्होंने।

श्री बिरदमल सिंघवी : नोट कर रहे हैं, ठीक है। आप भी पानी की समस्या से ग्रसित हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सहानुभूतिपूर्वक कहिये कि कम से कम पानी है तो क्यों नहीं दे रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मंत्रीजी कहां लिख रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : लिख लिया है।

श्री बिरदमल सिंघवी : जोधपुर तो हमेशा से ही उपेक्षित रहा है। आप स्वयं देख लीजिए कि पानी होते हुए भी पानी नहीं दे रहे हैं। वहां तो आफिसर्स बताते हैं कि गर्मी में ज्यादा दे देंगे, गर्मी में रोज देंगे। गर्मी में क्या अभी तो मर रहे हैं, सर्दी में भी नहीं दे पा रहे हैं। वे रोंग फैक्ट और फीगर्स आपको लाकर बता रहे हैं, वे फीगर्स भी गलत दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मांगीलालजी।

श्री मांगीलाल मेघवाल, (पाटन) : सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने लोक महत्व के प्रश्न 295 के तहत ऐसा मुद्दा उठाने जा रहा हूँ जो दुर्भाग्य से वह हादसा आपके अजमेर में भी हुआ है और जिससे लोगों के जीवण-मरण का प्रश्न है।

महोदय, कोटा में जानकी देवी बजाज कन्या महाविद्यालय पूरी हाड़ौती में लड़कियों के लिए एक ही महाविद्यालय है। किन्तु यह महाविद्यालय भी स्नातकोत्तर नहीं है तथा इस महाविद्यालय का भवन अत्यन्त जीर्ण शीर्ण अवस्था में है जो कभी भी ढह सकता है। इस महाविद्यालय के चारों ओर नहर का पानी भरा रहता है जिससे वहां सीलन, सड़न और नीवें तक कमजोर हो गई हैं।

इस महाविद्यालय के पास में जो छात्रावास है उसकी भी दयनीय स्थिति है। एक-एक कमरे में छह-छह लड़कियां रहती हैं, आधा छात्रावास सदैव पानी में डूबा रहता है। छात्रावास में नहर का पानी होने से सदैव पानी के सांप रेंगते रहते हैं जिससे अकस्मात् कभी भी छात्राओं में भयंकर भय उत्पन्न हो जाता है और वहां भारी शोर पैदा हो जाता है।

इस स्थिति को शिक्षा सचिव ने अभी हाल ही में देखा, इस भवन का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने और डिप्टी डायरेक्टर, कालेज ने भी इस का निरीक्षण किया और उन्होंने बड़ी चिन्ता जाहिर की। परन्तु बड़े दुःख और अफसोस का विषय है कि ऐसे मानवीय प्रश्न पर भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। यदि भवन महाविद्यालय एवं छात्रावास भवन जल्दी नहीं बनाये गये या अन्यत्र कहीं और जगह हस्तान्तरित नहीं किया गया तो भगवान न करें वह दिन देखने को मिलेगा जिसकी कल्पना करने मात्र से हमारे हृदय के रोंगटे खड़े हो जाते हैं।

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से विशेष पुरजोर शब्दों में आग्रह करूंगा कि इस मानवीय प्रश्न को अति

(श्री सांगीलाल मेघवाल)

गम्भीर मानते हुए, अति शीघ्र आज ही वायरलैस के जरिये उनको आदेश करवाये या अतिशीघ्र आज ही स्वीकृति दें और इस भयंकर और आतंकित विषय को समाप्त करें। आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती विद्यापाठक।

श्रीमतीविद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कल एक प्रस्ताव दिया था पृथ्वीराज नगर के आसपास जो क्षेत्र में अव्यवस्था कर दी गई हैं उसके विषय में....

श्री उपाध्यक्ष : वैसे तो श्रीमती उजला अरोड़ा बोल चुकी हैं।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव तो मैंने दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : आपका था, आप श्री नहीं तो उजला अरोड़ा ने बोल लिया था।

श्रीमती विद्या पाठक : मैं इस कागज को थोड़ा मेन्शन करके टेबल करना चाहूंगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो जयपुर का मास्टर प्लान बना हुआ है और मास्टर प्लान बना है उसके कुछ अरबन एरिया है, उसके ईर्द-गिर्द अर्बनाइज्ड एरिया है, उसका आगे ग्रीन बैल्ट बना हुआ है तो उसका बेसिस निश्चित रूप से जो पहले सर्वे हुआ और विशेषज्ञों ने यह मास्टर प्लान बनाया तो जमीन का जो उपजाऊ क्षेत्र है या जो आबादी के क्षेत्र हैं उनको देखते हुए व प्रकृति की इकोलोजी को देखते हुए यह बैल्ट बनाया गया था। परन्तु मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ ही दिन पूर्व मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि पृथ्वीराज नगर योजनाओं में कोई विशेष रद्दोबदल नहीं होगा। परन्तु मैं यह कागज सदन की टेबल पर रखना चाहूंगी कि बिना किसी विशेषज्ञों की राय के और बिना किसी आबादी की आवश्यकता को देखते हुए ग्रीन बेल्ट में और अर्बनाइजेब्ल एरिया में किसी तरह से परिवर्तन किया जा रहा है, एक मिनट में मैं यह सर्कूलर का नम्बर है, जो अरबन डवलपमेण्ट एण्ड हाउसिंग डिपार्टमेण्ट का है, एड्रेस किया है, जयपुर डिप्टी कमिश्नर, जयपुर डवलपमेण्ट अथोरिटी, जयपुर और लिखने वाले हैं यानी यह आदेश निकालने वाले हैं, सर्कूलर निकालने वाले हैं, आर. सी. गुप्ता, डिप्टी सेक्रेटरी टू गवर्नमेण्ट। इसका मुद्दा विशेष यह है उपाध्यक्ष महोदय, जो सब्जेक्ट दे रखा है।

"Change in urbanisable limtis of the Master Plan of Jaipur."

तो मैं यह पूछना चाहती हूं इसके आगे सर्कूलर में लिखते हैं

"....1988 on the subject mentioned above and to convey approval of the State Government for the change in the urbanisable limits and consequently in the peripheral control belt (Green belt) zone limits of the Master Plan of Jaipur. The particulars of the villages to be included in the

(श्रीमती विद्या पाठक)

urbanisable limits and paripheral control belt are as follows—

कुछ गांव के नाम दिये हैं कि इनको हम अर्बनाइजेब्ल घोषित करते हैं। इसके नैक्स्ट "बी" पार्ट में लिखा है

"List of villages to be included in the peripheral control belt (Green belt) of Jaipur Master Plan."

इसमें भी कुछ गांव के नाम दिये हैं। "Further approval is also accorded for the inclusion of 4 revenue villages of sanganer tehsil;"

इस तरह के कुछ गांवों के नाम दिये हैं। अब मैं सरकार से यह पूछना चाहती हूं कि कौन सी ग्रीन बैल्ट है ? क्या सरकार आदेश से यह बतलायेगी कि कौनसी अर्बनाइज्ड लिमिट हो सकती है क्या सरकार यह बतायेगी। इसकी कुछ विशेषज्ञों की राय ली जानी चाहिये जो ग्रीन बेल्ट बनने लायक है उसको ग्रीन बेल्ट ही रहना चाहिये। यह नहीं कि कुछ लोगों के प्रभाव में आकर या राजनैतिक विद्वेष के कारण या चुनाव में कुछ वोटों को प्राप्त करने के लिए क्षेत्रों में रद्दोबदल करें। जो ग्रीन बेल्ट में नहीं है उनको ग्रीन बेल्ट में लिया जा रहा है, जो अर्बनाइजेब्ल नहीं है उनको अर्बनाइज्ड किया जा रहा है। इसका मतलब हरीभरी भूमि को बरबाद करके और जो बहुत उपजाऊ नहीं है उसको हरीभरी कह कर यह राजस्थान को क्या करना चाहते हैं ? यह वोटों की सिर्फ राजनीति का लगा रहे हैं। मैं यह चाहूंगी आपके माध्यम से सरकार से और विशेष रूप से आपसे कि प्रकृति से इस तरह का व्यवहार और जयपुर शहर और जयपुर की प्लानिंग से इस तरह का व्यवहार करने से सरकार को बाज आना चाहिये और जो मास्टर प्लान आज बन रहा रेशनल रूप में बने, उसको इस तरह से बना कर ही घोषणा की जाये। चुनाव के आसपास इस तरह की घोषणा करना आपत्तिजनक और अव्यवहारिक है और गांवों के किसानों के साथ यह बहुत भारी अन्याय है।

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य।

विधायी कार्य

पुरःस्थापन राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक, 1989

श्री हरि मोहन शर्मा (राज्य मंत्री, वित्त) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से राजस्थान न्यायालय तथा फीस वाद मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक, 1989 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक, 1989 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आज की जो कार्यसूची है, विधायी कार्यसूची, कल

(श्री दिग्विजय सिंह)

जो प्रतिवेदन पेश हुआ, उस प्रतिवेदन के अन्दर, जो सदन से पारित कराया गया, बी. ए. सी. की रिपोर्ट, उसके अन्दर इसका कहीं उल्लेख नहीं है। और कल हमने हाउस में जो बिजनिस एप्रूव किया है, 29 और 30 का, वह अलग था....

(व्यवधान)

किया ही नहीं, यह तो। यह कहां से लेकर आ गये? यह गलत परम्परा डाल रहे हैं, बी. ए. सी. ने एप्रूव ही नहीं किया है इन दोनों को कल।

श्री हीरालाल देवपुरा (विधि मंत्री): पुरःस्थापित करने वाला तो कोई बी. ए. सी. में आता ही नहीं है। केवल विचारार्थ लिये जाने वाले आते हैं। विचारार्थ लिये जाने वाले जरूर आयेंगे, यह केवल पुरःस्थापित करना है।

श्रीमती उजला अरोड़ा: जहां तक मुझे ध्यान है बिजनिस एडवायजरी कमेटी में सारे बिजनिस पर चर्चा होती है, कि यह लाया जाये और यह नहीं।

श्री हीरालाल देवपुरा: नहीं, नहीं। There are certain things यह बिजनिस एडवायजरी कमेटी में नहीं आता। हाउस में विधायी कार्य आता है, पुरःस्थापित करने वाले नहीं, आते लेकिन विधायी कार्य, जो विचारार्थ लिये जाने वाले हैं वह आते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा: एकदम से ऊपर आसमान से आ जाता है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, पुरःस्थापित करें।

श्री हरिमोहन शर्मा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन (संशोधन) विधेयक, 1989 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री दामोदर दास आचार्य।

राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1989

श्री हीरालाल देवपुरा (विधिमन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1989 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: क्वेश्चन यह है कि राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1989 को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री हीरालाल देवपुरा: उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1989 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक। राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक 1989।

Page No. 51

(श्री उपाध्यक्ष)

परिनियत संकल्प।

परिनियत संकल्प
राजस्थान विक्रय कर (संशोधन)
अध्यादेश, 1989

डाक्टर उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो राजस्थान सेल्स टैक्स अमेंडमेंट अध्यादेश लाया गया, मैं समझती हूँ बहुत अव्यावहारिक है। मैं यह कहना चाहती हूँ कि इस अध्यादेश को रीट्रोस्पेक्टिव लाने के लिये लगाया गया है, एक तो इसमें जो सेक्शन है, उसमें 20 साल पुराना तक इसको रीट्रोस्पेक्टिव लाया गया है। मैं समझती हूँ इससे अव्यावहारिकताएं बढ़ेंगी और पिछला जो लोग दे चुके हैं, हिसाब कर चुके, उसको फिर दुबारा खोला जायेगा और इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इतना इस विभाग में भ्रष्टाचार अभी है कि कभी भी कर निर्धारण में बिना पैसा लिये कर निर्धारण नहीं किया जाता और अब यह खुली छूट हो गयी कि बिना सुने और कर निर्धारण हो जायेगा तो वह इतना अधिक होगा कि देने वाला शायद दे भी नहीं पायेगा। जालसाजियां इसमें चलेंगी। मैं कहना चाहती हूँ कि इसके क्लाज 6, 7, 8 से 11 तक आप देखें। इसको तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर देना चाहिये था। इसका क्लाज 20 बिल्कुल अव्यावहारिक है। 13, 17 से 20 तक अभी समाप्त कर देना चाहिये लेकिन यह तो किया नहीं और एक और शक्ति उनके हाथ में दे रहे हैं जो संहारक है, बनाने वाली नहीं है, उनकी वहां नीति का कोई प्रश्न नहीं है। इस विभाग के बारे में मैं समझती हूँ कि व्यापारिक इतना दुखी है जिसकी कोई सीमा नहीं। या तो उत्पादन जहां होता है, वहां पर शुल्क लगाना चाहिये और निर्धारित हो जाना चाहिये कि कितना टैक्स लगेगा, कितना इस का उत्पादन है तो एकरूपता सारे देश और प्रदेश में आ जाती। लेकिन वह तो किया नहीं और एक खुली छूट उनके हाथ में दे दी कि वह चाहे कितना ही कर निर्धारण कर लें, अब बिना सुने करें और पिछले 23 साल खुर्दबुर्द करके 20 और 30 साल का, तीन साल का जैसी धारा—4 में सेक्शन (9) डाल दिया है कि न कमिश्नर को री व्यूअर को सुनने का कोई लाभ ही नहीं है। उसके लिये व्यापारियों ने जब कठिनाइयां बतायीं तो आपने 20 अक्टूबर को दूसरा नोटिफिकेशन निकाल दिया और संशोधन जारी कर दिया तो इस एक्ट को कैसे आप बनायेंगे? चैक पोस्ट पहले ही भ्रष्ट बन चुके हैं। यह काम आपको नहीं करना चाहिये, वर्ना हमको सुधारना पड़ेगा। मैं सदन से अपील करती हूँ कि इस मेरे निम्न संकल्प को जो मैंने अध्यादेश को अस्वीकार करने के लिए रखा है, स्वीकार करना चाहिये, कि "यह सदन श्रीमान राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 13 सितम्बर, 1989 को प्रख्यापित राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) अध्यादेश, 1989 (1989 का अध्यादेश संख्या 8) को अस्वीकार करता है।"

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री हरिमोहन शर्मा (राज्य मन्त्री वित्त) : अभी माननीय सदस्या ने परिनियत संकल्प पर अपने विचार रखे। एक तो कहीं यह भ्रांति हो गयी है कि बिना किसी को सुने ही उस पर कर निर्धारण कर दिया जायेगा। अगर माननीय सदस्या इस बिल को देखें तो उन्हें पता चल जायेगा कि बिना किसी को सुने, किसी पर भी कोई कर निर्धारण नहीं किया जायेगा। जहाँ तक अध्यादेश के निकालने का सवाल है, ऐसी वैधानिक बातें उपस्थित हो गयी थीं कि उसके लिये अगर अध्यादेश नहीं निकाला जाता तो जिन उद्देश्यों की पूर्ति हम चाहते हैं और जनहित में, सभी के हित में चाहते हैं, वह नहीं कर पाते। कानूनी कठिनाई भी विभिन्न निर्णयों से ऐसी उत्पन्न हो गयी थीं कि जिनके कारण यह आर्डिनेन्स निकालना जरूरी था। लेकिन जब एक बार किन्हीं कमियों को पूरा करने के लिये आर्डिनेंस निकाला जाता है तो जितनी भी बातें विभाग के सामने अथवा सरकार के सामने जनहित में प्रशासनिक दृष्टिकोण से और स्टेट के हित में, जो आती हैं, उन सब का समाविष्ट करना जनहित में आवश्यक हो, तो मैं यह समझता हूँ कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही यह अध्यादेश जारी किया गया है, जो उचित है और किसी के अहित में नहीं है, सरकार के हित में है, जनहित में है, व्यापारियों के हित में है, इसलिए इनका परिनियत संकल्प अस्वीकार किया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्रीमती उजला अरोड़ा द्वारा प्रस्तुत निम्न परिनियत संकल्प स्वीकार किया जाय कि यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 13 सितम्बर, 89 को प्रख्यापित राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) अध्यादेश, 1989 (1989 का अध्यादेश संख्या) को अस्वीकार करता है ?

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया।

विचारार्थ लिये जाने के लिये प्रस्ताव करें....।

विधेयक पर विचार

श्री हरिमोहन शर्मा (राज्य मंत्री, वित्त) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1989 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली) (अनुपस्थित) श्रीमती उजला अरोड़ा।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि राजस्थान विक्रय-कर (संशोधन)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

विधेयक 1989 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये। आपसे यह निवेदन करना चाहूंगी कि आप जल्दी में इसको नहीं लायें और मेरा आपसे निवेदन है कि इसकी अव्यावहारिकता देखने के लिये आप थोड़ा समय ले लें। किसी विशेषज्ञ की राय जान लें और यह सारा कार्य या तो जनता को तीन महीने के लिये दे दीजिये या फिर एक समिति बैठा दें। मैं आपको एक सही राय देना चाह रही थी कि इसमें जो अव्यावहारिकताएं आपने इनक्लॉज 2 (बी) में डाली हैं कि, यह 1 अप्रेल, 1987, "जो शब्द है इसको 22 अप्रेल, 1988 किया जाये। जब आपने पहले डाला कि 1 अप्रेल, 1987" अब जो कि आप इसको 88 को 87 करने जा रहे हैं, मुझे यह बताइये कि आपकी क्या तर्क-सम्मत राय है। आप इसको बैक डेट से क्यों करना चाह रहे हैं? बैक डेट से इसको ला करके परेशानी पैदा करना चाह रहे हैं, यह गलत है। क्लॉज इनक्लॉज 6 से 11 तक जो है, इसमें आपने अव्यावहारिकता पैदा की है। बाकी सेक्शन के बारे में मैं जो कह रही हूँ, केवल उनमें मुझे आपत्ति है। इनक्लॉज (4) में आपने जो–other than....or a point

लिखा है, इसको आप देखिये। आगे इनक्लॉज 10 में

after the word 'such person'.

यह आप देखिये। यहां पर अव्यावहारिकता पैदा हो जाये और यह जो 13, 17 और 20 हैं, इसको तो डीलिट किया जाना बहुत जरूरी है। क्लाज 15 इसका जो आपने रिव्यू लिखा है, मैं समझती हूँ, यह गलत है। आप देखिये क्या कर रहे हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप इसको प्रवर समिति को दे दें या जनमत जानने के लिये इसको इन्हीं के साथ प्रस्ताव रखती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि जो कानून बने, उससे कुछ दिक्कतें पैदा हो जायें और इसको फिर देखना पड़े और व्यापारी वैसे ही बहुत परेशान हैं। इसको मेरी बात मान कर, यह मत देखिये कौन कैसा है, यह देखिये क्या कहता है, इस तरह से आप मेरे संकल्प को लेंगे और इसको जनमत जानने के लिये देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय देवीसिंह भाटी (कोलायत) (अनुपस्थित)

माननीय भंवरलाल शर्मा (हवा महल)....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवा महल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो आप बिल लाये हैं, इसमें मुझे कुछ जानकारी चाहिए। माननीय मंत्री महोदय, आप मेरी बात जरा ध्यान से सुन लें और फिर उसका स्पष्टीकरण करें....

श्री उपाध्यक्ष : आप तो जनमत जानने हेतु प्रस्ताव करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : प्रस्ताव करूंगा।

Page No. 54

श्री उपाध्यक्ष : आप यह जानकारी देंगे कि क्यों जनमत जानना चाहते हैं....

श्री भंवरलाल शर्मा : क्या खामियां हैं, मैं वही बताना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : नये मंत्री हैं, इनकी परफोर्मेन्स ठीक रही है, सवाल मत करिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : दुर्भाग्य है कि आज ही है।

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं, अभी 22 को और मिलेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : अच्छा ! 22 तक के ही हैं क्या आप ? चलो, कोई बात नहीं।

श्री हरिमोहन शर्मा : फिर मिलेंगे....

श्री भंवरलाल शर्मा : I know it.

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : क्या पता, आप अध्यक्ष के रूप में मिलो या मंत्री के रूप में मिलो या विपक्ष के नेता के रूप में। आपका विपक्ष के नेता का काम बाकी है....

श्री हरिमोहन शर्मा : 22 को तो विधान सभा है, इसी रूप में मिलेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह काम बाकी बचा हुआ है....

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज, प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा : सेक्शन 3 पेज 2-Deletion of sections 5–C,, 5–CC and 5–CCC :

यह आपने डिलीट कर दिया। इसका अर्थ यह हुआ कि इसके रहते हुए एक व्यापारी को यह सुविधा थी कि जब वह रॉ मैटेरियल खरीदता था तो उसको तीन पर्सेन्ट के हिसाब से टैक्स देना पड़ता था, चाहे उस मैटेरियल पर सैल्स टैक्स दस प्रतिशत हो या कितना ही प्रतिशत हो ? लेकिन उसको प्रमोट करने के लिए यह व्यवस्था थी कि तीन प्रतिशत टैक्स उससे वसूल किया जाता था ताकि वह उस रॉ मैटेरियल को खरीद कर अपना व्यापार चला सके और बढ़ा सके। आपने उसको डिलीट कर दिया और यह तय कर दिया कि पहले वह माल खरीदेगा, उस पर जितना सेल टैक्स एग्जीस्ट करता है उतना दे देगा। अगर दस प्रतिशत है तो दस प्रतिशत देगा, 12 प्रतिशत हो तो 12 प्रतिशत देगा whatever the amount may be, it will be realised at that time.

फिर वह जब रॉ मैटेरियल प्रोड्यूस कर देगा उस समय वह यह कहेगा कि मैंने अमुक-अमुक चीज, अमुक-अमुक आर्टिकल-मैटेरियल खरीदा था उस पर रेट यह थी इसलिए मुझे कन्सेशन दिया जाय। तब आप विचार करेंगे कि यह कन्सेशन उसको उस समय दिया जाय जब वह सब कुछ बना कर तैयार कर लेगा। अब यह 5 (सी) की

(श्री भंवरलाल शर्मा)

मन्शा यह थी कि नये मैन्यूफैक्चरार को या नये जो लोग बिजनिस में आते हैं उनको प्रोत्साहन मिले, वह इतना ज्यादा अमाउन्ट एक साथ नहीं खर्च कर सकता, इसलिए आपने उसको सेल्स टैक्स की रिड्यूस रेट की रियायत दी, अब आप उसको डिलीट कर रहे हैं, तो क्या आपका परपज यह है कि जो राजस्थान में व्यवसाय चलायें उनको प्रोत्साहन मिले, उसको खत्म कर दिया जाय ? यह कितना अव्यावहारिक होगा ? कई बार तो व्यक्ति चीज बनाता है, वह कई दिनों तक बिकती ही नहीं। जब तक बिकेगी नहीं और उसका असेसमेन्ट नहीं होगा, तब तक उसको रिबेट नहीं मिलेगी, तो यह दुर्व्यवस्था आप किसलिए कर रहे हो ? यह समझाइये हमको, आप। आपने जो रिफण्ड के लिए कहा है, वह रिफण्ड भी उसको मिलेगा नहीं। उसमें आपने यह व्यवस्था की कि अगर एक्सेस अमाउण्ट आ गया है टैक्स का, तो अगले आने वाले सालों में आप उसको समायोजित करेंगे। अगले आने वाले समायोजन का कितने वर्षों बाद असेसमेंट होगा ? क्योंकि आपने यह भी तय कर दिया कि असेसमेन्ट की सीमा तीन वर्ष तक की थी, तीन साल तक यदि उसका असेसमेण्ट नहीं होता है तो जो कुछ उसने असेसमेण्ट दी है वही फाइनल मानी जायेगी। उसका टर्म आपने बढ़ा दिया। वह तीन साल की पाबन्दी खत्म कर दी। अब कमिश्नर करना चाहे तो उसका पीरियड बिना किसी रीजन के, बिना उसको नोटिस दिये बढ़ा सकता है। उसका असेसमेंट दस साल तक नहीं होता है तो जो अमाउण्ट उसने एक्स्ट्रा दे दी, वह असेसमेंट ही नहीं होगी और असेसमेंट हो भी गया तो उसको आप वापिस पैसा दोगे नहीं। उसको अगले सालों में समायोजित करोगे, पांच साल या दस साल में और तब तक वह अमाउण्ट पड़ी रहेगी। बहुत वर्षों बाद, उसके आगे आने वाली सन्तान को यदि उसका लाभ मिला तो भले ही मिल जाय, उसको तो मिलेगा नहीं। इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है....

(समय–समाप्ति सूचक घण्टी)

यह घंटी काहे को बजाई आपने ? यूं ही हाथ पड़ गया या जान-बूझकर बजाई है ?

श्री उपाध्यक्ष : जान बूझकर बजाई है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : श्रीमान्, यह तो कानून की बात है, इसमें काहे को रोक रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आसन को बहुत सी पावर है रोकने की, लेकिन मैं आपको इन्डीकेट कर रहा हूं कि आप इसको संक्षिप्त करें।

श्री भंवरलाल शर्मा : कानून को संक्षेप में क्या करूंगा ? कोई पाइन्ट बोलूंगा ही नहीं क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो आपको एक सीमा में बांधना चाहता हूं, उसमें कौन-सी बात

(श्री उपाध्यक्ष)

हो गई । आपको मना थोड़े ही कर रहा हूँ ।

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी तो मैंने एक सेक्शन के बारे में चर्चा की है जिसको आप बड़े ध्यान से सुन रहे थे and you were appreciating it also.

श्री उपाध्यक्ष : अब आपको बोलना है तो बोलते रहिये ।

श्री भंवरलाल शर्मा : बोलूँगा क्यों नहीं, कानून की सब बातें बताऊँगा ।

इर्रेलेवेंट हो तो आप मुझे रोक दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये न ।

श्री भंवरलाल शर्मा : ऐसे ही आपने 5 (सी-सी) को भी डिलीट कर दिया । उसमें भी जो नई इण्डस्ट्री लगाते थे उस नई इण्डस्ट्री लगाने वाले को पांच प्रतिशत टैक्स देकर इण्डस्ट्री लगाने की छूट थी, बिजली पर भी पाँच प्रतिशत आपने उसमें मुक्त किया हुआ था, इसके डिलीशन से जो मैंने अभी ऊपर विवरण दिया, इण्डस्ट्री लगेगी ही नहीं । राजस्थान में तो इण्डस्ट्री लगाने वैसे ही कोई नहीं आता और आता है तो उसको जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो आपने चालीस सालों में भ्रष्टाचार वगैरह की पैदा की है उससे तो पहले डर कर भागता है । लेकिन फिर भी अब तक वह एनकरेज होता था, इस बात से कि मुझे सेल्स टैक्स में रियायत मिलेगी, बिजली में रियायत मिलेगी और मैं धन्धा लगाऊँगा, इस प्रकार वह आने की हिम्मत करता था । आपने इसके डिलीशन्स में यह कर दिया कि इण्डस्ट्री राजस्थान में नहीं लगे और अगर लगे तो पहले तो उसका जितना टैक्स देना पड़ेगा, वह देना पड़ेगा और यदि वह असेसमेंट के बाद यह साबित कर दे कि उससे टैक्स ज्यादा लिया गया है उसका उसे रिफण्ड भी आप नहीं करेंगे । जो मैंने 5 (सी) में कहा, वही आपने इसमें व्यवस्था कर दी । इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि यह बात राजस्थान के व्यापार के, राजस्थान में इण्डस्ट्री लगाने वाले के और राजस्थान की जनता के लिए बिल्कुल हितकारी नहीं है । आप जाते-जाते इस व्यवसाय को क्यों बरबाद करना चाहते हैं ? एक तो यह समझा दीजिए, आप ।

एक माननीय सदस्य : कहाँ जा रहे हैं ।

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी चले जायेंगे, पाँच बजे । फिर आपने सिक्योरिटी का जो क्लॉज बढ़ाया है उसमें आपने अमाउन्ट दुगना कर दिया । जो व्यापारी बिजनिस करना चाहेगा, आपसे सेल्स टैक्स का लाइ-सेंस लेगा उसको जमानत देनी पड़ती है, यह ठीक है । लेकिन आपने उसको डबल कर दिया । आप यह कह सकते हैं कि महंगाई बढ़ गई इसलिए डबल कर दिया, यह कोई उचित कारण नहीं है । लेकिन उसके बाद आपने एक शर्त और लगा दी कि वह किसी भी दुकानदार से जमानत दिलवायेगा जो आपका रजिस्टर्ड डीलर हो

(श्री भंवरलाल शर्मा)

और उसके इमूवेवल प्रापर्टी हो उसकी इमूवेवल प्रापर्टी । अगर होगी तो ही जमानत लगेगी वरना नहीं लगेगी ।

इमूवेवल प्रापर्टी की जमानत लेने की आपने तय की हुई है....

श्री हरिमोहन शर्मा : कहां रेफर कर रहे हैं आप ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं सिक्स को रेफर कर रहा हूँ, सिक्यूरिटी वाले अमाउन्ट की बात कर रहा हूँ । बड़े-बड़े दुकानदार ऐसे हैं जिनका बिजनिस बहुत बड़ा है लेकिन उनकी कोई प्रापर्टी नहीं है, उनकी जमानत आप नहीं मानेंगे । बाहर से कोई व्यक्ति आकर यहाँ बिजनिस करता है वह कहाँ से अपनी प्रापर्टी बतायेगा ? कहाँ से वह ऐसे दूसरे दुकानदार को लायेगा जिनके प्रापर्टी जरूर हो ? मेरा यह विश्वास है कि आपको जयपुर में रहते हुए इतने वर्ष हो गये हरि मोहनजी साहब और देवपुरा साहब, आपके खुद का ही मकान नहीं होगा । आपकी ही कोई इममूवेवल प्रापर्टी, जयपुर में नहीं है....

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं किसी का जामिन बनूंगा ही नहीं, मैं क्यों चिन्ता करूँ ?

श्री भंवरलाल शर्मा : आप बन ही नहीं सकते you are unable to do it under this Act.

आप कर ही नहीं पायेंगे....

श्री हीरालाल देवपुरा : मुझे जरूरत हुई तो आपको मेरा जामिन बना लूंगा ।

श्री भंवर लाल शर्मा : मेरी भी नहीं है, मेरे कोई प्रापर्टी है ही नहीं । मेरा यह निवेदन है कि यह सब बढ़ाने की आपको क्या जरूरत है । जो बड़े-बड़े बिजनिस मैन हैं, जो वर्षों से यहां बिजनिस कर रहे हैं और हजारों-लाखों रुपया सेल्स टैक्स का देते हैं उनकी जमानत अब तक मानते थे, अब उसमें इमूवेवल प्रापर्टी जोड़ने की क्या जरूरत पड़ गई आपको ? इसलिए जब बाहर से आने वाला व्यक्ति यहां लाइसेंस लेने की कोशिश करेगा, व्यापार चलायेगा तो वह जो मैंने पहले कठिनाई बताई, वह तो होगी ही होगी । सबसे पहले तो यह स्थिति होगी–कि वह सिक्यूरिटी कहां से ढूंढ कर लायेगा जो इमूवेबल प्रापर्टी की होगी । मेरा निवेदन इसमें यह है कि जो आपने अमाउन्ट बढ़ाया है वह भी यदि नहीं बढ़ाते तो भी चलेगा । लेकिन इमूवेबल प्रापर्टी की या सर्टिफिकेट खरीदने की जो पाबन्दी है, आपने यह भी लगा दिया कि वह सर्टिफिकेट खरीदेगा, सर्टिफिकेट खरीदेगा तो वह अमाउन्ट कहां से लायेगा ? तो आप नकद जमानत तो उससे पहले ही ले रहे हो, इन सारी बातों को देखते हुए आप बिजनिस को बढ़ाने की बात करने की जगह घटाने की बात कर रहे हो, यह डेरोगेटरी होगा in the interest of the business,

फिर 9 (बी) है साहब । सेल्स टैक्स । आपने यह प्रावधान कर दिया 9 (बी) में–कि जो एजेन्ट होगा, अगर प्रिंसी-

(श्री भंवरलाल शर्मा)

पल ने आपको टैक्स नहीं दिया या उस पर नहीं लगता है तो आप एजेन्ट से टैक्स लेंगे यानि जिस चीज पर सैल्स टैक्स नहीं है और प्रिंसीपल ने वह पेमेण्ट उसको नहीं करना था तो जो एजेन्ट होगा उससे आप सेल्स टैक्स वसूल करोगे। बाजार से लाकर कोई मण्डी में अनाज बेचता है, एजेन्ट बैठकर उसको हाथों-हाथ बेच देता था तो will you recover sales tax from that agent?

प्रिंसीपल तो मुक्त हो गया। हाई कोर्ट की रूलिंग भी ऐसी है हरिमोहन जी साहब, आजकल आप वकालत से जरा दूर हैं इसलिए इन दिनों में नहीं पढ़ी होगी। हाई कोर्ट की रूलिंग यह है कि जो प्रिंसीपल जिसके लिए वह लाइबल नहीं है उसके लिए एजेन्ट लाइबल नहीं हो सकता। तो you are going against the fundaments of the law of justice.

और प्रिंसीपल के खिलाफ जा रहे हैं आप....तो अगर वह लायबल है तो उससे वसूल करिये, एजेण्ट से मत करिये। अगर कर दिया तो जो अनाज लेकर आता है और बेचता है तो वह पीछे हट जायेगा, कहां जायेगा वह बेचने वाला? तो आप उससे वसूल कर सकते हैं तो करिये, उससे वसूल नहीं कर सकते हैं तो मत करिये। इसमें यह भी कमी रख दी आपने।

फिर 9 (बी) में आपने प्राइवेट कम्पनी किया। यह क्या होती है, यह हमारी समझ में नहीं आया, इसमें कह दिया कि जो डाइरेक्टर होता है अगर उनके रहते-रहते कोई सैल्स टैक्स बाकी रह गया तो उनकी प्रोपर्टी से वसूल करेंगे। डाइरेक्टर शेयर होल्डर नहीं होता है।

He is not owner of the company.

वह तो एक वेतनभोगी व्यक्ति डायरेक्टर होता है। वह काम करता है और वेतन लेता है। रीको में आपके एम. डी. लोग होते हैं, डायरेक्टर होते हैं वह आई. ए. एस. होते हैं वहां पर अगर सैल्स टैक्स बाकी रह गया तो आप आई. ए. एस. से वसूल करेंगे। कम्पनी की प्रोपर्टी से कर सकते हैं, उस बिजनिस की असेट्स से कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टर है he is only paid for it.

वह भी आप सब से करेंगे। कई बार तो डायरेक्टर का बिजनिस से कोई मतलब ही नहीं होता है They are not active in the affairs of the company.

किसी जमाने का सैल्स टैक्स बाकी रह गया तो हम उससे वसूल करेंगे तो डायरेक्टर कौन बनेगा? तो इससे भी बिजनेस में ब्रेक होगा। इसका भी आप स्पष्टीकरण करें कि आपने यह कार्य को रखा है।

फिर 10 (बी) में एक अमेण्डमेण्ट किया है। वैसे कानून की व्यवस्था है कि तीन वर्ष में या चार वर्ष में असेसमेण्ट जरूरी है।

Page No. 59

(श्री भंवरलाल शर्मा)

You cannot go beyond that.

तीन साल में यदि असेसमेण्ट नहीं होता है तो फिर उसका सेल्फ असेसमेण्ट है वह ही मानना पड़ेगा। वह जो मौजूदा लिमिट है उसको अनलिमिटेड कर दिया है।

श्री हरिमोहन शर्मा : अन लिमिटेड नहीं है।

श्री हीरालाल देवपुरा : उसको कम ही किया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह आप कह देना।

पहले क्या होता था कि समय बढ़ाया जाता था तो कमिश्नर को रीजन्स रिकार्ड करने होते थे और उस दुकानदार को नोटिस दिया जाता था कि आपका टाइम क्यों नहीं बढ़ाया जाय and then he had in a position te say it.

वह उसको अपोज कर सकता था। अब आपने आर्बीटरी पावर दे दी। इसका मतलब आपने करप्शन बढ़ा दिया, इससे करप्शन बढ़ जायेगा। दो तरह से नुकसान होगा अगर कोई डीलर आपके किसी आफिसर से मिला हुआ है और उसने लो स्तर पर असेसमेण्ट दे दिया....

श्री दिग्विजय सिंह : कमीशन कितना बढ़ जायेगा ?

श्री भंवर लाल शर्मा : +++ से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। वह तो कीर्तिमान स्थापित हो चुका है। वह क्या करेंगे लोअर असेसमेण्ट देकर कहेंगे तीन साल तक इसको पटके रखो और फिर कह देंगे कि तीन साल का समय खत्म हो गया। जैसे अभी एक सी. आर. पी. सी. में 90 दिन का चालान पेश करने का कर दिया था कि 90 दिन में चालान पेश न हो तो उसको जमानत के लिए एनटाइटल कर दिया, मानसिंह हत्याकाण्ड में जो पुलिस अधिकारी था....

श्री हरिमोहन शर्मा : सैल्स टैक्स का प्रकरण है क्या ?

श्री हीरालाल देवपुरा : एक वकील दूसरे वकील को समझा रहा है।

श्री भंवर लाल शर्मा : उदाहरण समझा रहा हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा : क्रिमनल लॉ और सिविल लॉ में कोई अन्तर है क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा : बहुत अन्तर है।

श्री हरिमोहन शर्मा : सैल्स टैक्स में पेनल्टी की गुंजाइश है या नहीं। तो आ गया क्रिमीलनरी।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह जो किया है कि रीजन्स भी नहीं बतायेंगे, नोटिस भी नहीं देंगे, आर्बीटरी करेंगे, तो मैं समझता

+++ शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

हूं कि आप इस सैल्स टैक्स को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, इसको नहीं करना चाहिए।

फिर आपने 11 (ए. ए. ए. ए.) इसमें एक फर्स्ट चार्ज करके रखा है, फर्स्ट चार्ज क्या होगा ? जिसको आप तय कर दें वही होगा। न तो आपने इसको एक्प्लेन किया, फिर अपील के लिए लिखा आपने, अपील करने से पहले उसके लिए शर्त लगा दी की 20 प्रतिशत जमा करानी पड़ेगी। जब तक आप पेनल्टी जमा नहीं करायेंगे या टैक्स जमा नहीं करायेंगे आप अपील ही नहीं सुनेंगे। पहले तो पूरा पैसा जमा करा दे फिर अपील पर डिसीजन होगा और उसकी मियाद नहीं है तो जब तक अपील का डिसीजन नहीं होगा और फिर उसके ड्यू को अपील में माफ कर दिया गया वह पैसा आपके पास पड़ा रहेगा।

Why do you do it ?

आपको क्या जरूरत पड़ रही है इसकी उसका केस ठीक न हो तो

He will suffer the conseqences.

यह एक्सप्लायटेशन कांये को करते हैं। अब तक तो नहीं था। अब नया ले आये। मान लिया कि चुनावों में व्यापारी ने वोट नहीं दिया तो ऐसा बदले की भावना से क्यों करते हो। और ऐसा किस-किस के खिलाफ करोगे, इस बार तो सब ने ही हवा बांध दी और आगे भी नहीं देने वाले हैं तो किस-किस को परेशान करोगे।

श्री राजेन्द्र चौधरी : व्यापारी के आप ही ठेकेदार हो क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं ठेकेदार तो आप हो मैं नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अध्यादेश तो चुनावों से पहले ही आ गया था।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह उनको डराने के लिए लाये थे तो उन्होंने कहा कि जो करना हो कर लो हम तो आपको वोट नहीं देंगे। हम तो आपके खिलाफ वोट देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : क्या आपके नेता को बेठाऊं। अब तो घण्टी नहीं बजाऊंगा।

श्री भंवर लाल शर्मा : Now, appeal by C. T. O.

यह जो सेक्शन 14 है इसको समझायें आप। इसमें आपने लिखा है।

"The Commissioner may if he objects to any order passed in Clause (A or B) of Sectional, direct any Commercial Taxes Officer or Assistant Commercial Taxes Officer to prefer appeal before the Tribunal."

यानि खुद कमिश्नर का फैसला है उस फैसले को समझते हैं कि ठीक नहीं है तो नीचे वाले को कहेंगे कि उसकी अपील करो।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

He is the deciding authority.

वह निर्णायक है, वह अपने निर्णय के खिलाफ किसी अधिकारी को कहेगा कि आप जाकर इसकी अपील करो, यह हास्यास्पद नहीं है क्या ? फिर क्यों रखा ?

फिर आपने सेक्शन 15 में हाई कोर्ट को रिव्यू की पावर दी है । रिव्यू की पावर अभी नहीं है क्या ? Who debars it ? कौन रोकता है उसको रिवाइज करने के लिए, रिव्यू करने के लिए, जो जजमेण्ट दे सकता है वह रिव्यू भी कर सकता है । यह सुरर फलयुअस है फिर सेक्शन 16 बी इसमें आपने टाइम लिमिट किया है वह 8 साल की पहले है वह चार साल अपील में चला जायेगा, 12 साल और फिर उसको ऊपर जाने के लिए और चार साल का टाइम दे दिया तो 16 साल तक वह आपके इस चक्कर में पड़ा रहेगा कि उस पर पैनल्टी प्रोपर है या नहीं इसको 16 साल में तय करेंगे और 16 साल के बाद तय हो जायेगा कि पैनल्टी इम्प्रोपर थी, तो आप रिफंड नहीं करेंगे, न उसका ब्याज देंगे तो उसका क्या औचित्य रहेगा ? फिर आपने 23 (8) में किया है परचेज आफ गुड्स । यह बड़ा ही अजीब अमेण्डमेण्ट है । यह पता लगा कि दुकान ने जो बिल दिया है । वह अण्डर-बिलिंग है तो आपने सैल्स टैक्स अधिकारी को अधिकार दे दिया है कि वह उसी रेट से 10 प्रतिशत ज्यादा करके खरीद सकता है । अर्थात् आफिसर को लगे कि यह वस्तु 50 रुपये की है और उसने बिल 30 का दिया है तो 10 प्रतिशत जोड़कर वह खरीद सकता है । अगर वह ऐसा करेगा तो यह परचेजिंग सिस्टम शुरू हो जायेगा । परचेज करके कहां रखेगा एक नया डिपार्टमेण्ट खोलेंगे सेल्स डिपार्टमेण्ट । सैल्स टैक्स तो है । तो वह यह करेगा अब मेरी चीज बिकती नहीं है । मेरा माल बिक नहीं रहा है । मैंने आपसे सम्पर्क स्थापित कर लिया मेरी जो चीज पांच रुपये की है या पचास रुपये की है अगर आप मेरे से राजी हैं जैसी आपकी व्यवस्था है 10% ज्यादा देकर आप ही खरीद लोगे उसको, 10% वह ले लेगा तो जो माल नहीं बिक रहा है या जिसकी रेट कम है उसमें भी 10% ज्यादा देकर खरीदने की स्थिति में डिपार्टमेण्ट को ला दोगे इससे करप्शन बढ़ेगा या नहीं और यदि आप ठीक भी खरीदो तो आप माल का बेचान कैसे करोगे, कहां-कहां बेचते फिरोगे यह कई सारी बातें ऐसी हैं जिनकी तरफ आपका ध्यान गया नहीं या आप जानबूझ कर किसी विशेष नीयत से यह लाये । मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इन सब बातों को ध्यान में रख कर जनमत जानने के लिए भेजिये । बड़े-बड़े विद्वान उससे जुड़ जायेंगे उनकी सलाह मिल जायेगी । आपसे और हमसे भी ज्यादा योग्य लोग मिलेंगे जिस पर राय देंगे and it will be a loss in the interest of the general public.

राजस्थान के व्यापारियों के लिए, उद्यम लगाने वाले लोगों के लिए यह अच्छा कानून बन जायेगा । मेरा निवेदन है कि आप इसको जनमत जानने के लिए भेजें जल्दबाजी में पास नहीं करें और नई सरकार को आने दें वह जैसा फैसला करें, आप काहे को जल्दी करते हो ।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह

(अनुपस्थित) श्रीमती विद्या पाठक (अनुपस्थित)

माननीय मंत्री जी

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जयपुर देहात और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य, हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने जनमत जानने के सम्बन्ध में अपने विचार रखे यह अध्यादेश 13 सितम्बर, 89 को जारी किया गया और आज 30 दिसम्बर तारीख है तो इतना समय यह जनता के सामने अध्यादेश रहा और जनमत जानने की जो भावना थी वह भावना इतने अर्से तक अध्यादेश निकलने के बाद जारी रहने से स्पष्ट हो जाती है जनता ने इस पर क्या प्रतिक्रिया अभिव्यक्त की लेकिन आपने जो प्रतिक्रिया अभिव्यक्त की, वह काफी देर से की। यह तीन महीने के अंत से आपकी जानकारी में थी कि अध्यादेश जारी है ...

श्री हरिशंकर भाभड़ा : क्या आर्डिनेन्स जारी करने का मकसद यह है कि जनमत अपनी राय प्रकट करे।

श्री हरिमोहन शर्मा : आर्डिनेन्स जारी करने का यह मतलब नहीं है लेकिन जिस उद्देश्य से यह जनमत जानने के लिए प्रसारित कराना चाहते हैं तो यह अध्यादेश जनता के सामने है और जिसको आपने और जनता ने देखा है यह तो साफ है इसके साथ ही . . . .

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय मन्त्री जनमत जानने की प्रक्रिया ही नहीं जानते हैं। इनको अहसास नहीं....जनमत तो अभी आपने जाना ना थोड़े दिन पहले जनता के आगे जाओ और जो भी आपके व्यूज हैं ले जाओ। आपने व्यापारियों को भी सुना उन्होंने दिक्कतें भी बताई जनता की राय आपने मानी नहीं....

श्री हरिमोहन शर्मा : जहां तक माननीय सदस्यगणों ने विभिन्न बातों पर अपने विचार रखे मैं क्रम से उनका उत्तर देना उपयुक्त समझता हूं। आपने जो सिक्यूरिटी का अमाउण्ट बढ़ाने वाली बात कही, 1961 में यह सिक्यूरिटी निर्धारित की थी 5 हजार और 1961 के बाद आज 1990 में और अन्त में यह निर्णय किया गया कि मनी का वैल्यूएशन जो हुआ है उस हिसाब से राज्य सरकार और प्रशासन जनहित में यह निर्णय ले कि 5 हजार के स्थान पर 10 हजार कर दें। 10 हजार के केश सिक्यूरिटी ली जाती यह सिक्यूरिटी ली जाती है जमानत के आधार पर। इसमें कोई अन्तर पड़ने वाला और विशेष बात है नहीं केवल इतने वर्षों के बाद यह परिवर्तन किया जाना न्याय संगत और उचित है और इसी कारण यह किया गया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : इमूवेबिल प्रोपर्टी की जमानत मानते हो ?

श्री हरिमोहन शर्मा : जो भी है। 5 हजार की जगह 10 हजार है। 5 हजार की जो जमानत थी उसकी कीमत है आज

(श्री हरिमोहन शर्मा)

10 हजार, उस प्रोपर्टी की कीमत 10 हजार से ज्यादा हो गई है....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : 1961 के आधार पर रुपये की वैल्यू, आज 12 पैसे हैं आप 10 हजार मत करिये, आप मंत्री के नाते बोल रहे हैं इससे, रुपये की वैल्यू 50 पैसे हो जायेगी।

श्री हरिमोहन शर्मा : प्रोपर्टी की कीमत बढ़ी है मैं यह कह रहा हूं। जिस प्रोपर्टी की वैल्यू पहले 5 हजार की थी वह आज कितनी हो गई मैं जो कह रहा हूं वह गलत कह रहा हूं क्या ?

श्री हीरालाल देवपुरा : आपके हिसाब से यह सिक्यूरिटी कई गुणा हो जानी चाहिए थी....

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोडा : आपके यहाँ जो एसेसमेंट करने वाले हैं वह इसमें कितना खायेंगे यह तो देखिये आप।

श्री हरिमोहन शर्मा : इसके बाद जो 9 (बी) के मामले में जो विचार रखा कि राजस्थान हाई कोर्ट का अभी कोई निर्णय हुआ कि यदि प्रिंसीपल लाइबल नहीं है तो एजेण्ट भी लाइबल नहीं होगा। इस प्रकार की जो समस्या हुई। कुछ किसान राजस्थान में कमीशन एजेण्ट को माल बेचते हैं। वह कमीशन एजेण्ट जो लाभ उठाते हैं और व्यवसाय करते हैं, वह इस निर्णय का अप्रत्यक्ष रूप में लाभ उठाने की उनकी भावना, मंशाये है। उन मंशाओं से निपटने के लिए राज्य सरकार ने जो काश्तकारी का सामान किसान सीधा कमीशन एजेण्ट को देता है तो कमीशन एजेण्ट को जो टैक्स देना है वह नहीं बच जाये इसके कारण से यह संशोधन किया जा रहा है। अभी माननीय सदस्य पूछ रहे थे। वह कानून के ज्ञाता हैं। प्राइवेट लि. कम्पनीज क्या है? पब्लिक लि. कम्पनीज क्या है? किस उद्देश्य से क्या बात पूछ रहे थे यह तो मैं नहीं जानता लेकिन जो कम्पनीज एक्ट में परिभाषा है वह प्राइवेट कम्पनी एक्ट का सेन्स इसमें है प्राइवेट कम्पनीज जो है उनके डाइरेक्टर मिल-जुल कर किसी कम्पनी का निर्माण कर लें और अनाप-शनाप गलत काम करके टैक्स की चोरी कर लें, उस कम्पनी पर टैक्स बाकी हो जाये और फिर उसके लिए गैर जिम्मेदार लोगों को जो अपने निजी स्वार्थों मे उलझे हुए हों अगर ऐसे डाइरेक्टर्स को छोड़ दिया जाये तो इस प्रकार की राज्य सरकार की मंशा रही है कि जो जानबूझ कर नुकसान पहुंचाने के दृष्टिकोण से, स्टेट को नुकसान पहुंचाने के दृष्टिकोण से इस प्रकार के डाइरेक्टर्स वगैरह हैं जो इस प्रकार का मैलाफाइड इन्टेशन से काम करते है तो उसको भी कानूनी दायरे मे लिया जाये और उन लोगो को इसी कारण कानूनी दायरे मे लेने के कारण ही यह संशोधन किया गया है। उसके बाद फर्स्ट चार्ज वाली बात आपने कही। धारा 11 क्वार्टर ए. में आपने फर्स्ट चार्ज वाली बात कही। अभी राजस्थान का जो सेल्स टैक्स था उसका फर्स्ट चार्ज उस व्यापारी की प्रोपर्टी पर नहीं था और इसलिए हमे उस टैक्स को या तो छोड़ना पड़ता था या जिनका उस प्रोपर्टी में फर्स्ट चार्ज था वह तो सब पैसा उस व्यापारी से ले लेते थे लेकिन

(श्री हरिमोहन शर्मा)

सरकार को इसका नुकसान होता था और वह वसूल नहीं कर पाती थी । उसके कारण इसके ऊपर हमने फर्स्ट चार्ज करने का निर्णय लिया जो कि राज्य सरकार के हित में है ताकि हमारा फर्स्ट चार्ज उस प्रोपर्टी पर बना रहे और टैक्स वसूल किया जा सके । इसके पश्चात् जो अभी अपील करने वाली बात पर धारा 13 में संशोधन की बात है मुझे लगता है कि माननीय सदस्य ने यह संशोधन गौर से नहीं देखा है । इस संशोधन तो हमने पहले के मुकाबले व्यापारियों को राहत दी है । पहले व्यापारी को अपने टैक्स असेस पर पैनल्टी को टोटल जमा कराने के बाद ही अपील करने का अधिकार था, जब ही उसको स्थगन आदेश मिलता था लेकिन हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य को यह भ्रान्ति हो गई कि हमने नये सिरे से यह लगाया है कि जब तक वह टैक्स पैनल्टी की राशि जमा नहीं करेंगे जब तक हम अपील को नहीं सुनेंगे यह तो पहले था । यह तो हमने व्यापारियों के हित में संशोधन किया है कि उनको पूरा जमा नहीं कराना पड़ेगा और 20% ऐसी पैनल्टी और टैक्स जमा कराने पर ही उस अपील को इंटरटेन किया जा सकता है और यही नहीं एक कदम आगे और बढ़े हैं । अगर कमिश्नर चाहे और वह समझे कि ठीक है तो इन परिस्थितियों में वह उनको 20% जमा कराने से एग्जेम्पट कर सकता है । मुझे लगता है अब आप इससे सन्तुष्ट हैं....

(2.00 अपराह्न)

अपील करने के अधिकार का जो सवाल है पहले केवल व्यापारियों को ही अपील करने का अधिकार था और अधिकारीगण जैसा कि आप जानते हैं कि अधिकारीगण व्यापारियों से मिलकर या जिस प्रकार से गलत-सलत फैसले कर सकते हैं और उस फैसले के बाद गवर्नमेंट को और कमिश्नर को यह अधिकार नहीं था कि वह उसकी ट्रिब्यूनल के सामने अपील कर सके । व्यापारियों को तो अधिकार है ही ट्रिब्यूनल में अपील करने का लेकिन राज्य सरकार और कमिश्नर मुनासिब समझे तो वह भी अपील में ट्रिब्यूनल के सामने जा सकता है और अपनी बात कह सकता है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : किसके आर्डर के खिलाफ जायेगा ?

श्री हरिमोहन शर्मा : जो जिस आफिसर ने असेस किया है और राँग असेस किया है........

श्री भंवरलाल शर्मा : कमिश्नर तो खुद ही है । आप स्पष्ट करिये कि कमिश्नर के आर्डर की अपील है या किसी निजी अधिकारी की ?

श्री हरिमोहन शर्मा : ट्रिब्यूनल तो बड़ा है ना, कोई आर्डर ऐसा है कि जिसके अगेन्स्ट में गवर्नमेंट और कमिश्नर भी अगर अपील में जाना चाहें तो उसमें क्या पाबन्दी है । व्यापारी तो जा सकता है । सरकार किसी ट्रिब्यूनल में जाये तो क्या आपत्ति है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : व्यापारी के तो इस अधिकार की आप वकालात कर रहे हैं और सरकार अगर ट्रिब्यूनल में अपील कराने जाये तो काहे की नाराजगी ।

Page No. 65

65

श्री भंवरलाल शर्मा : सरकार नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा : विभाग जाये तो क्या आपत्ति है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : मंत्री महोदय, इसमें जो कमिश्नर है वही आर्डर पास करता है. उस आर्डर की अपील आपने लिखी है उसकी अपील तो होती ही है, नीचे वाले अधिकारी की अपील तो होती ही होती है।

श्री हीरालाल देवपुरा : अपील हमेशा एडिशनल कमिश्नर सुनता है और एडिशनल कमिश्नर को कमिश्नर्स के पावर्स दिये हुये है तो एडिशनल कमिश्नर जो अपील सुनता है तो उसकी अपील के लिए कमिश्नर कह सकता है, उसका अधिकार है, कर सकता है वह ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा : वही बात आ गयी।

श्री हीरालाल देवपुरा : वो ही बात कैसे आ गयी, एडिशनल कमिश्नर अपील सुनता है, कमिश्नर नहीं सुनता और एडिशनल कमिश्नर को कमिश्नर्स के पावर्स हैं इसलिये वह सुनता है अब कमिश्नर जो हैं, इफ ही फील कि गलत डिसीजन है तो वह डाइरेक्ट कर सकता है कि अपील की जाये।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह जो विवादित विषय है, इस विषय को बजाय रिव्यू के स्पेशल अपील में देना चाहिये था आपको, आपने गलत समझा है।

श्री हीरालाल देवपुरा : ट्रिब्यूनल में जाना ज्यादा अच्छा है।

श्री हरिमोहन शर्मा : कमिश्नर से तो ऊंची इण्डिपेण्डेण्ट हस्ती है ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल में जाना ज्यादा अच्छा है।

जहां तक धारा 15 में जो संशोधन है रिव्यू का, रिव्यू के लिये जो आप फरमा रहे थे, इनहेरेण्ट पावर्स हाईकोर्ट को अलग है। इनहेरेण्ट पावर्स में रिव्यू का कोई अधिकार नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है कि इनहेरेण्ट पावर्स के तहत वह रिव्यू नहीं कर सकते तो इसमें स्पेसिफिक पावर्स हाई कोर्ट को दिये जिसका लाभ व्यापारी को भी मिलेगा और जिसका लाभ सरकार को भी मिलेगा। व्यापारी भी चाहे तो रिव्यू कर सकता है और सरकार भी चाहे तो रिव्यू कर सकती है। तो अनावश्यक रूप से सुप्रीम कोर्ट में जाने का जो भार व्यापारी पर और सरकार पर है उससे बचत हो जायेगी।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : कृपया यह बतायें कि क्या अपीलिएन्ट आथोरिटी को रिव्यू की पावर्स नहीं है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : दी हुई है तो है, अदरवाइज नहीं है।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपने उनको पावर्स दे रखे हैं या नहीं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अपीलिएन्ट आथोरिटी के रिव्यू का क्या है, यह तो हाई कोर्ट में है....प्रश्न यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अन्दर जजमेंट हुआ है, हाई कोर्ट किसी भी केस में सी. पी. सी. के सेक्शन 151 में हाई कोर्ट इनहेरेण्ट पावर्स यूज नहीं कर सकती है रिव्यू के लिये।

श्री हरिशंकर भामड़ा : यह सवाल नहीं है, मेरा सवाल यह है कि अपीलिएंट आथोरिटी जिसको आप एडिशनल कमिश्नर कह रहे हैं उसने फैसला दिया उस फैसले में कमी रह गयी तो कमिश्नर अपने किसी सब-आर्डिनेट सैल्स टैक्स आफिसर को कहकर उसकी अपील ट्रिब्यूनल में कराने का अधिकार आप दे रहे हैं यही है ना, मैं पूछना यह चाहता हूँ कि क्या आपीलिएंट आथोरिटी को अपने डिसीजन को रिव्यू करने के पावर्स आपके दिये हुये हैं कि नहीं?

श्री हीरालाल देवपुरा : फाइनल जजमेंट के बाद आमतौर पर it is a sort of decree. आम तौर पर उसको रिव्यू नहीं किया जाता है, उसकी अपील ही होती है इसलिए उसको अपीलिएंट पावर्स के अधिकार दिलाने के लिए....

श्री हरिशंकर भामड़ा : मतलब उसको रिव्यू के पावर नहीं हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : रिव्यू, इस तरह का रिव्यू नहीं होता ।

श्री हरिमोहन शर्मा : आखिर में जो आपने अभी धारा 23 (डी) में संशोधन के मामले में कुछ शंका जाहिर की, यह सही है कि कुछ व्यक्ति जिस माल का जितने में खरीदते हैं उससे कम बिल बनवाकर के वह वहां से खरीद लाते हैं और इस प्रकार से कम बिल बनाकर के लाकर के उसको जो सैल्स टैक्स का जिस प्रकार टैक्स का इवेजन होता है और फर्स्ट प्वाइंट पर असेसमेंट होता है सैल्स टैक्स का तो जहां से वह बनवाकर के लाते हैं वहां पर यह होता है जो राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि उन बिलों के आधार पर 10 प्रतिशत अधिक राशि देकर उनको उक्त सामानों को राज्य सरकार खरीद ले । वह तो जितना प्रोवीजन होगा उतना ही खरीदा जायेगा । सारा माल तो जैसी आपको शंका है कि आपके सभी व्यापारियों का सारा माल खरीद लेगा वह तो निराधार है । एक डेटरेंट थ्योरी का हिसाब तो यह है कि चाहे तो विभाग उनको खरीद सकता है ।

मुझे लगता है कि इन सब बातों के सिलसिलेवार जवाब के पश्चात् आप अपना प्रस्ताव जनमत जानने का है वह या तो वापस ले लेंगे अगर वापस नहीं लेने की सूरत में उस प्रस्ताव को खारिज किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय-कर (संशोधन) विधेयक, 1989 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन अस्वीकार किया गया । प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय-कर (संशोधन) विधेयक, 1989 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

Anybody else to speak ?

श्री हरिशंकर भामड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

की सतारूढ़ दल की यह पॉलिसी रही है कि इस सैल्स टैक्स से व्यापारियों को त्राण दिलाया जाये। कई बार आपके मैनिफेस्टो में भी इसका उल्लेख किया गया है। जितने भी अमेण्डमेंट आप इसमें करेंगे यह और अधिक काम्पलीकेटेड होता जायेगा, केवल आपके अधिकारियों के लिए नहीं बल्कि व्यापारियों के लिए भी काम्पलीकेटेड होता जायेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि बजाय सैल्स टैक्स एक्ट में बार-बार संशोधन करके इस सैल्स टैक्स को समाप्त करने के लिए योजना बनानी चाहिए' और सरकार को हमेशा के लिए अपनी परेशानी भी और व्यापारियों की परेशानी को भी दूर करने के लिये इससे त्राण पाना चाहिए।

श्री हरिमोहन शर्मा : अभी जो आपके सामने कहा गया है वह पूर्णतया व्यापारियों को कतई परेशान करने की मंशा नहीं है बल्कि उनको आवश्यक सुविधाएं दी गई हैं इस अमेण्डमेंट में और यही हमारी आगे कोशिश रहेगी कि व्यापारी भी परेशान न हो। सरकार जितनी उनकी सहायता कर सकती है उतनी सहायता करेगी और सहानुभूतिपूर्वक जो उचित कदम उठाये जाते हैं वह इसी उद्देश्य से उठाये जाते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : पारित करने का प्रस्ताव रखें।

विधेयक का पारण

श्री हरिमोहन शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान (विक्रय-कर (संशोधन) विधेयक, 1989 को पारित किया जाये।

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली) : सैल्स टैक्स अमेण्डमेंट जो बिल आया है उसके अन्दर 5 सी और 5 'सी सी' और उसके बाद में जो गजट नोटिफिकेशन सरकार ने किया चूंकि इस धारा को हटा दिया और फिर उसके बाद गजट नोटिफिकेशन किया तो मेरी समझ में नहीं आता कि इस धारा को हटाने के बारे में गजट नोटिफिकेशन सरकार ने क्यों किया। उससे क्या है कि फैक्ट्री वाला जो माल खरीदेगा, क्योंकि वह सैल्स टैक्स लगा हुआ आयेगा, कच्चा माल खरीदेगा, उसको नुकसान होगा इसलिए फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी?

दूसरा-मेरा कहना यह है कि राज्य सरकार ने पहले परमिट ट्रांजेक्शन-पास इश्यू करने का आर्डर निकाला था कि जो चुंगी होगी उस चुंगी से पास दिया जायेगा, दूसरी चुंगी के अन्दर वैसा किया जायेगा वह आज तक नहीं किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने उसके अन्दर, मैं विश्वास से कहता हूँ कि गोनेड़ा के अन्दर मेरी कान्स्टीट्युएन्सी में चौकी है सैल्स टैक्स की और वहां पर मैंने खुद ने कई दफे जाकर के देखा और वहां पर इतनी चोरियां होती हैं हद दर्जे की जब तक एक चुंगी के ऊपर पहले सरकार ने, यह आर्डिनेंस पास है, कानून में है कि उस चुंगी के ऊपर उनको ट्रांजेक्ट पास दिया जायेगा उसके बाद गांव, शहर के अन्दर चीज आयेगी। उसके बाद शहर से बाहर जायेगी तो उनको पास दिया जायेगा तो

(श्री मुक्तिलाल मोदी)
मेरी समझ में नहीं आता कि आज सैल्स टैक्स की, जितना सैल्स टैक्स सरकार ने लगाया है....भले ही इससे ज्यादा लगाओ, मेरे को कोई एतराज नहीं है। परन्तु मेरा यह कहना है कि सैल्स टैक्स की जो चोरी होती है उसे रोकने के लिए आज तक किसी ने भी इस तरह का कोई कानून नहीं बनाया कि चोरी रुके। चोरी का कानून आप जब तक नहीं बनाओगे, तब तक आप टैक्स के ऊपर टैक्स लगाओगे, कानून के ऊपर कानून लादोगे तो वह कहां तक उचित होगा ?

श्री शिवचरण सिंह : चोरी नहीं करेंगे तो खायेंगे क्या ? पापड़ बेलेंगे क्या यह ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : पहले कमिश्नर को पावर था कि ब्याज भी माफ कर दे, पेनल्टी भी माफ कर दे। अब क्या है ? जिसको माफ कर दे, चाहे जिसको ब्याज माफ कर दे, जिन लोगों 2-2 लाख, 3-3 लाख की चोरी की, वह आज 12 लाख रुपये हो गये। उन्होंने कोर्ट में जाकर स्टे ले लिया, 10 बरस हो गये और उनसे कोई पैसे वसूल नहीं किये जाते हैं। सरकार की तरफ से एक रुपया वसूल नहीं हुआ। इस तरह का कानून क्यों बनाते हैं आप ? आप कानून वह बनाइये कि कल टैक्स लगेगा और 2-4-11 महीने के अन्दर अन्दर उसकी पेनल्टी, ब्याज तक वसूल होगा। 10-10 बरस तक रुपया वसूल नहीं हो ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठें, मोदी जी। मंत्रीजी जवाब देंगे आपको।

श्री मुक्तिलाल मोदी : वह पूछिये कि आज व्यापारियों से सैल्स टैक्स का कितना रुपया बाकी है, कितना रुपया फैक्ट्री वालों में बाकी है, कितना और बाकी है। आज जो परेशानी हो रही है राजस्थान सरकार को, वह इसलिए हो रही है कि सैल्स टैक्स का रुपया पूरी तरह से नहीं देते हैं। जो आफिसर सैल्स टैक्स में बैठे हैं, आज वह रिश्वत लेते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप रिपीट नहीं करे।

श्री मुक्तिलाल मोदी : उनका कोई ट्रांसफर नहीं हो सकता। मैं खुले आम यह कहता हूँ, एम.एल.ए. या प्रमुख लिखकर यह देने के लिए तैयार है। मैंने लिखकर दिया कि यह आदमी चोर है, खुले आम रिश्वत मांगता है। परन्तु उनके ट्रांसफर नहीं होते हैं। आप टैक्स भले कितना ही लगाओ, जनता देगी, किन्तु जो चोर लोग बैठे हैं डिपार्टमैण्ट के अन्दर, वह मिल जाते हैं। इस चीज को जब तक आप बन्द नहीं करोगे, तब तक आपका यह कानून सफल नहीं होगा। जनता के ऊपर भले ही टैक्स लगाओ, इससे ज्यादा लगाओ....

श्री उपाध्यक्ष : प्लीज मोदीजी, अब आप रिपीट नहीं करें।

श्री मुक्तिलाल मोदी : यह भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। सैल्स टैक्स भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना हुआ है, एक जबर्दस्त अड्डा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठें। अब जवाब सुनिये मंत्रीजी का।

श्री मुक्तिलाल मोदी : इस अड्डे को जब तक खत्म नहीं करोगे तब तक कैसे पार पड़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष : जवाब सुनना नहीं चाहेंगे ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : जो आज सी.टी.ओ. बन जाता है सेल्स टैक्स के अन्दर उसका ट्रांसफर नहीं हो सकता । जो ए.सी.टी.ओ. बन जाता है उसका ट्रांसफर नहीं हो सकता । यह कानून में कहाँ है ? उनको हटाओ । मैं कहता हूँ इस कानून को दूर करो । यूनियन के चक्कर में आकर उसी को ए.सी.टी.ओ. थोप दिया, उसी को सी.टी.ओ. थोप दिया और उसी को सी.टी.ओ. से भी ऊपर बना दिया वह सेल्स टैक्स में ही रहता है हमेशा । तो भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा ? आप इसको दूर करिये । एक डिपार्टमेण्ट से दूसरे डिपार्टमेण्ट में ट्रांसफर करिये । ट्रांसपोर्ट, सैल्स टैक्स, माईनिंग, ये सारे के सारे डिपार्टमेण्ट हैं जिनमें भ्रष्टाचार फैला हुआ है जबर्दस्त । मेरी आत्मा को तकलीफ होती है इसलिए कहता हूँ । टैक्स लगाओ, रायल्टी लो, ट्रांसपोर्ट के अन्दर टैक्स लगाओ, परन्तु जब तक एक डिपार्टमेण्ट से दूसरे डिपार्टमेण्ट में ट्रांसफर नहीं होगा वे एक डिपार्टमेण्ट से दूसरे डिपार्टमेण्ट में नहीं जायेंगे, तब तक भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : यह बात आप कहे जायेंगे ? अब बैठिये आप, मोदीजी ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : आप इसको सुधारो । कांग्रेस की इज्जत बढ़ेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, जवाब दें आप ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : कांग्रेस के अन्दर कोई आदमी आपको यह कहता है कि इस भ्रष्टाचार को मिटाओ ।

श्री उपाध्यक्ष : मोदीजी, बैठें । अब मोदीजी की बात रिकार्ड नहीं होगी ।

श्री मुक्तिलाल मोदी : ×××

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय उपाध्क्ष महोदय, जहां तक मोदी साहब के सुझाव का सवाल है, जो कर चोरी होती है उसे रोकने के लिए ही इस आर्डिनेंस के द्वारा धारा 23 (डी) में प्रोविजन किया गया है । जहां तक गलत अधिकारियों वाली बात आप बता रहे हैं, जो अभियोग लगा रहे हैं, आप शिकायत करें आप करें, कोई बात हो तो उनके स्थानान्तरण की बजाय उनको सजा देने के मामले में राज्य सरकार गम्भीर रुख अपनायेगी, और यही नीति रही है । इसलिए जो बात आपने कही....

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या आश्वासन दे सकते हैं इनको ट्रांसफर का ?

श्री मुक्तिलाल मोदी : एक डिपार्टमेण्ट से दूसरे डिपार्टमेण्ट में भेजिये, एजुकेशन में भेजिये । ऐसे डिपार्टमेण्ट में भेजिये जहां रिश्वत नहीं खा सकते ।

श्री उपाध्यक्ष : मोदी जी, बैठें ।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1989 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1989 पारित किया गया ।

××× माननीय उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(70)

(श्री उपाध्यक्ष)

परिनियत संकल्प

राजस्थान भूमि विकास निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1989

श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): उपाध्यक्ष महोदय, मैंरा प्रस्ताव है कि निम्न परिनियत संकल्प स्वीकार किया जाय कि "यह सदन श्रीमान राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर, 1989 (1989 का अध्यादेश संख्या-10) को अस्वीकार करता है।" इसमेंआप यह लाये हैं कि कैलेण्डर ईयर बजाय दिसम्बर के मार्च रखा जाय। यों तो इसकी वर्षावधि कोई कभी तय नहीं कर पाया। कोई इसको दीपावली से तय करते हैं, दीपावली पर अपने खातों को चेंज करते हैं, तो वर्ष उससे मानते हैं। कई जनवरी से मानते रहे। जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की वह इसको कैलेण्डर ईयर मानते रहे। हमारे यहाँ तो यह विक्रम और शक संवत् से भी माना गया। कुछ ऐसे देश हैं जो इसको हिजरी से मानते हैं। आप इसको करें, लेकिन यह देखें कि जो आप करने जा रहे हैं उससे खातों में क्या रद्दोबदल होगी, क्या परेशानी होगी? इसकी पहले पूरी तैयारी कर ली जानी चाहिए थी तब इसको किया जाना चाहिए था मेरा यह सुझाव है कि पहले पूरी तैयार कर लें। फिर इसको आप शक संवत् से लागू करें, कोई दिक्कत नहीं है। चेटीचण्ड का जो दिन होता है वह हमारे यहाँ वर्ष का प्रथम दिन होता है, लेकिन उसकी तारीख आप तय नहीं कर सकते कि किस दिन से इसको माना जाय। उस दिन से इसको माना जाय, मेरा यह सुझाव है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय दिग्विजय सिंह।

(अनुपस्थित)

माननीय मंत्री जी।

श्री छोगाराम बाकोलिया (भूमि विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो यह आब्जैक्शन रखा है....

श्रीमती उजला अरोड़ा: सदस्य ने।

श्री छोगाराम बाकोलिया: वह निरस्ति के लायक है।

श्रीमती उजला अरोड़ा: अभी तक भी एक भ्रामक प्रचार है। जो विधायक होते हैं उनके लिए तो विधायक का सम्बोधन होता है। और विधायिका का मतलब असैम्बली होता है। स्त्रीलिंग जोड़कर जो महिला सदस्य हैं उनको विधायिका कहते हैं। तो क्या हम अपने आप में पूरी असैम्बली हैं? आप इसको शुद्ध कीजिए। महिला भी विधायक है। राष्ट्रपति होता है राष्ट्रपत्नी नहीं होता। प्रधानमंत्री होता है प्रधान-मन्त्राणी नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष: आप विधायिका से कम नहीं है।

श्रीमती उजला अरोड़ा: मैं विधायक

Page No. 71

71

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

हूँ, आप ध्यान दीजिए आगे से। विधायिका शब्द का अर्थ असेम्बली होता है और विधायक का अर्थ चुना हुआ जन प्रतिनिधि होता है।

श्री छोगाराम बाकोलिया : जो बात कही कि फाइनेंशल ईयर चेटीचण्ड से शुरू या कैलेण्डर ईयर क्लोजिंग, दिसम्बर का होना चाहिए, यह उनका मत है। लेकिन भारत सरकार ने अभी हाल ही में 1987 में गजट नोटिफिकेशन कर अध्यादेश जारी करके अप्रेल से 31 मार्च तक का फाइनेंशल ईयर मुकर्रर किया है। हम उसी के अनुरूप यह बिल लाना चाहते हैं। जो आपने कहा कि तैयारी है कि नहीं, सरकार ने पूर्ण तैयारी कर रखी है–बैलेंस शीट, जो भी क्लोज होगी, वह 31 मार्च को क्लोज करने के लिए पूरे प्रविधान रखे गये हैं उसमें कोई कोताही नहीं बरती गयी है। इसलिए, माननीय सदस्य की जो दलील है वह अस्वीकार किए जाने लायक है इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, इसे अस्वीकार करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा कहना है कि पूरी तैयारी करके लायें। आपने उसको समझा ही नहीं।

श्री उपाध्यक्ष प्रश्न यह है कि यह सदन निम्न परिनियत संकल्प को स्वीकार करता है कि "यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर, 1989 को प्रख्यापित राजस्थान भूमि विकास निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1989 (1989 का अध्यादेश संख्या 10) को अस्वीकार करता है?"

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान भूमि विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 1989

श्री छोगाराम बाकोलिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान भूमि विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 1989 को विचारार्थ लिया जाय।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : मैं प्रस्ताव करती हूँ कि राजस्थान भूमि विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 1989 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय। मैं कहना चाहूँगी कि केवल इसी अधिनियम में नहीं, बल्कि सभी अधिनियमों में आप करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। केवल एक को मार्च तक कर लें और बाकी को आप दिसम्बर तक रखें, यह कहाँ का औचित्य है?

(2.20 म. प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

Page No. 72

(72)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

आप इस सारे की उपादेयता को समझें और देखें कि अन्य जो अधिनियम हैं उन सभी की अवधि भी आप मार्च तक करें। यह मेरा सुझाव है।

श्री सभापति : श्री देवीसिंह भाटी।

(अनुपस्थित)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैंने एक प्रस्ताव दिया था आपको कि इसको जनमत जानने के लिये भेज दिया जाय लेकिन मेरा भ्रम दूर हो गया। आपका जनता में कोई विश्वास नहीं है और आप जनता में जाना ही नहीं चाहेंगे। अभी पहले जो मैंने प्रस्ताव रखा था। सेल्स टैक्स के मामले में वह वास्तव में जनता के पास में जाना चाहिये था। उसको ही स्वीकार नहीं किया आप तो जनता के पास जाते हुये डरते हो। इसलिये जनता में तो आप जायेंगे नहीं इसलिये काहे को जनमत करवायें।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : आप इसको वापस ले लें।

श्री भंवरलाल शर्मा : विथड्रा कर लिया।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी

श्री छोगाराम बाकोलिया . सभापति महोदया, माननीय सदस्य ने जो दलील दी है और उन्होंने जो कहा है कि जनता के बीच में इस बिल को लाना चाह रहे थे लेकिन इस बात से तो वह स्वतः ही अपने आपको बाइण्डअप कर गये। क्योंकि इसमें कोई औचित्य नहीं था जनमत जानने के लिये क्योंकि हमने तो फाइनेन्शियल ईयर क्लोज करने के लिये केवल मात्र केन्द्रीय सरकार के अनुरूप ही....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मंत्री महोदय आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो हिन्दी में बोल लों। बाइण्ड-अप क्या होता है? बाइण्ड-अप कर गये हिन्दी में ही बोल लो।

श्री छोगाराम बाकोलिया : अपने आप सिकुड़ गये। इसलिये जो इनकी तरफ से प्रस्ताव रखे गये हैं वह बिलकुल न मानने योग्य हैं इसलिए मैं प्रस्ताव करूंगा कि इनके प्रस्तावों को निरस्त किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 1989 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 1989 को विचारार्थ लिया जाय?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे ।

विधेयक का पारण

श्री छोगाराम बाकोलिया : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान भूमि विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 1989 को पारित किया जाय ?

श्री सभापति : कोई बोलना चाहते हैं ?

"प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 1989 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान भूमि विकास निगम (संशोधन) विधेयक, 1989 पारित किया गया ।

परिनियत संकल्प

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1989

श्रीमती उजला अरोड़ा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि निम्नांकित परिनियत संकल्प स्वीकार किया जाय कि "यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 12 अक्टूबर, 1989 को प्रख्यापित राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1989 (1989 का अध्यादेश संख्या 9) को अस्वीकार करता हैं । सभापति महोदया, यह राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक लाया गया है मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि खासा मजाक है पिछले अनेक वर्षों से राजस्थान में निर्धारित समय पर कभी भी नगर पालिका और नगर परिषदों के चुनाव नहीं हुये । राजस्थान सरकार ने यहीं विधान सभा में कई बार यह कहा है कि हम आने वाले समय में अगस्त तक, सितम्बर तक, नवम्बर तक, दिसम्बर तक इस तरह की अवधियाँ देकर चुनाव करायेंगे लेकिन जैसा आपको भी विदित है कि चुनाव नहीं करवायें गये और इन नियमों में जो आज तक था, जिनमें यह तय था कि 3 साल की अवधि में चुनाव करवा लिये जयेंगे का खासा मजाक उड़ाया गया । अब यह अवधि 5 साल और 5 साल से भी अधिक 6 महीने और शक्ति देकर यह नियम लाया जा रहा है । मैं समझती हूँ कि इसको लाये जाने की आवश्यकता नहीं थी । आपका जो तय था उस पर भी आपने आचरण नहीं किया । मैं आपको बताऊँ जयपुर जैसी राजधानी, कोई प्रदेश की राजधानी ऐसी नहीं है जहाँ पर 17-18 सालों से कोई चुनाव नहीं हुये हों और सरकार द्वारा जहाँ पर प्रशासक नियुक्त किये गये हों । प्रशासकों के माध्यम से यह सरकार अपना मंतव्य पूरा करती रही है और अब यह दिखावट के लिये, जबकि यह जाने वाले हैं तब यह संशोधन बिल लेकर आये हैं । मैं समझती हूँ कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है । मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि पिछले नियमों के आधार

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

पर भी नगर पालिकायें और नगर परिषदें भंग कर सकते हैं ।

मेरा सुझाव है कि इसको अस्वीकार किया जाय ।

श्री सभापति : श्री दिग्विजय सिंह ।

(अनुपस्थित)

माननीयमंत्री जी ।

श्रीमती कमला (स्वायत्त शासन मन्त्री) : माननीय सभापति महोदया, माननीय सदस्या ने जो बात कही है उसमें यह तथ्य तो सही है कि बहुत समय से नगर पालिकाओं के चुनाव नहीं हुये और कई बार चुनावों को आगे सरकाने का निर्णय लिया । प्रजातान्त्रिक संस्थाओं के लिये यह बात घातक भी होती है और प्रजातन्त्र की जो प्रक्रिया होती है वह निष्क्रिय होती है लेकिन इसी पृष्ठभूमि में यह विधेयक लाया जा रहा है और उसका मकसद मूलतः जिस प्रकार से विधान सभाओं में और लोक सभा की एक निश्चित अवधि संविधान में लिखी हुयी है उसी प्रकार से राज्यों की अन्य इस प्रकार की प्रजातान्त्रिक इकाइयां हैं, संस्थायें हैं उनकी भी समयावधि को कोई भी राज्य सरकार अपने मन से, अपनी इच्छा से बढ़ा या घटा नहीं सके । इसी दृष्टि से संविधान का यह 65 वां संशोधन विधेयक पार्लियामेंट में पिछली बार लाया गया था जो राज्य सभा में पारित नहीं हो सका और उसमें यह निश्चित किया गया था कि किसी भी नगर पालिका को या पंचायत को, दूसरा जो 64 वां था उसकी समयावधि को 6 महीने से अधिक कोई भी सरकार बढ़ा नहीं पायेगी और उसके बाद में चुनाव कराने ही होंगे । इसलिए जो आपकी आशंका है और चिन्ता है पिछले वक्त में जिस तरह से चुनावों की अवधि बढ़ रही है उन्हीं पर खास-तौर से रोकथाम के लिये, महिलाओं को इसमें प्रतिनिधित्व देने के लिये और कुछ पावर्स इसके अन्दर नगर पालिकाओं को देने की दृष्टि से, इसके कारणों के अन्दर उल्लिखित हैं, माननीय सदस्या ने पढ़ा होगा, इससे एक बहुत अच्छा और व्यापक और सचमुच में जनतान्त्रिक और किसी भी प्रकार से किसी भी सरकार के व्हिम्स पर कोई चुनावों या कार्य-पद्धति के ऊपर प्रभाव न पड़े इसी दृष्टि से यह लाया गया है । इसलिये आपकी आशंका इसमें निर्मूल होती है और उस आशंका का जो आप समाधान करना चाहते हैं वह समाहित होती है । इसलिये मैं समझती हूँ कि आप स्वयं भी इसको वापस लेना चाहेंगी इस स्पष्टीकरण के बाद में और मैं समझती हूँ कि इस संकल्प को अगर वह वापिस लेती है तो ठीक है वरना इसको निरस्त किया जाय ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि श्रीमती उजला अरोड़ा द्वारा प्रस्तुत परिनियत संकल्प स्वीकार किया जाय कि "यह सदन श्रीमान् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 12 अक्टूबर, 1989 को प्रख्यापित राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 1989 (1989 का अध्यादेश संख्या 9) को अस्वीकरता है ।"

(श्री सभापति)

(अस्वीकृत)

परिनियत संकल्प अस्वीकार किया गया।

मंत्री जी प्रस्ताव करेंगी कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1989 को विचारार्थ लिया जाय?

विधेयक पर विचार

राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 1989

श्रीमती कमला : माननीय सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 1989 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति : श्री मुक्तिलाल मोदी।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री मुक्तिलाल मोदी (कोटपूतली) : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 1989 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

माननीय सभापति महोदया, यह कल भी जो प्रश्न है, वह हाउस में आया था उस समय भी मैंने कहा था कि राजस्थान के अन्दर जो नगरपालिकायें बनी हुई हैं और उनमें कोई 6 हजार की पापुलेशन के ऊपर है, कोई 8 हजार की पापुलेशन पर है और कोई 10 हजार की पापुलेशन पर है और आज जबकि पूरक प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया था कि आज काफी नगरपालिकायें घाटे में हैं और इतना घाटा आपकी सरकार दे नहीं सकती अनुदान नहीं दे सकती तो उन नगरपालिकाओं को रखने से क्या फायदा है? परन्तु सरकार ने बार-बार ऐलान किया है कि हम कुछ नगरपालिकाओं को भंग करके उनको पंचायतें बनाने जा रहे हैं परन्तु अभी कोई आर्डिनेंस नहीं निकला, बजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ। माननीय सभापति महोदया, यह जो नगरपालिका संशोधन बिल आया है उसमें 6 महीने का समय मांगा है मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि कम से कम माननीय मिनिस्टर साहब यह तो कहें कि आज नगरपालिकाओं की स्थिति खराब है जिनके कि 20-20, 25-25 लाख रुपये का कर्जा है और उन नगरपालिकों के अन्दर जो आफिसर्स बैठे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है और एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा जो एस. डी. ओ. और कलक्टर और आपके प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझी और न कोई जिम्मेदारी समझ रखी है तो माननीय सभापति महोदया आज मैं बात को जानता हूँ क्योंकि मेरे इलाके के अन्दर जो नगरपालिका है और उस नगरपालिका के अन्दर जो प्रशासक हैं और उन प्रशासकों और अधिकारियों की जो नीचे के अधिकारी हैं उनसे बिल्कुल नहीं बनती है क्योंकि आज नगरपालिकाओं की सीमा बढ़ाने में दिक्कत आ रही है और एक तो मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि डवलपमेंट चार्जेज जो होता है वह म्युनिसिपलिटी को दिया है परन्तु उस

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

डवलपमेंट चार्जेज को उगाने के अन्दर सहयोग न एस. डी. ओ. साहब देते हैं, न तहसीलदार देता है, न पुलिस देती है। माननीय मन्त्री जी भी इस बात को जानते हैं कि आज नगरपालिका के अन्दर अन्धाधुन्ध मकान जायज और नाजायज कामर्शियल परपज और घर का निर्माण बराबर होता जा रहा है एग्रीकल्चर भूमि के अन्दर और सिवायचक भूमि के अन्दर और दूसरी भूमि में इतना निर्माण हो रहा है। इतना ही नहीं, जो भूमि म्युनिसिपैलिटी एरिया के अन्दर कीमती भूमि है। कभी मेरे साथी ने जाकर शिवजी की मूर्ति पधरा दी, कोई हनुमानजी की मूर्ति पधरा देता है, कोई मस्जिद बना लेता है तो मेरी समझ में नहीं आता कि आज नगरपालिका कानून को कोई भी नहीं मानता। माननीय सभापति जी, आज इसलिए नगरपालिका कानून की क्यों आवश्यकता समझी जाती है जबकि कार्पोरेशन बनाना जानते हैं। आज यहां नगरपालिका अलग, जे. डी. ए. अलग, और फिर सरकार अलग तीन-तीन महकमें हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं माननीय सभापति जी, कि आज जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक प्रशासक रखना चाहिये या तो जे. डी. ए. बना दें, नगरपालिका खत्म कर दो और उन नगरपालिकाओं की जो छोटी हैं जिनके अन्दर कि आज नौकरों को तनख्वाह दी नहीं जाती और नगरपालिकाओं के अन्दर आज मैं समझता हूं बिजली का पैसा नहीं दिया जा सकता, पानी का पैसा नहीं दिया जा सकता, पानी के कनेक्शन आगे नहीं बढ़ाये जाते तो आज नगरपालिकाओं की हालत खराब है माननीय मंत्री जी मैं कहना चाहता हूं कि उन नगरपालिकाओं को खत्म करने के लिए आज आप हाउस के अन्दर ऐलान करेंगे कि जो नगरपालिका घाटे में है और जिन नगरपालिकाओं के ऊपर 20-20, 25-25 लाख रुपये का कर्जा है वे नगरपालिकायें जब तक नहीं सुधरेंगी उसके अन्दर जब तक आप प्रशासनिक कार्यवाही पूरी तरह से नहीं करेंगे या वे भूमि एक्वायर करके उनके प्लाट नहीं बेचेंगे या उनके डवलपमेंट चार्ज जो वसूल करना चाहिये जनता से वह उसके लिए एस. डी. ओ. साहब और तहसीलदार जी दोनों को आप पाबन्द नहीं करेंगे, आदेश नहीं करेंगे। सरकार का यह फर्ज है कि डवलपमेंट चार्ज तो वसूल किया ही जाय परन्तु कनवर्सन चार्ज भी आप वसूल करो और डवलपमेंट चार्जेज भी म्युनिसिपैलिटी को वसूल करने के लिए पूरी तरह से मदद करो और जो प्रशासक हैं वे एक दूसरे को मदद करने के लिए तैयार नहीं हैं और आज नगरपालिकायें घाटे के अन्दर चल रही हैं, बिजली नहीं जलती है गांवों के अन्दर, गांवों के अन्दर सड़कें नहीं होती हैं, नालियां नहीं हैं। आज गांव-गांव के अन्दर आपने हैल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से सेनेटरी इन्सपेक्टर बना दिया और वह सेनेटरी इन्सपेक्टर हर प्राइमरी हैल्थ सेंटर के अन्दर हर सेनेटरी इन्सपेक्टर बना दिया आपने। वह सेनेटरी इन्सपेक्टर गांवों में क्या करेगा? फालतू आप डेढ़ हजार रुपये तनख्वाह देते हैं और उसमें एक हैल्थ विजीटर्स और बना दिया उसको तनख्वाह देते हैं हजार रुपये, बारह सौ रुपये तो मेरी समझ में नहीं आता कि जहां

(श्री मुक्तिलाल मोदी)

म्यूनिसिपैलिटी एरिया है वहां पर तो आप एक सेनेटरी इन्सपेक्टर भी पूरी तरह से नहीं रखते और गांवों के अन्दर जो पांच हैल्थ सेंटर हैं तो पांच सेनेटरी इन्सपेक्टर बना दिये, 6 प्राइमेरी हैल्थ सेंटर हैं तो 6 सेनेटरी इन्सपेक्टर बना दिए तो आप सेनेटरी इन्सपेक्टर उन म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर एक करिये, दो करिये, तीन करिये जिससे कि मैं समझता हूं जनता को फायदा हो और उन म्युनिसिपैलिटीज की जिनकी हालत खराब है मैं तो आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि जब तक आप सख्ती से काम नहीं करेंगे तब तक यह नहीं होगा क्योंकि आज जो म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर हालत है माननीय जोशी जी ने एक आदेश दिया था सब एम. एल. एज. को कि जो छोटी म्युनिसिपैलिटीज हैं उन म्युनिसिपैलिटीज को आप सुझाव भेजिये। मैं जोशी जी को इस बात के लिये बधाई देता हूं, परन्तु सुझाव तो भेजे, एम. एल. एज. ने, लेकिन उसकी पालना नहीं हुई। जिन म्युनिसिपैलिटीज की आज आबादी बढ़नी चाहिये उनकी आबादी नहीं बढ़ सकती, क्योंकि पंचायत वाले पंचायत नहीं तोड़ने के लिये तैयार हैं तो माननीय सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री मुक्तिलाल मोदी : आप-आज ही ऐलान करेंगे इस हाउस के अन्दर कि जो म्युनिसिपैलिटीज छोटी हैं उनको खत्म किया जाय। उनका कर्जा जो भी कुछ है, उनके जो नौकर हैं उनकी नौकरी को पंचायत के अन्दर दिया जाय और पचायत के अन्दर आज जो सुविधा मिलनी चाहिये वह सुविधा मिले यह मेरी आपसे प्रार्थना है। (धन्यवाद)।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, मंत्री महोदय, कल खुद ही आपके सामने पांच लाख से अधिक व ऊपर की आबादी पर नगर निगम बनाये जाने की राजस्थान भर में बात कर रहीं थी और आज वे नगरपालिका और नगरपरिषद् की चुनावों की समयावधि बढ़ाने की बात कर रही हैं। यह दो तरह की बातें एक ही व्यक्ति कर रहा है और एक ही सरकार का प्रतिनिधि कर रहा है, बड़े अफसोस की बात है। मैं कहना चाहती हूं कि इसमें नगर पंचायतों का कोई प्रारूप सही नहीं दिया गया। आप जरा देखें कोई आपकी योजना स्पष्ट नहीं दी गयी।

तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि सन् 1971-72 के बाद में नगरपरिषद्, नगरपालिकाओं का कोई सीमांकन नहीं किया गया। उन्हीं पर जो वार्ड बाटे गये थे वही वार्ड अभी हैं और कहीं दूर जाने की बात सारे प्रदेश को देखकर कर लें, जयपुर नगर को करके देख लें कि जयपुर नगर में केवल 36 वार्ड थे और अब 50 वार्ड हैं जिसमें से 50 वार्ड बाटे गये थे उससे लेकर आज तक जयपुर कितने किलोमीटर वर्गाकार में बढ़ चुका है और उसके कोई सीमांकन की आपने प्रक्रिया तलब नहीं की। यह मैं समझती हूं आप जो सा

(78)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

रहे हैं सम्पूर्ण तरह से बिल को लाना चाहिए था, ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जिस समय 1977-78 में जनता पार्टी की सरकार थी उस समय 18 वर्षीय मतदाता को मत देने के लिये हमने सूचियों का रिव्यू किया और उनमें नाम जोड़े थे और चुनाव कराने जा रहे थे। आपने 80 में आते ही हमारी उस सारी योजना को फेल कर दिया। आपने आकर कहा कि नहीं, 18 साल के युवक में बुद्धि नहीं होती, 21 साल के युवक में बुद्धि होती है और अभी आप 18 साल के मताधिकार को लाने की बात करके चले हैं। मैं यह कहना चाहूंगी कि पहले दो मनोनीत या अन्य चुनी हुई महिलाओं के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं था, वार्डों में चुनी जाती थीं, कोई बन्द भी नहीं था और मनोनयन की भी प्रक्रिया इसमें होती थी। हमारे यहां भी दो मनोनीत महिलायें रही और चुनी हुई महिलायें अलग रहीं लेकिन आपने जो इसमें रिजर्वेशन किया है वह ठीक है मैं उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती लेकिन मैं कहना चाहूंगी कुल मिलाकर आपने इन नगरपालिका नगरपरिषदों के अनुदान बढ़ाने की कोई बात नहीं की। जनता पार्टी की सरकार ने जो अनुदान बढ़ाया, आपकी सब तरफ नजर जाती है कि भाई यह चीज महंगी हो गयी उस पर दाम बढ़ाये जाय यह चीज महगी हो गई उस पर टैक्स भी बढ़ाये जाय।

हर तरफ से आप टैक्स बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन आज तक आपने मनोरंजन कर तक की राशि नगर परिषद, नगर पालिकाओं को नहीं दी उनको पंगु बनाकर रखा हुआ है आप समय अवधि बढ़ाकर एक धोखा देने की बात कर रहे हैं। आपके दुबारा आने की बात नहीं है लेकिन मैं यह कहना चाहूंगी अगर और पहले आपने पास कर दिया होता तो इसको भंग करके आप प्रशासक नियुक्त करते जो आपकी प्रवृत्ति रही है उस प्रवृत्ति को देखकर मैं यह कहना चाहती हूं कि आप कहीं इसमें यह लायें कि अनुदान बढ़ाया जायेगा, इनका सीमांकन होगा, इनमें विधिवत चुनाव करायें जायेंगे, हाईकोर्ट के फैसलों तक को आपने ताक में रख दिया जिन्होने कहा था कि अगस्त में चुनाव करा लेने चाहियें लेकिन आपने चुनाव नहीं कराये और आप इस तरह के बिल लाये हैं। मैं आपसे यह कहना चाहूंगी कि आप इसको जनता में भेजें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री देवीसिंह भाटी।

श्री हरीश शर्मा : सभापति महोदय, आन ए पाइन्ट आफ इन्फार्मेशन मैडम। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हिण्डोन में दंगा हो जायेगा अगर वहां आपने स्थिति नियन्त्रित नहीं की। मुख्यमंत्री जी वहां बड़ौदा बैंक के मैनेजर ने अपने हिस्ट्रीशीटर पाल रखें हैं पहले भी झगड़ा हुआ और अभी भी झगड़ा हुआ और शिव सेना के लोगों ने वहां धरना दे रखा है मुकाबला हो रहा है मैं हाऊस से निवेदन करता हूं तत्काल इस बात का नोटिस लें। आप कहिये वहां दंगा हो जायेगा, लोग मर जायेंगे। मुझे और कुछ नहीं कहना, बस यही कहना है।

श्री सभापति : श्री देवीसिंह भाटी ।

(अनुपस्थित)

श्री भंवरलाल शर्मा ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय सभापति महोदया, यह जो बिल आप लाये हैं इसमें आपने वाहवाही लूटने की कोशिश जरूर की है और आपकी मन्शा साफ नहीं है । आपने आज तक नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं कराये और लोग परेशान होकर विभिन्न कोर्ट्स में गये । हाईकोर्ट में भी लोग गये हैं और वहां से आपको डाइरेक्शन्स मिले कि आप नगरपालिकाओं के चुनाव तुरन्त करायें लेकिन उसके बावजूद भी जयपुर नगरपालिका का उदाहरण आप लें, हाईकोर्ट ने आपको कई बार डाइरेक्शन दिये कि आप चुनाव कराइये लेकिन आप उसको हमेशा टालते रहे किसी न किसी प्रकार का बहाना बनाकर इसके चुनाव खिसकाते रहे और जो नगरपालिकाओं के चुनाव आपने कराये, वह हाईकोर्ट के डाइरेक्शन के आधार पर ही कराये बाकी आपकी मंशा कभी यह नहीं रही कि नगर पालिकाओं के चुनाव करा दिये जायें । अब जब हाईकोर्ट ने अन्तिम रूप से आपको कहा कि चुनाव आपको कराने ही होंगे तो फिर आपने यह तरीका निकाल लिया कि हम एक कानून ला रहे हैं जिसमें हम इसकी अवधि पांच साल करेंगे और सुधार करेंगे और उससे बचने के लिए एक डिबाइस के रूप में आपने इस को यहां रखा है....

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : गलत बात है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसलिए आपकी नीयत बिल्कुल साफ नहीं है । इतने सालों तक आपने नगर पालिकाओं के चुनाव नहीं कराये और उस से क्या हुआ कि हिन्दुस्तान की संसद है उसको इस बात की चिन्ता हुई । आपके इन कार्यों से वह भी अप्रसन्न हुए और उनको मजबूर होकर यह एक्ट लाना पड़ा और जिसके कारण ही आपने इसको यहां रखा है । जो लोकसभा का कानून पास नहीं हुआ उसकी नकल करने की कोशिश की है केवल इसलिए या तो आपकी मजबूरी है अगर आपकी नीयत साफ थी चुनाव कराने थे तो नगर पालिका के चुनाव कराने के लिये आपको किसने रोका था, क्यों नहीं कराये आपने दूसरा ? आपने जो एक्ट बनाया है जो अमण्डमेण्ट लाये हैं आपने इस अमेंण्डमेण्ट में महिलाओं को 30 प्रतिशत स्थान देने की बात कही है और उससे भी आपने यह दर्शाने की बात कही है कि आप महिलाओं का उत्थान करना चाहते हैं, महिलाओं को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं । पर आपकी मंशा यह नहीं है । इसमें बेइमानी है । जो सेक्शन 9 है कम्पोजीशन आफ म्यूनिसीपेल्टीज उसमें यह लिखा है कि बोर्ड का जो कम्पोजीशन होगा उसमें कम से कम दो महिलायें कोआप्ट होंगी यदि चुनी हुई दोनों आ गई तो दो रहेंगी एक चुनी हुई आ गई तो एक का कोआप्शन होगा हर हालत में उसमें दोनों कमला रहेंगी यह उसमें कानून बनाया हुआ था दोनों महिलायें रहेंगी उसमें । अब आपने यह कर दिया कि एक तो कम से कम रखी ही जायेगी एक से अधिक नहीं होगी । कुछ पालिकायें ऐसी होंगी जिसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व एक का ही होगा ।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

अब जो आप अमेंडमेंट ला रहे हैं 30 पर्सेंट की वृद्धि के साथ ही आपने उसमें यह लिखा है कि कम से कम एक....

श्रीमती कमला : छोटी में एक तो होनी चाहिये।

श्री भंवर लाल शर्मा : पहले छोटी में दो थीं।

श्रीमती कमला : 30 पर्सेन्ट आधा दर्जन बनता है तो कम से कम एक होगी यह मतलब है।

श्री भंवर लाल शर्मा : पहले छोटी में दो थीं, हर एक में दो थीं। तो जो दो का प्रोवीजन था उसको भी आप हटा रही है और महिलाओं के विकास की बात करती है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है अब आप स्वयं एक महिला ही हैं। मैं आपका ध्यान इसकी तरफ आकर्षित कर रहा हूं....

एक माननीय सदस्य जयपुर में 50 हैं।

श्री भंवर लाल शर्मा : आपके यहां दो है आपको क्या दिक्कत है। आप क्यों परेशान हो रहे हो।

"AMENDMENT OF SECTION 9, RAJASTHAN ACT NO ... :

In section 9 of the principle Act :

(a) after sub section (3), following new sub-section shall be inserted, namely :

(3A) Subject to the minimum of one seat as nearly as may be 30 per cent...."

And so on.

मगर एक से ज्यादा नहीं होगी। अगर आपके इससे चुन कर आ जायें तो बात दूसरी है बाकी पहले जो चुना जाये या न चुना जाये दो महिलायें अवश्य होंगी उसको आपने इसमें डिलिट कर दिया इससे यह पता लगता है कि महिलाओं के प्रति आपकी कोई सहानुभूति नहीं है न आप चाहती है उनका विकास हो। जो पुराना सैक्शन था वह पढ़कर आपको बताता हूं.....

"COMPOSITION OF BOARDS.

To every Board there shall be appointed by co-option in the manner provided for by order published in the official gazette :

(i) two persons belonging to the female sex...."

पुराने कानून में जिसको आप रद्द कर रही हैं उसमें दो महिलायें किसी प्रकार की नगरपालिका हो उनमें उनको होना जरूरी था अगर वह इलैक्ट होती हैं तो हों तो अच्छी बात है नहीं होती है बाई नामोनेशन होगा। अब आपने उसको समाप्त करके जो

(श्री भंवरलाल शर्मा)

यह नगर पालिकायें होगीं जो छोटी नगर-पालिकायें हैं जिनमें आज तक दो महिलाओं का प्रतिनिधित्व होता था अब आपके इस एमेंडमेंट से महिलाओं के प्रति प्रेम के आधार पर अब केवल एक सीट आप उनको देना चाहते हैं। अब जरा बताइये कैसे आप इन महिलाओं का विकास करना चाहते हैं। फिर आपने नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं कराये। कभी-कभी हमारे कांग्रेस के भाई कहते हैं आप भी तो थे आपने क्यों नहीं कराये। वह आपकी जानकारी में होगा कि जब जनता सरकार आई थी तो हमने उससे पहले जनता को वह विश्वास दिलाया था कि हम मतदाता की उम्र 18 साल करेंगे और संस्थाओं के चुनाव करायेंगे राजस्थान में नगर पालिकाओं के चुनाव बगैर कानून के बदले हम कर सकते थे और इसलिए उस समय जो 21 साल की आयु थी मतदाता के लिए उसको घटाकर हमने 18 साल की उसके लिए राजस्थान विधानसभा में कानून लाये इसको पास किया और पास करने के बाद जो पुराने वार्डस् थे उनका डीलिमिटेशन हुआ मतदाता सूची में संशोधन हुआ और उसमें जो समय लगा वह लग गया और लगने के कारण ढाई साल में वह चुनाव नहीं करा सके। उसके बाद आप आये और जो आयु हमने 18 साल निर्धारित की थी जो हमने कानून बना दिया था नगरपालिकाओं में 18 साल की आयु के व्यक्ति को मतदान का अधिकार होगा आपने आते ही पहला काम यह किया कि वह 18 साल की आयु को खत्म करके पुनः 21 साल की आयु के व्यक्ति को ही मतदान का अधिकार दिया। यह सब बातें यह दिखाती हैं कि प्रजातन्त्र में आपका कितना विश्वास है ? आप कितनी प्रजातान्त्रिक बातें करते हैं यह सब इन बातों से प्रमाण है और इस कारण से उस वक्त नगर पालिकाओं के चुनाव नहीं हुए। हमारी नीयत बिल्कुल साफ थी हम चुनाव निश्चित करना चाहते थे और सारी तैयारी पूर्ण थी। आपने नगरपालिका अधिनियम में कार्पोरेशन की बात कही है जो वर्गीकरण किया है उसमें कार्पोरेशन होगा। कल जब आप फरमा रही थीं कि कार्पोरेशन के लिए अलग कानून बनाया जायेगा। अगर कार्पोरेशन के लिए अलग कानून बनेगा तो इस कार्पोरेशन का क्या होगा ? आपने इसमें कार्पोरेशन को इन्क्लूड किया है। कल आप कह रही थीं कि कार्पोरेशन हम अलग से बनायेंगे, अलग कानून लायेंगे। तो फिर कार्पोरेशन का क्या मतलब होगा इसमें। यह जो कार्पोरेशन आपने डिफाइन किया है उस कार्पोरेशन का क्या होगा।

श्रीमती कमला : इसका तो मैंने जवाब दे दिया था ना कल।

श्री भंवर लाल शर्मा : नहीं, जो आज इसमें लायी हैं उसका क्या होगा ? वह तो आप अलग से कानून के बाद अलग कार्पोरेशन बन जाएगा लेकिन जो इस एक्ट में कार्पोरेशन की डेफिनेशन दी है आपने उसका क्या होगा ? तो जब अलग कानून लाने वाली हैं तो इसमें इसको इनकार्पोरेट करने से औचित्य आप समझायें, क्या होगा ?

सबसे बड़ी समस्या इस समय लोगों के सामने चुंगी कर की है। आपने कोई संशोधन यथा प्रस्तावित नहीं किया जिससे इस समस्या का समाधान हो सके। आपके भी

(श्री भंवरलाल शर्मा)

अनुभव में आया होगा जब आप दिल्ली जाती हैं या बाहर जाती हैं तो जितनी भी चुंगी चौकियां रास्ते में आती हैं वहां पर सैकड़ों की तादाद में यह ट्रक घण्टों खड़े रहते हैं। उसकी इनकम भी कोई ज्यादा नहीं होती। तो इस चुंगी के मामले में यदि कोई आप विचार रखती तो ज्यादा अच्छा था। इसका सरलीकरण करिये। कोई ऐसी व्यवस्था कीजिये जिससे ट्रांसपोर्ट को तकलीफ नहीं हो। उनको कई बार यह कहना होता कि जितना समय हमको चुंगी चौकी पर लगता है यदि वह समय बच जाय तो हम इतने समय में हमारी ट्रिप को डबल कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट का जो काम है वह आसान हो सकता है। इस तरफ आपका कोई ध्यान नहीं गया, न कभी आपने चिन्ता की, न इसमें कोई व्यवस्था की है।

नगरपालिकाओं की जो आर्थिक स्थिति है वह बड़ी विषम है। कई स्थानों पर तो वेतन भी नहीं मिल पाता। विकास के काम की तो बात ही अलग है। इस विषय में कभी आपने कोई चिन्ता नहीं की, न कोई ऐसी व्यवस्था की, न आप आज समझाने की स्थिति में है कि नगरपालिकाओं को चलाने के लिए उनकी आर्थिक स्थिति में आप क्या करने वाली हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जब आप उत्तर दें तो इस पर भी प्रकाश डालें कि नगरपालिकाएं ठीक से कैसे चल सकती हैं। पैसे का अभाव है, सामान नहीं, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है, इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है और जो बड़े अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति पर कोई सीमा नहीं है। जो हरिजन कर्मचारी हैं, जो लोअर कैटेगिरी के कर्मचारी हैं उन पर तो आपने सीमा लगा रखी है लेकिन यह जो बड़े अधिकारी हैं, जिनका कहीं नगरपालिकाओं में उपयोग नहीं होता, जयपुर में आपने 5–6 कमिश्नर लगा रखे हैं एक प्रशासक है, क्या उपयोग है उनका? दो डाक्टर हैं। पहले एक प्रशासक, एक कमिश्नर से काम चलता था। जयपुर भी उतना ही बड़ा था तब भी इतना उनसे काम चलता था। अब आपने 5–5, 6–6 कमिश्नर कर रखे हैं जो आपके चहेते लोग हैं, जिनको आप जयपुर में रखना चाहते हैं। कुल मिलाकर तो यह नौ दो ग्यारह हैं कमिश्नर। इनको आपने जयपुर में पाल रखा है। एक गाड़ी उनको मिलती है, टेलीफोन मिलता है। कितना खर्चा उन पर होता है। यदि उनकी तनख्वाह आप बचाओ तो विकास के बहुत बड़े काम हो सकते हैं। आज जयपुर शहर की दुर्दशा पता नहीं आप देखती हैं या नहीं देखती हैं, आप चल कर देखिये, उनके सुधार के लिए कई बार बोलते हैं लेकिन सरकार ध्यान नहीं देती है और यह कह कर बच जाती है कि पहले तो मेरे पास डिपार्टमेंट था, अब डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं रहा। अब मैं क्या कर सकता हूं। कुछ दिनों बाद आप भी यह कह दोगी। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि आप यह बिल तो पास करेंगे लेकिन जो नगरपालिका विशेषकर जयपुर शहर जो राजस्थान की राजधानी है, यहां हजारों प्रकार के लोग बाहर से भी आते हैं, सारे बड़े-बड़े लोग यहां रहते हैं, गरीब लोग यहां रहते हैं, न उनके मोहल्लों का विकास है, न गलियों का विकास है, न सड़कें हैं, न क्या है? इस पर कभी ध्यान दीजिये और उनका सुधार करिये। तो मेरा आपसे निवे-

(श्री भंवरलाल शर्मा)

दन है कि यदि नगरपालिकाओं को पंगु रखा आपने तो प्रजातन्त्र नहीं पनपेगा। इनको स्वस्थ बनाइये, इनको सक्षम बनाइये और इसके लिए कोई ऐसा कानून लाइये जिससे कम से कम आर्थिक दृष्टि से तो आपकी तरफ न देखती रहें यह। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि यदि आपने इस कानून को जनमत जानने के लिए भेजा तो बहुत अच्छे सुझाव आ सकेंगे, जनता अपने दुख दर्द को आपको कह सकेगी और उसके अनुरूप फिर यह आप कानून बना पायेंगे। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसको जनमत जानने के लिए भेजिये, लोगों की सलाह लीजिये, राय लीजिये फिर इसको पास कीजिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहती हूं कि जब कोई माननीय सदस्य बोल रहे हों तो जब अगर बात करना जरूरी ही हो तो बहुत धीरे बात करें। प्लीज माननीय सदस्य।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (रतनगढ़) : सभापति महोदया, नगरपालिकाओं, यह दुर्भाग्य है कि जो प्रजातन्त्र की नींव है और जो काम उसमें होने चाहिये उसकी ओर सरकार कभी ध्यान देती नहीं है। हम देश के विकास की बात करते हैं, नगरपालिकाओं के क्षेत्रों का विकास जो नगरपालिकाएं कर सकती हैं उनको विकास करने का समुचित अवसर दिये बिना, केवल कानून में परिवर्तन करके आप चाहें कि नगरपालिकाओं की उन्नति होगी, तो यह सम्भव नहीं होगा।

सबसे बड़ी परेशानी नगरपालिकाओं में उनके आर्थिक स्रोत की है। सरकार ने आज तक नगरपालिकाओं को आर्थिक स्रोत उपलब्ध कराने के लिए ईमानदारी से कोई व्यवस्था नहीं की। सामान्यतया: ऐसी नगरपालिकाओं में लाईट का, सफाई का, सड़कों का योजनाबद्ध तरीके से नगरों के विकास का काम करने के लिये समुचित धन उपलब्ध करा दिया जाय तो सरकार के विकास के अनेक कामों में अपने आप सहयोग मिलने की सम्भावना है। इस एक्ट में सरकार ने राजनैतिक दृष्टि से कई बातें की हैं क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले हो गये और उसमें सरकार को डायरेक्शन हाईकोर्ट ने दिये कि इनके चुनाव करवाये जायें इसलिये उस फैसले से बचने के लिए गलत मंशा के कारण यह तीन साल से बढ़ा कर पांच साल की अवधि करने की कोशिश की जा रही है ताकि हाईकोर्ट के फैसलों से वह बच जाय। इतने सारे अमेंडमेंट लाने के बाद भी नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, इस बारे में कुछ चिन्ता नहीं की गई। यह तो पहले भी था कि आप एक सरटेन समय तक प्रशासक नियुक्त कर सकते हैं मगर उसको आपने फ्लाउट किया और आज भी 6 महीने की मैक्सिमम अवधि रखने के बाद भी सरकार की मंशा जब तक साफ नहीं होगी, नगरपालिकाओं के महत्व को जब तक हम लोग नहीं समझेंगे उनका विकास में कितना योगदान हो सकता है इस बात को नहीं समझेंगे और आम जनता को नीचे के स्तर पर उनके जो अधिकार हैं उन अधिकारों को जब तक हम नहीं देंगे तब तक इन अमेंडमेंट्स का दुरुपयोग ही ज्यादा होने की

(श्री हरिशंकर भाभड़ा)

सम्भावना है। मैं आपके माध्यम से मन्त्री-महोदया से कहना चाहता हूं कि सबसे पहली बात नगरपालिकाओं में आय के स्रोत की है। आपने इन अमेंडमेंट्स में आय के स्रोत की कोई व्यवस्था नहीं की है। जब तक आप नगरपालिकाओं को अपनी ओर से आय के स्रोत नहीं देंगे, मनोरंजन कर का था लेकिन जैसा अभी आया दिया नहीं जा रहा है, हालत यह है कि नगरपालिकाओं में केवल हरिजनों की तनख्वाह चुकाने से अधिक पैसा नहीं है बल्कि हरिजनों की हड़तालें भी इसलिये होती हैं कि उनकी तनख्वाहें भी नहीं चुकतीं, उनका पी. एफ. जमा नहीं होता, बढ़ी हुई तनख्वाह उनको नहीं मिलती जो सुविधाएं आप समय-समय पर भिन्न-भिन्न रिपोर्ट के आधार पर देना चाहते हैं वह तो उनका मिलती ही नहीं है, केवल तनख्वाह देने का सवाल है, वही पूरी नहीं होती। इसलिये सफाई का काम पूरा नहीं होता, लाइट का काम पूरा नहीं होता, योजनाबद्ध तरीके से विकास का काम पूरा नहीं होता, नगरपालिका क्षेत्रों में सड़कों का काम पूरा नहीं होता, पानी की सप्लाई समुचित व्यवस्था में नहीं होती। जो असली काम है जिससे जनता का भला हो सकता है और जिससे प्रजातन्त्र मजबूत हो सकता है उन कामों को करने के लिये यदि अमेंडमेंट लाया जाता तो मैं समझता हूं ज्यादा ठीक था। यह जो आप अमेंडमेंट लाये हैं, यह तो एक राजनैतिक दृष्टि से कि हमने 30 पर्सेंट महिलाओं का कोटा रिजर्व कर दिया, अब 6 महीने से ज्यादा कोई नगरपालिका नहीं रहेगी, 20-22 साल से नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं हुए हैं राजस्थान में। 20-22 साल से। यह सरकार अब तक बैठी हुई क्या करती रही? यह चुनाव का माहौल देखकर, चुनाव देखकर यह ज्ञान कैसे पैदा हो गया? पिछले 22 साल में जहां चुनाव नहीं हुए, लोगों को विश्वास नहीं होता, आप कानून में कुछ भी संशोधन करिये आपकी नीयत साफ नहीं, आप ईमानदार नहीं हैं। यदि आप ईमानदार हैं और आपकी नीयत साफ है और चाहते हैं कि नीचे के स्तर पर प्रजातन्त्र बढ़े तो मेहरबानी करके नगरपालिकाओं के आय के स्रोत बनाइये, उनको चाहे लैण्ड रेवेन्यू का हिस्सा दीजिये, चाहे सेल्स टैक्स का हिस्सा दीजिये, चाहे आप सैन्ट्रल गवर्नमेंट से कहें कि इनकम टैक्स का हिस्सा दीजिये। जब तक आप उनकी आय का स्रोत बनायेंगे नहीं समुचित, तब तक न तो नगरपालिकाओं का विकास होगा, न शहरों का विकास होगा और न वहां की जनता को अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों का ज्ञान ही होगा इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदया, इस विधेयक के सम्बन्ध में पिछले एक वर्ष से देश में चर्चा चल रही है। भूतपूर्व प्रधानमन्त्री और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, इन्होंने लोक सभा के चुनावों में नगरपालिका एवं पंचायत व्यवस्थाओं में संशोधन विधेयक को एक चुनाव का मुद्दा बनाया था। कई जगह जहां-जहां भी इनकी देश में सभाएं हुई, विपक्ष के ऊपर यही आरोप लगाया गया कि इन दोनों संशोधन विधेयकों का विपक्ष ने विरोध किया है।

(3·00 म० प०)

Page No. 85

85

(श्री भैरोंसिंह शेखावत) :

... हम हरिजनों को अधिकार देना चाहते थे, महिलाओं का आरक्षण बढ़ाना चाहते थे लेकिन यह बात तो निर्विवाद सत्य है कि जनता ने भूतपूर्व प्रधानमन्त्री की एक बात भी नहीं सुनी और यह विधेयक या इस विधेयक से सम्बन्धित बातों को वह चुनाव का मुद्दा भी नहीं बना पाए। बार-बार उनका भाषण यही था कि राज्य सरकार समय पर चुनाव करा पाई इसलिए हम संविधान में संशोधन लाकर इसकी व्यवस्था करना चाहते हैं कि चुनाव निश्चित समय पर हो। इस सम्बन्ध में भी राज्य सभा में जब इस विधेयक पर जनमत हुआ और 2/3 बहुमत नहीं होने के कारण, यह विधेयक पारित नहीं हो सका तो विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया था कि इस विधेयक की कुछ बातों को हम स्वीकार करते हैं लेकिन अधिकांश बातें ऐसी हैं जिनसे राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप होता है। राज्य सरकार स्वयं सक्षम है और राज्य सरकार को अपने अधिकारों से इस प्रकार की व्यवस्था करने की छूट होनी चाहिए। इस विधेयक से मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो विपक्ष की मान्यता थी उसको राजस्थान के सत्ता पक्ष ने आज स्वीकार कर लिया है। अगर लोक सभा में जो विधेयक प्रस्तुत किया गया उसका और इस विधेयक का यदि तुलनात्मक अध्ययन करें तो इसमें किसी प्रकार का अन्तर नहीं होगा। इसका मतलब स्पष्ट है कि प्रधानमन्त्री सरकार की स्वायत्तता में या राज्यों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप करना चाहते थे और हस्तक्षेप का कारण एक चुनावी मुद्दा बनाना चाहते थे लेकिन न तो वह हस्तक्षेप करने में सफल हुए और न इसको किसी प्रकार से चुनावी मुद्दा बना सके। अब प्रश्न यह आता है कि जिस प्रकार से तीन से पाँच वर्ष किये गये और इसमें व्यवस्था की गई है कि 6 महीने से अधिक समय की वृद्धि नहीं हो सकती। मन्त्री महोदय आप सत्ता पक्ष में बैठे हैं, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जब से यह कानून बना है इस कानून में अवधि के सम्बन्ध में आज तक कितने संशोधन हुए? अगर तीन वर्ष की अवधि थी, तीन वर्ष में चुनाव नहीं हुए तो जब चाहे उस अवधि को एक वर्ष बढ़ा दिया। फिर एक वर्ष में चुनाव नहीं हुए तो फिर 6 महीने बढ़ा दिया। फिर एक वर्ष बढ़ा दिया और यों करते-करते 22 वर्ष तक नगरपालिकाओं के चुनावों के सम्बन्ध में जो अवधि कानून में निर्धारित थी उसकी आपसे अवहेलना की और आज आप कह रहे हैं कि तीन से हमने पाँच वर्ष कर दिए और इसमें 6 महीने की पाबन्दी लगा दी कि 6 महीने से ज्यादा चुनाव स्थगित नहीं होंगे।

मैं समझता हूँ, आपको जानकारी होगी और नहीं हो तो जानकारी कर लें कि इस प्रकार की घोषणाएँ पिछले 30 वर्ष में विधानसभा में कई बार हुई हैं इसलिए आपने जो चुनाव की अवधि तय की है या चुनाव कराने की घोषणा की है और यह कहा है कि इसमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी और इसमें कानून का पालन किया जाएगा, यह विश्वसनीय नहीं है। मैं इस दृष्टि से तो उचित समझता हूँ कि संविधान में इस तरह का संशोधन किया जाय जिसके माध्यम से चुनाव की व्यवस्था और चुनाव करने का समय निर्धारित करने

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

का काम राज्य सरकार के हाथ में न हो। राज्य सरकार के अनेकों कारण हैं। आज के दो दिन पहले सभापति महोदय, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की ओर से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेते हुए श्री नरसिंहराव का भाषण मैंने सुना और वह कह रहे हैं कि राज्यों की अपनी समस्याएं है और उन समस्याओं के आधार पर यह सम्भव नहीं है कि चुनाव समय पर करा सकें। कई बार बाढ़ आ जाती है, कई बार और परिस्थितियां पैदा हो जाती है, सरकार चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं होती। इसलिए चुनाव कराने के सम्बन्ध में हमारे संविधान में संशोधन करने की मांग की थी। मैं भी उचित समझता हूँ जहां तक चुनाव की अवधि तय करने, तारीख निश्चित करने और नगरपालिकाओं के कार्यकाल सीमा की निश्चित करने का का काम है, संविधान में संशोधन होना चाहिए और मेरा विश्वास है कि बहुत शीघ्र ही यह शासन जिनके हाथ में आज सत्ता की बागडोर है इस प्रकार का संविधान में संशोधन करेंगे तभी जाकर इस समस्या का समाधान होगा।

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज हम जिनकी समस्या का समाधान करना चाहते हैं, ईमानदारी से हम विचार कर लें, सत्ता पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है, आज सत्ता पक्ष में बैठे हैं उनमें भी कोई ऐसा सदस्य है जो कह दे कि नगरपालिका से जो सेवा अपेक्षित है वह सेवा ठीक प्रकार से हो रही है? मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आज नगरपालिकाएं चुनी हुई नहीं हैं, अधिकांश नगरपालिकाओं में प्रशासक नियुक्त है। प्रशासक तो हैं ही, उनके साथ कमिश्नर भी सरकारी अधिकारी हैं। मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा, क्या यह मान कर चलें कि राजस्थान मे नगरपालिका क्षेत्रों में जिस प्रकार में बर्बादी हो रही है उस बरबादी का कारण चुनाव नहीं होना है और जहां पर चुनाव होने चाहिए वहां पर प्रशासक नियुक्त करने के कारण से यह समस्याएं पैदा हुई हैं। अब आप विचार कर लें।

एक मामला इस सदन में 1952 से लेकर आज तक चल रहा है। राज्य सरकार हरिजनों का भला करना चाहती है। मुझे याद है, महात्मा गांधी ने भी इस सम्बन्ध में कहा था कि मेरे हाथ में जिस दिन सत्ता आएगी उस दिन मैं पहला काम यह करूंगा कि हरिजन सिर पर मैला न ढोये। उसके लिए राजस्थान में कई बार व्यवस्था की गई। कई बार बजट में प्रावधान किया गया। कई बार उपकरण खरीदने की कोशिश की गई। व्हील-बैरो के मामले में तो इस सदन में कई दिनों तक चर्चा हुई। मिट्टी उठाने के लिए जो उपकरण खरीदे जा रहे थे उनमें भी लोग भ्रष्टाचार कर गये, मैला उठाने की प्रथा तो समाप्त नहीं हुई लेकिन इससे बड़ी सरकार की कोई असफलता नहीं हो सकती कि 1947 में देश आजाद हुआ और आज के दिन तक हरिजन अपने सिर पर मैला ढोते हैं। या तो सरकार बताए कि इसका कोई विकल्प नहीं है। यदि विकल्प है

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

तो सरकार ने आज तक व्यवस्था क्यों नहीं की ?

दूसरा प्रश्न इस प्रकार का आता है, आज कोई भी नगर ऐसा नहीं है जिस नगर में माइग्रेशन के कारण, गांवों में बेकारी और बेरोजगारी के कारण, चिकित्सा और शिक्षा की व्यवस्था नहीं होने के कारण शहरों में जिस प्रकार का माइग्रेशन हो रहा है उससे शहर में तो समस्याएं खड़ी होती जाती है और शहरों में जो वर्षों से रहने वाले आम लोग हैं उनके लिए भी समस्याएं खड़ी होती है। दुर्भाग्य से हमने कच्ची बस्तियों का काम कहीं तो यू. आई. टी. को दे दिया कहीं नगरपालिकाओं के क्षेत्र में रखा। यू. आई. टी. में भी इस प्रकार की व्यवस्था है कि प्रशासक अधिकारी लगे हुए हैं। तो आज जो नगरपालिकाओं की दुर्दशा है उसका मूल कारण है समय पर चुनाव नहीं कराना और उनके स्थान पर प्रशासक अधिकारियों की नियुक्ति करना जिनका जनता के साथ कोई कमिटमेंट नहीं है। आज निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं उनका वोटर्स के साथ कमिटमेंट होता है और उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए वह डेडीकेशन से काम करेंगे उनके दिमाग में हमेशा उलझन रहेगी कि मैं अपने क्षेत्र या वार्ड में अपनी जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर सका तो अगली बार के चुनाव में मेरी पराजय निश्चित है। इस कारण से वोटर के प्रति उसका कमिटमेंट होता है। आपने इसके स्थान पर ऐसे लोगों को नियुक्त कर दिया जिनका कमिटमेंट केवल एक ही बात के लिए है कि हम सरकार में जिस समय तक हमारी आयु 58 या 55 वर्ष नहीं हो उस समय तक सेवा में रहें चाहे नगरपालिका में लगाएं चाहे यू. आई. टी. में लगाएं। तो नान-कमिटेड लोगों को लेकर नगर के निवासियों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय किया है जिसका आसानी से परिमार्जन नहीं किया जा सकता।

इसी प्रकार से इस सरकार और भारत सरकार ने एक व्यवस्था की थी.....

पंचायतों के संसाधन हैं उसकी जांच के लिए फाइनेन्स कमीशन जैसे सैन्ट्रल फाइनेन्स कमीशन बन रहा है उसी प्रकार से स्टेट फाइनेन्स कमीशन बनेगा जो पंचायतों के बीच में और राज्य सरकार के बीच में संसाधनों का बंटवारा करेगा। किस प्रकार से संसाधन जुटाए जा सकते हैं उस सम्बन्ध में वह व्यवस्था करेगा। आज मैं जानना चाहता हूँ कि 1952 से लेकर आज तक और शायद यह कानून 1953 में बना था। 1953 से लेकर आज तक क्या राज्य सरकार ने नगरपालिकाओं के संसाधनों पर विचार किया है। मैं यह कह सकता हूँ कि विचार किया, उसमें कोई वृद्धि नहीं की, कोई अतिरिक्त संसाधन नहीं दिये लेकिन जो संसाधन हो सकते थे उनके ऊपर सरकार ने एन्क्रोचमेण्ट किया। आज जमीन की बिक्री का मामला है, रजिस्ट्रेशन का मामला है, यह सारा मामला नगरपालिका के क्षेत्र में आता है, भूमि बिक्री सम्बन्धी जितने भी मामले हैं जिसके कारण से सरकार की आय होती है, मकानों की बिक्री के कारण से जो सरकार को आय होती है

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

एक तरफ से यह सारी की सारी आय नगरपालिका क्षेत्र में आती है लेकिन सरकार ने अपने संसाधनों को बड़ा दिखाने के के लिये और बड़ा करने के लिए ये सारे संसाधन नगरपालिकाओं के छीन लिये जिसका नतीजा, सभापति महोदया, आप चाहे जयपुर शहर में चले जाये, चाहे बीकानेर चले जायं और कल्ला साहब बैठे हैं, कल्ला साहब कई वर्षों से यहां मन्त्री भी रहे हैं, कल्ला साहब कई वर्षों तक सदस्य भी रहे हैं, बीकानेर के सूरसागर की समस्या का समाधान नहीं कर सके और इसलिए नहीं कर सके कि आपके पास संसाधन नहीं नहीं है। आप पाली, अजमेर और बालोतरा के अन्दर जो सीवरेज पानी और पाल्यूटेड वाटर जिसकी जिम्मेदारी जहां नगरपालिकाओं की थोड़ी बहुत हो सकती थी, नगरपालिका की आय आज सारी सरकार खा गई इसलिए वहां पाल्युशन रुका नहीं और नतीजा यह हुआ कि लगभग 56 गांवों के काश्तकार पाली में, 18 गांवों के काश्तकार बालोतरा में और 7 गांवों के काश्तकार जोधपुर में इस सरकार को रो रहे हैं कि हमारे कुएं खराब हो गये, हमारे खेत खराब हो गये, इस पानी को पीकर मवेशी जिन्दा नहीं रह सकते, यह पानी हमारे पीने योग्य नहीं रहा। यह सब से गम्भीर गलती इस सरकार ने की और इस सरकार का कल का उत्तर पढ़ कर, सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ कि पिछले 10 वर्षों से सरकार को पाल्युशन की समस्या की जानकारी है और इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रही है। इसलिए पहला मुख्य प्रश्न इनके चुनावों का है। आपने 20 साल से चुनाव नहीं कराये। मैं आज भी कहता हूं कि आप एक वर्ष और चुनाव मत कराइये लेकिन सबसे पहले इस बात की व्यवस्था करें कि नगरपालिकाओं की आय क्या होगी, संसधन नगरपालिकाओं के क्या होंगे।

सभापति महोदया, भूतपूर्व मुख्यमन्त्री ने घोषणा की और यह मुख्यमन्त्री जी जब भूतपूर्व मुख्यमन्त्री थे उस समय घोषणा की कि जो चुंगी दरों में जिस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह में असमानता है उस असमानता को हम मिटाने की कोशिश करेंगे। सभापति महोदय, आज मैं कह सकता हूं भाषण जरूर होते हैं, घोषणाएं जरूर होती है लेकिन भाषण और घोषणाओं के उपरान्त भी आज नगरपालिकाओं के क्षेत्रों में जो इस प्रकार की चुंगी दरों में असमानता पैदा हो गई उस असमानता को समाप्त नहीं किया। आप चाहे कितनी बातें करें। मुझे याद है, सभापति महोदया, 1984 का चुनाव और कांग्रेस पार्टी के मित्र और कांग्रेस पार्टी के सदस्य देखना चाहें तो देख लें, 1984 में इसी सरकार ने घोषणा की थी, चुनाव के पहले जनता से घोषणा की थी कि हम जीत कर आयेंगे तो हम आक्ट्राय खत्म कर देंगे। आज क्या आक्ट्राई खत्म हो गई? आप जीते 1984 में, आप जीते 1985 में, इन दोनों घोषणा पत्रों में अक्ट्राई खत्म करने की आपने बात कही थी। आपने आक्ट्राई आज तक खत्म नहीं की। इसलिए मैं कहता हूं कि आप चुनाव के समय जो भी घोषणा करो उन घोषणाओं का ईमानदारी से कम से कम इतना तो विचार करो कि हम इन घोषणाओं को लागू कर पायेंगे या नहीं कर

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पायेंगे। इस समय जो घोषणाएं हुई उनका तो मैं जिक्र अभी नहीं करना चाहता लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ,

सभापति महोदया, कि, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जिन व्यवस्थाओं को लेकर, मैं तो यह कहूंगा कि पीस-मील, लेजिस्लेशिट लाकर आप लोगों के सामने समस्या खड़ी कर रहे हैं। नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में तो फुलफ्लेज्ड डिबेट होनी चाहिये, डिबेट होने के बाद में नये सिरे से कानून बनना चाहिये। जो 1953 में स्थिति थी आज 1989 के अन्दर की स्थिति में, परिवर्तन आ गया है और उस परिवर्तन के आधार पर हम नहीं चलेंगे तो नगरपालिकाओं का काम अच्छा हो इस प्रकार की कल्पना भी हमारे दिमाग में नहीं घुस सकती। सभापति महोदया आप तो जानती हैं कि, जयपुर शहर में जायें चाहे जोधपुर में जाये मैं समझता हूँ कि उस मेले में रहने वाले लोगों को धन्यवाद देना चाहिये, उनकी सहन शक्ति की तारीफ करनी चाहिये कि किस प्रकार से मैले, कुचैले और आप गरीबों की बात करें तो किसी भी गरीबों की बस्ती में आप चले जायं, वहां एक तरफ गन्दे पानी का तालाब और उसी के ऊपर हैण्ड पम्प लगा रखा है, गांवों में दुनिया भर की बीमारियों पैदा हो रही है हास्पीटल इतनी संख्या में बीमारियों का इलाज करने के लिए सक्षम नहीं है। आप उस गरीब के साथ अन्याय कर रहे हैं। नगरपालिका के क्षेत्र में जो धनवान रहते हैं उनके वहां सड़क के ऊपर सफ़ाई हो या न हो वह समझ में आ सकता है लेकिन गरीब के घर के सामने भी मैला पड़ा है और उसी के ऊपर आपने हैण्ड पम्प लगा दिया, वहीं पर आपने कुआं तैयार करवा दिया। तो क्या आप समझते हैं कि कुएं में जिस स्तर के ऊपर पानी है उसमें मैला या गन्दा पानी परकोलेट होकर वहां नहीं पहुंचता है और उस गन्दे पानी को पी नहीं सकते। आज नगरपालिका क्षेत्र में, सभापति महोदया, चले जावें, नगरपालिका पूरे के पूरे चार्जेज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को देती है। आपको फक्शन्स डिवाइड करने पड़ेंगे। आज नगरपालिका बिजली लगाये, नगरपालिका पानी का इन्तजाम करें, नगरपालिका सड़कों की मरम्मत करायें, नगरपालिका नयी सड़कें बनायें, नगरपालिका उद्यान बनायें और नगरपालिका पब्लिक कम्युनिटी सर्विसेज की बातें तय करें। यह आज सम्भव नहीं है। आज वास्तव में उसका री-सेन्ट्रलाइजेशन करना चाहिये। आज नगरपालिका के अधिकार में बिजली लगाने की बात हो वह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को दीजिये वह तय करेंगे कि बिजली किस प्रकार से चले, किस प्रकार से बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था का आप पी. एच. ई. डी. को दीजिये, सारे राजस्थान की व्यवस्था पी.एच.ई.डी. कर रहा है, उसकी आय आप देना नहीं चाहते और खर्चा सारा आप नगरपालिका पर लगाना चाहते हो। सभापति महोदया, आज की जैसी व्यवस्था है, मैं किसी की आलोचना नहीं करता। इस जयपुर शहर में आज आप ट्यूब लाइट लगा दीजिये दूसरे दिन ट्यूब लाइट गायब, आज वहां कहीं बल्ब लगा दीजिये दूसरे दिन बल्ब गायब। तो सामान की चोरी होती रहे उस चोरी को भी हम नहीं रोक पाते।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हमने एक-एक मोहल्ले में इन्स्पेक्टर लगा रखे हैं। इन्स्पेक्टर सफाई की व्यवस्था नहीं कर सकता, हरिजनों को समय पर वेतन नहीं चुकाया जा सकता। इससे ज्यादा और अव्यवस्था क्या होगी। लेकिन दुर्भाग्य है उस अव्यवस्था के सम्बन्ध में कोई विचार नहीं होता। मैं चाहूँगा, सभापति महोदया, जो अलग-अलग विषय हैं, इन अलग-अलग विषयों के सम्बन्ध में कानून में प्रावधान है कि सफाई समिति बनेगी, पानी की समिति बनेगी, बिजली की समिति बनेगी लेकिन आज तक समितियां सब गायब, कोई समिति नहीं। एक आफीसर चाहेगा वहां बिजली जायेगी, एक आफिसर चाहेगा वहां हैण्ड पम्प लगेगा, एक आफीसर चाहेगा वहां सफाई होगी, एक आफीसर चाहेगा वहां सड़क की मरम्मत होगी। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके जे.डी.ए. में और म्यूनिसिपैलिटी में हमेशा एक झगड़ा रहता है। जे.डी.ए. की कालोनीज कम्प्लीट हों और कम्पलीट होने के बाद जे डी.ए. कहता है कि हमें इसके निर्माण की व्यवस्था करनी थी, हमने इसका निर्माण करवा दिया है अब इसके आगे रख-रखाव की, सफाई की और बाकी व्यवस्था नगरपालिका को करनी है। नगरपालिका टेक ओवर नहीं कर सकती वह कहती है कि हमारे पास फण्डस नहीं है इसलिए जे.डी.ए. की कोलोनीज को हम नहीं लेना चाहते। आज कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर मैं आशा करता था कि राज्य सरकार एक विस्तृत कानून लाकर इन समस्याओं के समाधान की चिन्ता करेगी लेकिन उस प्रकार की तो चिन्ता की नहीं। अब आप महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ावें या शेड्यूल्ट कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का प्रतिनिधित्व बढ़ावें, बढ़ा दीजिये मैं इसका स्वागत कर रहा हूँ, मुझे इसमें कोई आपत्ति है आप और बढ़ा दें। एक नगरपालिका मुझे अनुभव है, सभापति महोदया, राजस्थान में चिड़ावा कस्बे में एक बार चुनाव हुए। चुनाव में हमारी पार्टी भी खड़ी हुई, कांग्रेस पार्टी भी खड़ी हुई और एक सज्जन इण्डिपेण्डेण्ड खड़े हो गये, उन्होंने हर वार्ड से महिलाओं को खड़ा कर दिया। चुनाव हुए और एक भी पुरुष नहीं जीता, सभी वार्डों में महिलाएं जीत गई। यह नहीं है कि महिलाएं जीत नहीं सकती, महिलाएं चुनाव नहीं लड सकती। इतना मैं आपको कह सकता हूँ कि उस समय महिलाओं ने चिड़ावा की नगरपालिका में जो काम किये वह शायद ही सारे पुरुष जीत जाते या सारे एडमिनिस्ट्रेटर लग जाते उनसे बढ़िया काम नहीं कर सकते। महिलाओं ने वहां खूब जम काम किया और विश्वास से काम किया मैं एक विश्वास और कहता हूँ कि नगरपालिकाओं में हमेशा भ्रष्टाचार के चार्ज लगते रहते हैं। उस नगरपालिका में किसी भी महिला सदस्या के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। सभापति महोदया, यह तो 30 प्रतिशत के रिजर्वेशन की बात करते हैं, मैं तो वह कह रहा हूँ कि पुरुष तो इस सारे मामले में फेल हो गये। वे न तो शहर की सफाई करवा सकते और न बिजली और पानी का प्रबन्ध कर सकते। अगर नगरपालिकाओं का सारा काम महिलाओं को दे दिया जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी और माननीय मन्त्री महोदया उसके अध्यक्ष भी बन जाय तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री सभापति : माननीय नेता महोदय, यह एक्सपेरीमेण्ट क्या आप राजस्थान विधान सभा में नहीं करना चाहेंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विधान सभा की जितनी महिला सदस्य बनी हैं, उनके बारे में कहना नहीं चाहता। उनकी बहुत अच्छी कान्ट्रीब्यूशन है। उनके सम्बन्ध में मेरी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यह मेरे विषय का है....

(व्यवधान)

विधान सभा में सब की सब महिलाएं आ जायें, यह पालियामेंट को विचार करना है। मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। पालियामेंट इस प्रकार का कानून बना सकती है और यदि सभी महिलाएं आ जायें, तो हम अपनी महिलाओं को भेज देंगे, केदारजी क्या करेंगे, मुझे उसकी चिन्ता है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : महिला के सामने तो खड़े मत होना। आप तो महिलाओं को हराकर आते हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप तो पुरुष को हराकर आती हो। आप भी करार नहीं छोड़ती हो। मैं इसलिये निवेदन कर रहा था, सभापति महोदया, माननीय मंत्री महोदया उसके ऊपर गम्भीरता से विचार करें। कोशिश यह करें कि एक कंप्रीहेन्सिव तो नगरपालिका के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया जाये। इस सदन के अंदर चर्चा हो। चर्चा होने के बाद इसमें क्या-क्या कमियां है, किस प्रकार से उन कमियों की दुरुस्ती की जाये और उस दुरुस्ती के आधार पर कोई कानून बने तो ठीक है, वर्ना यदि पांच वर्ष कर दिया और मैं कह सकता हूं कि आपकी सरकार रहेगी तो यह पांच वर्ष नहीं 20 वर्ष हो जायेगा तो आपका कंडमनेशन है। पालियामेंट में जो कानून रखा वह राज्य सरकारों पर एक प्रकार के स्ट्रिक्चर्स थे कि राज्य सरकार चुनाव नहीं कराती हैं, इसलिये हमें कांस्टीच्यूशन में अमेंडमेंड लाना पड़ रहा है। इस प्रकार के स्ट्रिक्चर्स फिर पास होते रहेंगे। कानून में आपका बहुमत आ जाये और बहुमत में पांच वर्ष की जगह दस वर्ष कर दें, कौन आपका हाथ पकड़ेगा ? आप कहेंगे हमारा बहुमत है, जैसी मर्जी आयेगी, करेंगे। इसी प्रकार से अब तक करते रहे और दूसरा, मैं कहना चाहूंगा अन्तिम बात, कि सरकार को कम से कम ध्यान रखना चाहिये कि हिन्दुस्तान में लोगों को अपनी ग्रीवांसेज रखने का और न्याय प्राप्त करने का केवल एक स्थान रहा है और वह रही है जुडिशियरी। जुडिशियरी में जाकर वह न्याय प्राप्त करता है। चाहे चुनाव का प्रश्न हो, चाहे सेवाओं का प्रश्न हो, चाहे चुनाव की इरेगुलेरिटीज का प्रश्न हो, चाहे किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था हो, कानून का उल्लघन हो, संविधान का उल्लंघन हो, लोगों को एक संस्था के अन्दर जाकर न्याय मिलने की उम्मीद है। अब उस संस्था के बारे में नहीं रहकर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने जो बिल पेश किया है। आप मजबूर हो गयी थी इस बात के लिये कि जिन-जिन नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिये कि 15 नवम्बर या अक्टूबर तक चुनाव कराये जायें, तो सबसे पहले हाईकोर्ट में

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

आपकी तरफ से एक ज्ञापन पेश किया गया कि भारत सरकार एक संविधान में संशोधन कर रही है। जब वह संविधान में संशोधन पूरा हो जायेगा उसके बाद में हम नगरपालिकाओं के चुनाव कराने के लिए पास नहीं हुआ और पास नहीं हुआ तो वह आपका कमिटमेंट था। उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिये आप यह कानून पेश कर रहे हैं। यदि वह कमिटमेंट नहीं होता तो उससे बचने के लिये आपने यह सब कुछ किया है। तो मैं एक बात अन्तिम रूप से करना चाहूंगा कि जनता में एक जहां आस्था है, जहां विश्वास है, न्याय प्राप्त करने का, इस प्रकार का न्याय मिल जाये तो कम से कम एक व्यवस्था तो करके चलें। आज जोधपुर में, पाली में या जयपुर में या और किसी नगरपालिका में चुनाव हो जाते हैं, तो कोई भूकम्प नहीं होता, लेकिन चुनाव हो जाते हैं, तो लोगों में जुडिशियरी के प्रति एक आस्था बनती और जुडिशियरी के माध्यम से सरकार के प्रति आस्था बनती, कानून के प्रति आस्था बनती लेकिन ज्योंहि जुडिशियल जजमेंट हुआ, इस सरकार की एक आदत हो गयी कि उसको सर्कमवेन्ट करने के लिये और उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए एक आर्डिनेंस लाये, वह सेल्स टैक्स का विधेयक हो, वह चाहे नगरपालिका का विधेयक हो, चाहे और किसी प्रकार का कानून हो, ज्योंहि हाईकोर्ट ने स्ट्रक डाउन करने के बाद में दूसरे दिन मन्त्रिमण्डल की बैठक होती है और बैठक में एक आर्डिनेंस इश्यू कर दिया जाता है। यह जुडिशियल प्रोनाउन्समेंट के बाद में जुडिशियल प्रोनाउन्समेंट को नली फाई करने के लिये यदि आपने आर्डिनेन्स की व्यवस्था डाल कर, यह हिन्दुस्तान में इस प्रकार की जो प्रक्रिया चला रखी है, वह घातक है और इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि सिद्धान्त रूप में आप मान कर चलें, सरकार को कितना घाटा होता है, किसी आर्डिनेंस को इश्यू नहीं करने से वह घाटा उतना बड़ा नहीं है, कितना लोगों की स्पिरिट के ऊपर आघात होता है, लोगों के विश्वास के ऊपर जितना आघात होता है। आपका एक बिल हाईकोर्ट के जजमेंट से बचने के लिये इस समय आपने पेश किया है और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। मैं ऐसी स्थिति में सभापति महोदया, चाहूंगा कि माननीय मन्त्री महोदया इस बिल के ऊपर गम्भीरता से विचार करें, आज पास करायें, बाद में पास करायें, जनमत जानें। ज्यादा तो अच्छा होगा कि इसके ऊपर जनमत जाना जाये ताकि सारे राजस्थान की नगरपालिकाएं, बार एसोसिएशन और पब्लिक के आदमी आपको अपना मत बता सकें कि किस आधार पर नगरपालिकाओं के कानून की संरचना की जाये, यह ज्यादा अच्छा होगा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्रीमती सुमित्रा सिंह

श्रीमती सुमित्रा सिंह (पिलानी) : माननीय सभापति महोदया, मैं इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहूंगी कि इस सम्बन्ध में जो कुछ संशोधन सरकार ने किये हैं, उन संशोधनों का तो मैं स्वागत करती हूं। इस दृष्टिकोण से भी स्वागत करूंगी कि इसकी अवधि को तीन वर्ष से पांच वर्ष

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

कर दिया, जो नगरपालिकाओं के अन्दर प्रशासक नियुक्त किये जाते थे, उसकी अवधि को भी घटा करके छः महीने कर दिया, महिलाओं के लिये निर्वाचन पद्धति में क्रमानुसार वार्ड उनके लिये सुरक्षित कर दिये, ये सब बातें तो बहुत ठीक है, लेकिन जिस मंशा के साथ इस अध्यादेश को लाया गया 18 अक्तूबर को, प्रसारित किया गया, उनकी मंशा केवल इस अध्यादेश के जरिये लोकसभा के चुनावों में वोट प्राप्त करने की थी। इसलिये यह जो बिल लाया गया है, इस अध्यादेश की मंशा, इस बिल के मुताबिक सरकार की बहुत गलत मंशा है। सरकार रुक भी सकती थी, यह कोई एक महीने का, दो महीने का समय ऐसा नहीं था, कि ताबडतोड़ के अन्दर जो कुछ किया गया, इसको ठीक तरीके से, ज्यादा साइंटिफिक तरीके से, कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को कैसे प्रतिनिधित्व मिले इस बारे में प्रशासक की नियुक्ति कितने समय के लिये, पांच साल की अवधि की बजाये कितना समय हो सोच विचार के जरिये भी इस बिल को लाया जा सकता था। जिस मंशा और जिस नीयत से सरकार यह बिल लायी थी वह मंशा केवल राजनैतिक फायदा उठाने की थी। लेकिन राजनैतिक फायदा सरकार को मिला नहीं। इसीलिये मैंने अपना यह संशोधन सरकार को दिया था कि जब फायदा सरकार को राजनैतिक नहीं मिला है, तो फिर इसको इतना ताबड़तोड़ में पास करने की आवश्यकता नहीं थी। इसको तरीके से धीरे-धीरे, जनमत जानने के लिए अथवा किसी सेलेक्ट कमेटी को सुपुर्द करके किसी भी तरीके से इस बिल को आसानी से बाद में पास करवाया जाता तो ज्यादा उपयुक्त और ज्यादा अच्छा रहता।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी।

श्रीमती कमला (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय सभापति महोदया, आठवीं लोक सभा के समय में जो बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय हुए, उनमें ये दो तीन निर्णय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहे, जिनमें से एक तो मतदाताओं की उम्र 21 साल से घटा कर 18 साल की गई, अर्थात् जो आने वाली पीढ़ी है, उसको समय के साथ में हम इतना तैयार कर सकें, इतना परिपक्व बना सकें, इतना व्यावहारिक अनुभव दे सकें कि जब वह अपना कार्यभार, राजनैतिक उत्तरदायित्व, सामाजिक सेवा के उत्तरदायित्व संभालें, उस वक्त वे इस सारी फिजा में से निकलकर अपनी तैयारी के साथ में देश को उपलब्ध हों। तो यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय था, जो हमारे देश को मिला इसी के साथ में दो बहुत बड़े ऐतिहासिक निर्णय लिये गये कि अगर हम देश में प्रजातन्त्र की नींव को मजबूत करना चाहते हैं और वास्तव में जो लोग आधार की इकाइयों के प्रतिनिधि हैं, उनको इतना अधिकार इतना समय और इतनी कार्य क्षमता प्रदान करना चाहते हैं कि वे इस प्रजातन्त्र को मूल आधार को बहुत अच्छा और ज्ञानपूर्ण और देश में कितने ही उतार-चढ़ाव आये, लेकिन वह इकाइयां अपने आप में बहुत सुदृढ़, बहुत परिपक्व और बहुत निष्ठावान कार्यशैली के साथ में कार्य करने की स्थिति

(श्रीमती कमला)

में बन सकें। इसलिये संविधान के 64 वें और 65 वे आर्टिकल में यह संशोधन पंचायतों का और नगरपालिकाओं के लाये गये और लोक सभा ने इन दोनों बिलों को पास भी किया, लेकिन बदकिस्मती से यह राज्य सभा में दो या तीन वोटों की कमी से यह बिल पास नहीं हो सके। तो जो इतने महत्वपूर्ण, प्रजातन्त्र के एक आधार को मजबूत करने वाली और आम आदमी को एक बड़ा हौसला कार्य का अधिकार और उन क्षेत्रों को अपना विकास खुद करने की क्षमता पैदा करने वाले थे उनको राजनीतिक कारणों से अपने आप में सम्पन्न होने का मौका नहीं मिल सका। अभी विपक्ष के नेता महोदय ने यह कहा कि माननीय राजीव गांधी ने, जो भूतपूर्व प्रधानमन्त्री थे, इसको चुनावों में एक मुद्दा बनाया और इसके ऊपर वोट लेने की कोशिश की। लेकिन जनता ने न तो इसको मुद्दा माना और न उनकी मंशा की पूर्ति की। मैं उनसे यही निवेदन करना चाहती हूं कि जनता ने किन चीजों को मुद्दा माना, यह आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं। कितने नॉन-पोलिटिकल इश्यूज के ऊपर चुनाव हुए और किन-किन आधारों पर लोगों ने चुनावों में वोट दिये, वह आपके और हमारे सामने है। चाहे कर्जा माफी का वोट पड़ा, चाहे धार्मिक भावनाओं को उभार कर जो सारे देश में एक विष फैलाया गया उसको लेकर वोट पड़ा या इसी प्रकार से अन्याय कारणों से वोट पड़े, मुख्य रूप से जो राजनीतिक और हमारे देश की प्रजातन्त्र की मूलभूत उपलब्धियां या आधार है, उनको और नीतियों को मान कर कितने वोट पड़े, यह आपको देखने की बात है।

श्री भंवर लाल शर्मा : मंहगाई, भ्रष्टाचार और बोफोर्स काण्ड।

श्रीमती कमला : बोफोर्स को न तो लोगों ने सुना और न उसके ऊपर वोट दिया और बोफोर्स में जो कुछ पहले आपने मालूम किया वह भी है और आगे मालूम हो जायेगा, वह भी होगा। ऊपर जो कार्यवाही होनी है वह भी हो जायेगी और जो कार्यवाही अपेक्षित थी उस वक्त, वह भी घोषित की हुई थी कि अगर कहीं पर भी कार्यवाही करने से कहीं बचाव नहीं किया जायेगा। यह आपको भी मालूम है, सारे देश को भी मालूम था। इसलिए बोफोर्स को किसी ने कोई चुनाव का मुद्दा नहीं बनाया और न ही कोई राजनीतिक नीतियां जो थीं कांग्रेस दल की और उस समय की सरकार की, उसको किसी ने चुनौतियां दी और न आज उनको चुनौतियां हैं। न कृषि उत्पादन के क्षेत्र में न उद्योगों की बढ़ोतरी के सम्बन्ध में, न देश की साइन्स और टेक्नोलोजी के विकास में, न देश के अन्य सामान्य सामाजिक विकास के किसी मुद्दे को मुद्दा बनाकर कोई चुनाव में वोट पड़े, यह आपको और हमको भी मालूम है। इसलिए जिसको आप आज बहुत सही मान रहे हैं, उस वक्त आप इसलिए सही नहीं मान रहे थे कि इसका लाभ कहीं इनको चुनावों में न पड़ जाय, इसलिए आप स्वयं कान्ट्राडिक्टरी बातें कह रहे हैं कि हम चुनाव में लाभ लेना चाह रहे थे। सही बात है, जो ले रहे थे या नहीं ले रहे थे लेकिन हमने उस वक्त इसको पेश किया।

(श्रीमती कमला)

लेकिन आप आज तक इसको सही मान रहे हैं। लेकिन उस वक्त आपने मात्र राजनीतिक दृष्टिकोण से इस बात को नकारा। जबकि हम उस वक्त भी यह मान रहे थे कि प्रजातन्त्र की आधारभूत इकाइयों को अधिकार देना, सक्षम बनाना, स्वायत्तता देना बहुत जरूरी है। लेकिन आपने किसलिए खारिज किया? इसलिए कि इससे राज्य सरकारों के अधिकारों का हनन होता है। राज्य सरकारों के कौन से अधिकारों का हनन हो रहा है? यह आप स्वयं जान रहे हैं। इससे किसी राज्य सरकार के किसी अधिकार का कोई हनन नहीं होता। हनन तो हो रहा था उस घोषणा से, उस घोषणा-पत्र से, कि देश में जितने राज्य हैं उन राज्यों को

(3.35 म० प०)

(श्री रामचन्द्र जाट, सभापति, पदासीन)

और छोटा बनाया जाय और उन राज्यों को और अधिकार दिये जायें, केन्द्र को बिल्कुल निर्बल बना दिया जाय जिससे देश के टुकड़े टुकड़े हो जायें और देश की मुगलिया सरकार के पतन के वक्त जो हालत थी वह हालत पैदा हो जाय। इसलिए आशंका तो उस बात की थी....

श्री हरिशंकर भाभड़ा : एक परिवार का राज हिन्दुस्तान में चला दिया जाय....

श्रीमती कमला : आप बाद में कहना। इसलिए मेरा निवेदन है कि आशंका और डर तो ऐसी बातों से होना चाहिये था लेकिन उन बातों पर आशंका प्रकट की गई जो मन में यह जानते हुए भी कि कोई आशंका का कारण नहीं है, तो भी राजनीतिक कारणों से हम उसको दो-तीन वोटों से निरस्त करके आये। खैर ठीक है, देर आये दुरुस्त आये। आप आज इसको कह रहे हैं कि यह बातें तो आपकी सब सही हैं लेकिन कुछ बातें और लानी चाहिए थीं। उनसे मैं सहमत हूं कि वह बातें और आनी चाहिए थीं।

जहां तक दूसरा मुद्दा आपने उठाया कि यह तो आप मजबूरी में कर रहे हैं, हाईकोर्ट के कोई फैसले हैं या आप चुनाव नहीं कराना चाहते थे इसलिए आप लाये हैं—मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि न तो हाईकोर्ट के फैसले की मजबूरी है और न किसी प्रकार के चुनाव नहीं करवाने की कोई बदनियती है, उसकी मजबूरी है। सीधा सवाल यह है कि 65वां संशोधन विधेयक जो आया था उसके संदर्भ में इसको देश के लिए उपयोगी मानते हुए हमने उसको सही माना, उचित माना और अच्छा माना। इसलिए हमने उसकी बाबत आर्डिनेन्स जारी किया और आज उस आर्डिनेन्स के सन्दर्भ में आपके सामने यह बिल पेश है। मेरा यह निवेदन है कि हमें अच्छी बातों को अच्छी मानने में, सही बात को सही कहने में, जो दिल गवाही दे रहा है, उसको इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि उसको हर समय हम सही और अच्छा कह सकें। प्रजातन्त्र इससे ज्यादा मजबूत होता है और उससे कमजोर नहीं होता....

श्री भंवर लाल शर्मा : उनको समझाओं, आप यह बात ।

श्रीमती कमला : यह आपको कह रही हूं मैं । दूसरा, आपने यह कहा कि इसमें पहले ही अच्छा था कि दो महिलाएं कम से कम होंगी लेकिन अब आपने सिर्फ एक कर दी । हमारे यहां पर तीस प्रतिशत का जो नया प्रावधान रखा है तो राजस्थान में हमारे यहां छोटी से छोटी जो नगरपालिकाएं हैं उनमें आठ या नौ वार्ड हैं । अब उस आठ या नौ वार्ड था का तीस प्रतिशत कर लीजिए, एक तो किसी का नहीं होती हैं, दो या दो से अधिक ही सब जगह होती हैं। यह तो एक एहतियात के तौर पर रखा हुआ क्लॉज है, इसका तीस प्रतिशत को घटाने से कोई ताल्लुक नहीं है । लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा काम किया है, मैं तीस प्रतिशत के आरक्षण से भी ज्यादा अच्छा काम इस बात को समझती हूं कि यह चुनाव के जरिये से होगा, कॉप्शन के जरिये से नहीं होगा । इसलिए सचमुच में जो महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में या सार्वजनिक क्षेत्र में हिम्मत करके उभर कर काम करने के मन से आयेंगी, वह इसके लिए प्रतिनिधित्व पायेंगी । किसी की दया या मेहरबानी के ऊपर वह नोमिनेट होकर नहीं आयेंगी, सबसे अच्छा मुद्दा इसके अन्दर यह है । इसलिए आपको इसकी तो कोई आशंका नहीं करनी चाहिए ।

जहां तक आपने कार्पोरेशन्स की बात कही, मैंने कल भी निवेदन किया था और आज भी करना चाहती हू कि जो बिल के अन्दर दी हुई है कैटेगिरीज, वह तो हमने दी है कि कितनी प्रकार की नगरपालिकायें या कार्पोरेशन्स या परिषदें होंगी । लेकिन जहां-जहां पर भी कार्पोरेशन्स कायम किये जायेंगे । वह तो नामजद कार्पोरेशन का अलग से प्रावधान करना ही होगा, जो कि सब जगह पर होता है । इसलिए यह कल भी मैंने बताया था और आज फिर आप से निवेदन कर रही हूं इसके अलावा चुंगी दरों में असमानता और चुंगी की समाप्ति के बारे में आपने और माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने कहा । यह बात सही है कि चुंगी दरों में बहुत भारी असमानता है और अभी हमने कुछ समय पहले कोशिश की कि हम इस समानता को किसी तरह से लागू कर सकें । कहीं पर वही चीज तौल से है, कहीं पर वही चीज नग से है, कहीं पर वही चीज कीमत से है यानि उनमें बहुत सारा फर्क रेट्स का पड़ता है । पिछले कुछ दिनों में विभाग ने किन्हीं 10-5-15 नगरपालिकाओं की दरों मे इस तरह की समानता करने की जब चेष्टा की तो पता यह लगा कि आस-पास की नगरपालिकाओं से उनका तालमेल बिल्कुल खत्म हो गया । इसलिए आइसोलेटेड में कर सकने की स्थिति में मामला नहीं है । इसी तरह से जो आपने कहा कि उनकी खुद की आमदनी के स्रोत कोई कायम नहीं किये गये हैं । आमदनी के स्रोत में भी कौन-कौन से आइटम किस-किस विभाग में किस प्रकार से नगरपालिकाओं को या लोकल बॉडीज को दिये जा सकते हैं, इसके बारे में काफी समय लगेगा, इसके अन्दर काफी कुछ एक्सरसाइज करने की जरूरत है । इसलिए किस तरह से इसका विकास किया जाय, किस तरह से इनकी समस्याओं को हल किया जाय, किस तरह से इनकी आमदनी के स्रोत बनाये जाये और किस प्रकार से यह

(श्रीमती कमला)

चुंगी की दरें समान होकर इनकी आमदनी का एक अच्छा स्रोत बन सके, यह मुद्दे ऐसे हैं जिसके ऊपर हमने अभी विभाग के साथ चर्चा करके सामान्य तौर पर उनको कुछ बेसिक ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कहा है। लेकिन वह इतना सरल और आसान नहीं है कि हम उनको बहुत थोड़े से समय के अन्दर तैयार कर सके, इसलिए उनके ऊपर अलग से कार्यवाही सरकार की तरफ से प्रस्तावित है, निर्देश दिये हुए हैं और किस-किस प्रकार से यह किया जा सकता है, मैं इसके लिए हमारे तमाम माननीय सदस्यों को भी अपनी ओर से चिट्ठी लिख रही हूँ कि वह इस बाबत अपने सुझाव दें, और उसके बाद में उसके ऊपर जो प्रशासनिक तौर से कार्यवाही की जा सकेगी, उसको उस प्रकार से किया जायेगा....

जिसके लिए कोई वैधानिक कार्यवाही अपेक्षित होगी उसको उस प्रकार से टेकअप किया जा सकेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : चिट्ठी अभी जल्दी मत लिखना। एक दो महीने बाद लिखना।

श्रीमती कमला : जल्दी लिखूं? आपको तो वैसे ही लिख दी। आपको कह ही रही हूँ ना। इसके अलावा माननीय मुक्तिलालजी ने कल भी कहा था, आज भी कहा, छोटी नगरपालिकाओं को पंचायतों में बनाने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था कि 84-85 नगरपालिकाओं को मुखर्जी रिपोर्ट के तहत पंचायतें बनाने का सुझाव दिया गया था। उसके बाबत सभी से एतराज माँगने की कार्यवाही तो सम्पन्न कर ली लेकिन उसमें भी बहुत से विवाद हैं हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जो आम लोग इन इलाकों में रहने वाले हैं उसमें से बहुत से लोगों की राय है कि चाहे हमारी जनसंख्या कम है लेकिन हमारी नगरपालिका का करेक्टर अरबन है इसलिए उसको नगरपालिका ही रहने दिया जाय। कुछ कहते हैं कि नहीं यह हमारे लिए बहुत परेशानी का कारण है। इसलिए इसको हटा दिया। इसलिए इसके परीक्षण के लिए भी एक समयावधि चाहिए जिससे की जहां पर कोई विवाद नहीं है तो उनको तो पंचायत बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। पर दरअसल में कुछ ऐसी भी हैं जो जनसख्या के हिसाब से तो छोटी हैं लेकिन उनके कार्य व्यवहार से, काम करने की शैली का उनकी व्यवस्थाओं का पैटर्न डवलप हो चुका है वह दरअसल में अरबन करेक्टर की हो गयी है। तीसरी बात इसमें यह है कि आज वहाँ पर जो सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं उनको चुंगी आदि लेने के बाद भी भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो पंचायतें बनाकर के उनको किस प्रकार से एडजेस्ट करें? क्या उनको आमदनी के स्रोत दें। जब तक यह नहीं होता तब तक पंचायतों को यह लायबिलिटी, यह तकलीफ सौंपना कोई सुखदायी नहीं होगा बल्कि दुखदायी हो सकता है। इसलिए इसके बारे में भी सोचना अपने आप में जरूरी है।

एक आपने कहा कि सरकार जे. डी. ए. और पालिका अलग-अलग घाटे में हैं, विकास नहीं है उनके बारे में मैंने आपसे निवेदन किया कि जो नगर निगम बनाने

(श्रीमती कमला)

का राज्य सरकार के सामने प्रस्ताव है, उसके तहत विकास ऑथोरिटी अलग रखी जाय या नगर निगम में रखी जाय कौन-सी जनहित में, और मैं और जनता की सुविधा के लिए ज्यादा उपयोगी होगी उसके बारे में भी अभी विचार किया जाना बाकी है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय डॉ. उजलाजी अरोड़ा ने कहा नगर पंचायतों का इसमें कोई प्रारूप नहीं दिया गया। इसमें साफ तौर पर यह लिखा है कि जो पंचायतें हैं, जिनकी आबादी थोड़ी बहुत बढ़ गयी है और जो नगरपालिकाओं के रूप में डवलप होने की दिशा में है, कंडीशन में है, उनके अन्दर हम नगर पंचायतें कायम करेंगे। इसमें 84-85 नगरपालिकायें हैं। उनके अतिरिक्त जो बड़ी पंचायतें हैं और जो इस तरह अपना रूप बना रही हैं, उनको उस दृष्टि से बनाने का है। उसका विस्तृत रूप इसमें न देकर के एडमिनिस्ट्रेटिव परिपत्र में उसको जारी किया जायेगा।

इसके अलावा आपने कहा कि डी-लिमिटेशन नहीं हुआ तो उसका तो एक फायदा बना हुआ है कि जिस वक्त चुनाव कराये जाते हैं उस वक्त की जो जनसंख्या होती है उसके आधार पर अगर जनसंख्या बढ़ गयी है और नये वार्ड्स बनाने जरूरी हो जाते हैं तो उस हिसाब से उसका डी-लिमिटेशन कर दिया जाता है। अब जब चुनाव होंगे तो डी-लिमिटेशन के साथ ही नये चुनाव होंगे।

माननीय सुमित्राजी ने यह कहा कि ताबड़तोड़ करने की जरूरत नहीं थी और जिस नीयत से किया वह ठीक नहीं थी तो मैं यह निवेदन करना चाहती हूँ कि उस वक्त भी यही नीयत थी कि हम नीचे की इकाइयों को मजबूत करें, वहाँ से विकास की योजनाएँ शुरू हों, वहाँ लोगों को पूर्ण अधिकार दिये जायं, कोई भी बीच का विभाग या अधिकारी उनके कार्य करने में बाधक नहीं हो, सीधे उनको वित्तीय सुविधाएँ उपलब्ध हों, खुद वह अपने विकास का निर्णय करें, उसी नीयत से उस वक्त बनाया था, उसी नीयत से आज लाया गया मैं समझती हूँ कि जितना समय इसको लाने और पारित करने में लग रहा है उसको हम ताबड़तोड़ की परिभाषा तो नहीं दे सकते। यही कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा रुचि के साथ इसको किया जा रहा है।

(3.45 म. प.)

(श्री किशन मोटवानी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्रीमती सुमित्रासिंह : आपकी सरकार जाने से कुछ तो डी-लिमिटेशन होगा।

श्रीमती कमला : जाने से पहले का सवाल नहीं है, हम तो मौजूद हैं, आगे भी मौजूद मिलेंगे जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। यह तो कण्टीन्यूएशन में है। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगी माननीय सदस्यों से की यह जो बिल आपके सामने प्रस्तुत किया गया है उसमें कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है....

श्रीमती उजला अरोड़ा : इससे यह तो स्पष्ट हो गया कि आप चुनाव नहीं कराना चाहती थीं इसीलिए आपने सीमांकन नहीं कराया। यह भी स्पष्ट हो गया कि जनवरी में चुनाव होने जा रहे थे हाई कोर्ट के आदेश से इसीलिए यह बिल लाये हैं।

श्रीमती कमला : जी नहीं। इसके कारण से नहीं किया। मैंने आपसे पहले निवेदन किया लोकसभा में इस तरह का निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय देश ने लिया कि हम हमारी स्थानीय इकाइयों को महत्त्वपूर्ण स्थान देना चाहते हैं। इसलिए 64वें व 65वें संविधान संशोधन के तहत में इसको लागू किया गया। इसमें न कोई हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना से बचने के लिये करा था....(व्यवधान)

बैठ जाइये आप मेरे आमने-सामने बहस नहीं करें।

इसलिए इसमें कहीं कोई बदनीयती का कारण नहीं, कहीं कोई हाई कोर्ट के आदेश से बचने का कारण नहीं, कहीं कोई चुनाव नहीं कराने की नीयत नहीं। यह शुद्ध और सात्विक रूप से ऐतिहासिक कदम को लागू करने का हमारी सरकार का उस वक्त का संकल्प था भारत सरकार का और आज हमारी सरकार का संकल्प है जिसको हम देश के लोगों को देना चाहते हैं। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगी कि यह शुद्ध रूप से बहुत प्रगतिशील कदम है, जिसमें 18 वर्ष की उम्र के नौजवानों को मताधिकार दिया गया है, हमारी नगरपालिकायें 5 साल के लिए निश्चित रूप से काम करेंगी और अगर कहीं ऐसा हुआ कि कोर्ट का फैसला आया या बोर्ड ने इस्तीफा दे दिया या कोई कहीं इन एलीजीबिलिटी हुयी तो उसके कारण से, कारण इसमें स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं सरकार की मंशा नहीं लिखी है, जैसाकि पहले वाले में था कि सरकार अगर चाहेगी तो एक्सटेण्ड कर सकेगी, ऐसा इसमें कुछ नहीं दिया है। इसमें निश्चित कारण दिये हैं कि इन-इन कारणों से अगर कहीं कोई ऐसी स्थिति पैदा हुयी तो सरकार सिर्फ 6 महीने के लिए उसको एक्सटेण्ड कर सकेगी और 6 महीने के बाद उनको जरूरी तौर पर चुनाव कराना ही पड़ेगा कोई भी ऑथोरिटी समिति या प्रशासक उससे ज्यादा चल नहीं पायेगा और सबसे ज्यादा खुशी की बात यही है जैसा मैंने कहा कि महिलाओं को भी निश्चित किये हुए अपने वार्ड से चुनकर आने का और अपनी बात इन संस्थाओं में कहने का अधिकार मिलेगा। यह अपने आप में बहुत अच्छा और सराहनीय कदम है जिसको सदन को सर्वसम्मति से विचारार्थ लेना चाहिए और पारित किया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1989 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये ?

(अस्वीकृत)

जनमत जानने के लिए परिचालित करने का प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1989 को विचारार्थ लिया जाय ?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

पारित करने का प्रस्ताव करेंगी।

विधेयक का पारण

श्रीमती कमला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1989 को पारित किया जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा व्यवस्था का प्रश्न है। उन्होंने अभी विचारार्थ का प्रस्ताव ही नहीं किया है।

श्रीमती कमला : रख दिया था आप थे नहीं तब रख दिया था।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फिर जनमत का कैसे कराया ?

श्रीमती कमला : संकल्प तो पहले निरस्त हो गया था उसके बाद विचारार्थ रखा था वह हो गया अब पारित होने का है।

श्री रामसिंह विश्नोई : आप काना-फूसी कर रहे थे उस समय ही यह हो गया था।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदया जो यह विधेयक लायी हैं कि चुनाव किस वक्त कराये जायेंगे डी-लिमिटेशन कितनी आबादी पर क्या रखा जायेगा सब तो लेकर आयी हैं पर मन्त्री महोदया मैं यह पूछना चाहूँगी कि यह तो एक ऐसी चीज है जिसका आना तुरन्त आवश्यक नहीं था। अच्छा होता यदि आपने चुनाव डिक्लियर कर दिये होते तो उसके बाद यह सोचते रहते।

आपके इन्टेंशन की क्लियरिटी तो उससे पता लगती कि आपने चुनाव करवाये होते। यह समय बढ़ाने, समय घटाने की फ्यूटाइल एक्सरसाइज बार-बार हाऊस में क्यों हो और फिर यह तीसरी चौथी बार यह क्यों हुई। मैं सोचती हूँ यह इर्रेलेवेंट है। सदन का समय बिगाड़ना है और आपकी इन्टेंशन साफ नहीं है यह भी इस बात से पता लगता है कि आप सिर्फ बाइलअवे करना चाहती हैं। आपकी नीयत विशेष रूप से कुछ करने की नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहती हूँ सिर्फ समय घटाने-बढ़ाने से क्या होगा ? सिर्फ आरक्षण बढ़ाने से क्या होगा ? वह आवश्यक हो यह दूसरी बात है। महिलायें अधिक जीत कर आयें हम लोग भी यह चाहते हैं परन्तु उससे भी ज्यादा आवश्यक है और एक्सप्लेनेशन मंत्री महोदया को देना होगा कि अब तक की जो व्यवस्थायें इनके कार्यकाल में और कांग्रेस के राज में रही उसके लिए यह अब क्या कर रही हैं और पहले क्या किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 12 सौ करोड़ के करीब रुपया भ्रष्टाचार में नगरपालिकाओं में विभिन्न नगरपालिकाओं में अटका हुआ है। बार-बार ऑडिट रिपोर्ट इस बात पर जोर दे रही हैं और उसमें 7 सौ करोड़ के करीब

(श्रीमती विद्या पाठक)

तो ऐसा रुपया है जिसकी रिकार्ड सैंक्शन एनक्वारी....किसी का कोई ट्रेस ही नहीं है। अगर जाँच भी करेंगे तो क्या करेंगे। एक्सप्लेनेशन काल करेंगे तो किसका और एक्शन लेंगे तो किस पर? 7 सौ करोड़ रुपया जो आज नगरपालिकाओं की माली हालत खराब है तो उसके लिए प्रमुख रूप से यह भी एक कारण है। अच्छा होता, माननीय मन्त्री महोदया इसके विषय में कुछ सदन में कहतीं और इसके लिए प्रयास किया होता परन्तु आपने उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया ना उसकी वसूली के लिए और ना उसको आगे रोकने के लिए। पैसा कम भले ही हो नगरपालिकाओं के पास पर पिलफ्रेज आज भी उतनी ही जोरदार तरीके से चालू है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूँगी आपकी सारी नगरपालिकायें ई-ओज और प्रशासकों के अन्दर भ्रष्टाचार के अड्डे बनी हुई हैं। जितने भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर छोटी नगरपालिकाओं में लगे हुए हैं वह किसी न किसी खाऊ-पीऊ नेता के रिश्तेदार है या पिट्ठू हैं और निरन्तर आय का साधन इर्रेगुलरिटीज करने और फेवरेरिज्म के साधन उसके निरन्तर साधन बने हुये हैं। हमारे उदाहरण के लिए ही कह दूं। हमारे यहाँ सांगानेर में मेरे से अभी कुछ समय पूर्व मुझे यह जानकारी यह भी मिली है कि बनी-पार्क विधायक के कोई रिश्तेदार इ. ओ. हैं उन्होंने बंगले, मकान बनाये लोगों का कहना है कि उनकी छत संगमरमर की बनी हुई है जबकि उनकी आय और सोर्स क्या है। दूसरे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर महोदय आये हैं यह श्रीमान् नवलकिशोर जी के कोई भाई-भतीजे बताये जाते हैं और वह भी बड़े प्रयास के बाद लाये गये हैं। परन्तु उससे पहले जो सांगानेर में एग्जीक्यूटिव आफिसर भटनागर था जिस पर करोड़ों रुपयों के चार्जेज लगे हुये है उस पर आपने अब तक क्या कार्यवाही की? वह कोई लोजिकल कन्फ्यूजन तक पहुँचा नहीं। आपकी नगर-पालिकाओं में हालत यह है कि आपकी नगरपालिकायें जिनके विरूद्ध केस करती हैं विपक्ष का वकील भी वही है और नगर-पालिका का वकील भी वही है। अगर पता करना हो तो रमेश गूजर कोई वहाँ वकील है जो आपके कई केसों की जांच भी कर रहे हैं जो इन्कम्बेंट के वकील भी है नगर-पालिका के वकील भी वही है तो माननीय मंत्री महोदया अच्छा होता अगर इन व्यवस्थाओं में सुधार लाये जाने को प्राथ-मिकता दी जाती।

चुंगी चौकी में असमानता तो है ही परन्तु भ्रष्टाचार रेमपेन्ट है। स्वयं आपके कांग्रेस अध्यक्ष सांगानेर में श्रीमान् सलीम कागजी जो है उनके विरुद्ध चुंगी चौकी का केस अभी तक चला हुआ है जिसको दबाया हुआ है। यही नहीं उनके विरुद्ध बिजली की चोरी का भी केस है जो इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड या नगरपालिकायें दोनों उसको परश्यू नहीं कर रही है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपनी मर्जी रखने के पीछे यही बड़ा कारण है। वार्डों में एन्क्रोचमेंट भयानक रूप से हो रहा है। कई वार्ड ऐसे हैं जो आबादी वार्ड भी हैं और एग्रीकल्चर भी हैं उनमें बिजली की व्यवस्था नगरपालिकाओं में नहीं है। उनको बिजली जो आम-तौर पर एक सिंगल फेस नगरपालिकाओं के क्षेत्र में दिया जाता है

(श्रीमती विद्या पाठक)

वह भी उन नगरपालिका वार्डों में नहीं दिया जा रहा है । आपने कहीं भी उस बाटल नेक को खतम करने का प्रयास नहीं किया है इसी तरह से पावर सप्लाई का भी मैंने बताया था । जैसा कि अवैध निर्माणों की बाढ़ आई हुई है और उसमें प्रशासकों और एग्जीक्यूटिव आफिसर्स की चाँदी हो रही है और उसको रोकने वाला न इन्सपेक्टर है न कोई बड़ा अधिकारी है और जो रोकते हैं तो वह मंत्री स्तर पर जाकर जब दब जाते हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गन्दगी का हर वार्ड में बोल-बाला है । कई बार तो ऐसा होता है कि महिलायें अपने कपड़े अपने लहंगे साड़ियाँ ऊपर उठा-उठा करके उन वार्डों में से निकल कर जाती है जो किसी भी मानव के लिए शर्म की बात है । रोशनियों की कोई व्यवस्था नहीं है, पब्लिक पावर्स कहीं है नहीं, लाइब्रेरीज कहीं है नहीं और कच्ची बस्तियाँ, उनका मैनेजमैण्ट किसी नगरपालिका द्वारा नहीं हो रहा है और सारे रास्ते विशेष तौर से कच्ची बस्तियों के रास्ते तंग कर दिये गये हैं और आपकी नगरपालिकाएँ कुछ नहीं कर रही हैं । मैं यह कहना चाहती हूँ । आवारा पशु हर नगरपालिका क्षेत्र में ट्रैफिक बेरियर यदि कोई सबसे बड़ा बना हुआ है, यदि ट्रैफिक में व्यवधान कोई है तो वह स्थान-स्थान पर घूम रहे हैं यह आवारा पशु हैं । सारी नगरपालिकाओं में किसी का प्लान डवलपमेंट नहीं है आपने इसके बारे में कहीं सोचने की आवश्यकता नहीं समझी । इसी तरह मैं आपसे कहती हूँ यह चैलेन्ज है आपको आप भी एक महिला है और आप करवा सकती है तो करवा लीजिए । मैं चार साल से कोशिश कर रही हूँ सांगानेर जनाना अस्पताल लेबर रूम के बराबर नगरपालिका ने सब्जी मण्डी शिफ्ट की है हालांकि पूर्व में जहाँ सब्जी मण्डी थी वह अब भी वहाँ एग्जिस्ट कर रही है पर एडीशनल रूप से शिफ्ट कर दी उससे महिलाओं को टिटनेस और सैप्टिक हो रहा है अगर आप रोक सकती हैं तो रोक लें वरना आपके नगरपालिका के अधिकारी न रोकना चाहते हैं और न ही रोकने का कोई प्रयास करना चाहते हैं तो इतनी अव्यवस्था, इतनी मोनेटरी इर्रेगुलरिटी इतना पिलफ्रेज इसके बिना नगरपालिकायें चलेगी कैसे फिर क्या यह आप लालीपाप देना चाहती हैं जनता को और इस सरकार को । क्या चुनाव में महिलाओं को प्रिफरेन्स देंगी उनका कुछ प्रतिशत तय कर रही हैं या कुछ आबादी तय कर रही हैं जो ऑलरेडी था उसको क्या करना और महिलाओं को ज्यादा जिताना है तो वैसे भी जीत कर आ सकती हैं महिलायें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं निवेदन करना चाहूँगी । माननीय मंत्री महोदया ने अपने गलत तर्क के आधार पर काटने की कोशिश की है कि हाई कोर्ट के फैसले के लिए नहीं लाया गया यह बिल केन्द्र के माध्यम से लाया गया है लेकिन आपका यह तर्क कहीं भी फिट नहीं होता । मैं कहना चाहती हूँ केवल इसी डर से बचने के लिए आप इस बिल को लाई हैं । मैं आप पर आरोप लगाती हूँ ।

दूसरा मैं कहना चाहती हूँ कि जो

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

नगर परिषद् और नगर पालिकायें हैं इसमें, जो टैक्निकल सर्विसेज के लोग हैं आपके यहाँ अग्नि शमन के जो कर्मचारी हैं उनका कोई सेवा नियम नहीं है। जो सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए कोई सेवा नियम नहीं है, उनके प्रमोशन की कोई अवधि नहीं है। कोई महिला कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी है उसका कोई प्रमोशन नहीं है आपने इन अव्यवस्थाओं को देखा है कि 20 साल से महिला कर्मचारी काम कर रही है ना तो वह इन्सपेक्टर बन सकी न ही पटेल बन सकी। जो और कर्मचारी हैं वह तो उनसे बढ़कर इन्सपेक्टर हो गये लेकिन महिला कर्मचारी का कोई प्रमोशन आपके यहाँ नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि आपके यहाँ हाजरियों पर ड्यूटी का कमीशन तय है। नीचे से ऊपर तक पहुँचता है। कभी आपने चैक किया। सफाई की अव्यवस्था क्यों है ? जयपुर नगर में 6 हजार सफाई कर्मचारी हैं लेकिन सफाई नहीं। आपके यहाँ झाडू नहीं, टोकरी नहीं, ढोने की गाड़ियाँ नहीं गाड़ियाँ तो उनके फेरे नहीं और डीजल पैट्रोल पर लोग बराबर फेरों के हिसाब से खा रहे हैं। जिन भ्रष्टाचारी लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमें हैं और उन्हें कहा गया कि जयपुर में नियुक्ति नहीं दी जानी चाहिए उनको जयपुर नगर परिषद में आपने ऊँचे पदों पर रखा हुआ है। आप इस भ्रष्टाचार को मिटाना नहीं चाहती। काम करना नहीं चाहती। इसलिए आप अन्य व्यवस्थाओं में इस अव्यवस्था को भी जोड़ रही हैं। ट्रीटमेंट प्लाण्ट जयपुर नगर में नमूने के लिए बना था वह अभी तक आबादी की आबादी सड़ रही है। मच्छर मक्खी कूड़ा, गन्दगी आपने एक विरूप स्थिति लोगों के सामने रखी हुई है। सरूप कहाँ से आयेगा। आप गलत ढंग से यह जो बिल लाई हैं मैं समझती हूँ कि आपकी अव्यवहारिकता है अगर आप इतनी बुद्धिमती होकर समझ लेती इसको और जब हम आपको सुझाव देते आप पेन्सिल से फूल नहीं बनाती होती तो आपकी बुद्धि में कोई राय की बात घुसती। मैं कहना चाहती हूँ कि आप अब भी समझदारी से काम लें।

श्रीमती कमला : मुझे माननीय सदस्या से कहना है कि आपको फूल बनाने से क्या एतराज है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कतई नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या आर्डर प्लीज (व्यवधान)

श्रीमती विद्या पाठक : आपने यह क्यों तय कर रखा है कि फूल बने तब ही कन्सट्रक्शन होगा (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : होना तो यह चाहिए, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सड़क, नाली, गली, बिजली, कोई व्यवस्था कहीं मुझे देखने को राजस्थान भर में नहीं मिलती।

(4.00 म. प.)

अच्छा तो यह रहे कि आप विभागीय

(श्रीमती उज्जला अरोड़ा)

तौर पर इन नगर परिषदों को इन कामों के लिये, सार्वजनिक निर्माण के कामों के लिये कुछ पैसा उपलब्ध कराने की बात करती तो वह तो समझ में आती और वह तो आपने किया नहीं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए, गलत काम किये जाने के लिए आप समयावधि बढ़ाने की बात कर रही हैं, मुझे जचती नहीं।

श्री हरिकुमार औदिच्य (रामगंज मण्डी): उपाध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदया ने बिल में कई संशोधन लाकर के, बड़े क्रान्तिकारी और ऐतिहासिक परिवर्तन की बात कही है। उसके साथ ही अभी विपक्ष के माननीय नेता ने कई सुझाव दिये हैं और यह नगरपालिकाओं की दृष्टि से हम कितने ही प्रकार के संशोधन ले आयें लेकिन जहाँ तक उनके संसाधन हैं और आय को किस प्रकार बढ़ाया जाये उस पर ध्यान दिये बिना यह सब पंगु रहेंगे। मंत्री महोदया ने आश्वासन दिया कि संसाधनों को जुटाने के लिए माननीय सदस्यों से तथा जनता के अन्य लोगों से और जो वहाँ पर दूसरी संस्थाएँ हैं उनसे यह सुझाव माँग रही हैं। मैं इस पर एक बात कहना चाहता हूँ, संसाधन जुटाने के लिये, आय जुटाने के लिये तो बड़ी लम्बी प्रक्रिया आपने बता दी लेकिन आज की तारीख में अधिकांश नगरपालिकाओं के अन्दर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स और कमिश्नर्स बैठे हुये हैं उनके जो बेकार के वाहियात खर्चे हैं उन खर्चों के ऊपर तो आप रोक लगा सकती हो। मैं 2-4 उदाहरण दूँ कोटा नगरपालिका में म्युनिसिपल सर्विसेज का कमिश्नर है, दो कमिश्नर हैं उन दोनों के पास कारें हैं अब यह कौनसा आपका उसूल है कि एक नगरपालिका में दोनों कमिश्नरों के पास कारें हैं, वह करते क्या हैं? उनकी कारों के ऊपर कोई रोक नहीं। वह अपने बीबी, बच्चों को छोड़ने के लिये चाहे जयपुर आयें, चाहें अलवर जाये, चाहे भरतपुर जाए वह तो स्वायत्त शासी संस्था के स्वायत्त शासी अफसर बनकर बैठे हैं। सरकार का उनके ऊपर कोई नियन्त्रण नहीं है। उनके टेलिफोन के खर्चे हजारों रुपये के होते हैं। आप कल्पना कीजिए आपका म्युनिसिपल कमिश्नर, उसके तो घर में दो कारें हैं और डी. जे. के घर में एक घोड़ा भी नहीं है, उसको अगर मौका देखने जाने की जरूरत हो तो गाड़ी मांगे, कलक्टर की मर्जी हो तो देगा। यह कौनसी विसंगति है? उनके टेलिफोनों का हजारों का खर्चा है और आर. डबल ओ. के घर में टेलिफोन भी नहीं है जो बहुत बड़ा अधिकारी माना जाता है। दूसरा हमारे एम. एल. एज. के 15 हजार से ज्यादा का फर्नीचर नहीं मिलेगा, शायद मंत्री महोदय का फर्नीचर भी तय कर रखा है, उनके फर्नीचर का कोई तय नहीं एक एडमिनिस्ट्रेटर जायेगा उसकी मर्जी होगी डेढ़ लाख का फर्नीचर खरीदेगा, बंगले को रिन्युएट करने के लिए दो लाख रुपया खर्च कर देगा लेकिन सरकार का उनके ऊपर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। पहले जब नगरपालिका का चुना हुआ चेयरमैन जयपुर आता था तो उसे कलक्टर से परमिशन लेनी पड़ती थी, अब वह दिन में दो बार आये, कोटा से चलकर जयपुर में चाय पीये, जयपुर से चाय पीकर कोटा में खाना खायें, आपका उनके ऊपर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। आप संसाधन जुटाने की लम्बी प्रक्रिया बता

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

रही हैं लेकिन इस प्रकार के खर्चे तो आप उनके रोक सकते हैं।

इसके साथ-साथ नगरपालिका का मुख्य मुद्दा सफाई का है, आज कितने शहरों में सफाई होती है ? सफाई कर्मचारी, सफाई इन्सपैक्टर, सफाई का सिपाही न तो अपनी वर्दी पहनता है। एक बार एक एडमिनिस्ट्रेटर और इन्सपैक्टर दोनों मौका देखने चले गये तो मौहल्ले के लोग एडमिनिस्ट्रेटर को इन्सपैक्टर कह रहे थे। उनको पैसा सब मिलता है, लेकिन आपकी तरफ़ कोई नियन्त्रण नहीं है।

अब एनक्रोचमेंट की सारी बीमारी, वह तो आपने फैला दी, जिन्होंने एक बार एनक्रोचमेंट कर दिया उनको रेगुलराइज कर देंगे। आज नगर आपका ही मन बैरी हो तो बात अलग है लेकिन कोटा में रामपुरा के बीच में आप चाहें दुकान का थड़ा, दस फुट आगे बढ़ा लें, म्युनिसिपैलिटी की वहाँ, किसी के प्रति उनकी अकाउण्टेबिलिटी ही नहीं है, उनको किसी की चिन्ता ही नहीं है मीटिंग में जायेंगे एक दिन, जो कहेंगे सुन लेंगे। या तो मीटिंग में आयेंगे ही नहीं इस प्रकार की चर्चा होगी तो। तो आखिरकार इन कर्मचारियों के ऊपर, जो अधिकारी आपके ऊपर बैठे हैं उनके ऊपर कोई रोक तो लगाइये। एक क्रम जरूर उन्होंने ले रखा है, सफाई की चिन्ता नहीं है, रोशनी की चिन्ता नहीं है, पानी की चिन्ता नहीं है लेकिन कोई नेता जायेगा, कोई मिनिस्टर जायेगा तो उसका स्वागत सत्कार करेंगे। दो हजार रुपये लगाकर चम्बल गार्डन में पार्टी कर देंगे, उनके लिये स्वागत द्वार बना देंगे लेकिन जनता के बारे में तो उनकी कोई जवाबदारी ही नहीं है, इसकी भी आप व्यवस्था करने जा रही हैं क्या ?

कोटा में करोड़ों रुपये आपने सिवरेज लाइन के लिए खर्च किया और दस साल हो गये वह सिवरेज लाइन आज तक वैसी की वैसी बनी हुई है। आखिरकार नगरपालिकाओं के अन्दर आप क्रान्तिकारी परिवर्तन ला रही है, ऐतिहासिक परिवर्तन ला रही हैं लेकिन नगरपालिकाओं के अन्दर जो कर्मचारी आपने बैठा रखे हैं, भर्ती का ले लीजिए मर्जी आये किसी कांग्रेस नेता ने जाकर कह दिया 25 भंगी भर्ती कर लिये और उनके काम का आप देखो मुश्किल मुश्किल से तीन घण्टे भी काम नहीं करते। जनता सड़ती रहे। अभी सांगानेर से आने वाली माननीय सदस्या बता रही थी कि कुत्तों के ऊपर कोई रोक नहीं है, किसी भी मौहल्ले में चले जाओ, कुत्ते पकड़ने का तो सिस्टम ही बन्द हो गया, कुत्ते नहीं पकड़े जाते हैं चाहे फिर आपको काट ही लें तो आप 14 इंजेक्शन जाकर अस्पताल में लगाते रहो लेकिन उसके बचाव के लिए सरकार की, नगरपालिकाओं की कोई जवाबदारी नहीं।

मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि अपने जो बड़े-बड़े हाथी नगरपालिकाओं में बैठा रखे हैं, अब वह किसी के रिश्तेदार हों, किसी के भाई हो, किसी के भतीजे हो, यह तो मैं नहीं कहता लेकिन कम से कम उनके कार्य-कलापों को आप देखिये। नगरपालिका का लाखों

(श्री हरिकुमार औदिच्य)

रूपया वह अपनी मर्जी के हिसाब से खर्च करते हैं। न आप कुछ कह पाती हैं, न दूसरा कोई कुछ कह पाता है उनकी किसी प्रकार की जवाबदारी नहीं है। मेरा निवेदन है कि आप उनके इन खर्चों के ऊपर तो रोक लगाइये। आप संसाधन नहीं जुटा पा रही हैं लेकिन जो नगरपालिका का पैसा, अगर कोई चुंगी चोरी करता है तो 11 गुने चुंगी लेने का प्रावधान है, वह दो हजार रूपये खाकर के दुगुनी, तिगुनी में ही फैसला कर लेता है तो आखिर इस प्रकार की बातों के ऊपर कोई चैक करेंगी ? अगर नहीं करेंगी तो नगरपालिका का आप इलाज करती जाइये मर्ज बढ़ता ही रहेगा।

मेरा निवेदन करना यह है कि आप कम से कम इन खर्चों के ऊपर जो अव्यवहारिक खर्चे हैं इन खर्चों के ऊपर तो आप रोक लगाइये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री सी. पी. जोशी।

श्री सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी विपक्ष के माननीय सदस्य और विपक्ष के नेता जन समस्याओं के निदान के सम्बन्ध में नगरपालिका की व्यवस्था की गड़बड़ी के सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकर्षित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री राजीव गांधी एक बिल के रूप में इस समस्या को जनता के बीच में लाना चाहते थे और जनता ने उसको रिजेक्ट किया हमें इस बात को स्वीकार करते हुए कोई तकलीफ नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि गवर्नेंस का जो कान्सेप्ट है वह कान्सेप्ट आज की डेट में इर्रेलेवेंट हो गया तो हमारे देश के प्रधानमन्त्री और हमारे पार्टी के नेता ने इस समस्या को आइडेंटीफाई किया और इस बात को माना कि इस देश में जनता की समस्या का निराकरण करने के लिये नगरपालिका और नगर निगम की व्यवस्था को सुधारा नहीं गया तो गवर्नेंस का हमारा कन्सेप्ट है उसमें लोगों का विश्वास डगमगा जायेगा। आज लोकतन्त्र में लोकसभा का चुनाव हो, विधान सभा का चुनाव हो या नगरपालिका का चुनाव हो, मुद्दे एक ही हैं। आप किसी वार्ड के चुनाव में जाये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर में तो वहाँ भी नगरपालिकाएँ बल्ब नहीं लगा रही हैं, ट्यूबलाइटें नहीं लगा रही हैं या सफाई की व्यवस्था नहीं है तो उसका भुगतान भी विधान सभा सदस्य को करना पड़ेगा और लोकसभा सदस्य को करना पड़ेगा। इसलिए गवर्नेंस के आधारभूत चिन्तन के लिए हमारी पार्टी के नेता राजीव गांधी ने देश के सामने जिस स्थिति का वर्णन किया उसमें सुधार करने के लिये जो बिल लाये हैं, कांग्रेस पार्टी का विधायक होने के नाते मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ परन्तु मुझे दुख है जिस पार्टी के लोग विधान सभा में आज इस बिल की बात कर रहे हैं उस पार्टी के लोगों ने राज्य सभा में इस बिल को पास होने नहीं दिया, उनके मन में यह कल्पना नहीं थी कि पावर टू पब्लिक जनता को हम पावर दें या नहीं दें। इस सम्बन्ध में उनकी पार्टी का नीति निर्धारण क्या है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने राज्य सभा में इस बिल को फेल करवा दिया फेल करवाने का मत-

(श्री सी. पी. जोशी)

लब आज यह नहीं चाहते नगरपालिका के संसाधन बढ़ें। माननीय विपक्ष के नेता कह रहे थे कि राज्य सभा राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण होगा इसलिए हमने इसका विरोध किया, मैं माननीय विपक्ष के नेता से पूछना चाहता हूँ कि इस बिल के अमेण्डमेंट करने से राज्यों की स्वायत्ता का क्या हनन हो रहा है? राज्यों की स्वायत्ता का नारा देकर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस समय भी लोगों के सामने यह कहा गया कि हम जनता के बीच में दखल नहीं देना चाहते, आज विधान सभा में माननीय विपक्ष के नेता अगर मुख्यमंत्री बन जाये पर कोटा की जो समस्या माननीय हरि जी ने बताई उस समस्या का निदान आज के एक्ट के अन्तर्गत नहीं हो सकता, जो समस्या माननीय हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने बताई उस समस्या का निदान एक्ट के अन्दर नहीं आ सकता....

मुख्य मंत्री बदलने से, कानून की व्यवस्था बदलने से जनतान्त्रिक व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हो सकता। जनतान्त्रिक व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए सबसे छोटी इकाई, खास तौर से शहरों में नगर पालिका और नगर निगम में आधारभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आज मंत्री महोदय जो बिल लाये हैं वह बिल बड़े लिमिटेड स्कोप का बिल है। मैं चाहता हूँ कि इस बिल को काम्प्रीहैंसिव बिल के रूप में लाया जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आर्थिक संसाधनों के सम्बन्ध में भी हमें चिन्तन और मनन करना पड़ेगा, कि हम किस तरह की व्यवस्था करना चाहते हैं। एक उदाहरण देना चाहता हूँ, अभी राजस्थान में कुछ जगह आई. यू. डी. पी. की स्कीम लागू है। आई. यू. डी. पी. की स्कीम को इम्प्लीमैण्ट कौन कर रहा है? आई. यू. डी. पी. की स्कीम इम्प्लीमैण्ट कर रहे हैं पी. डब्ल्यू. डी., पी. एच. ई. डी. और आर. एस. ई. बी.। आज भी आपके नियम हैं कि 10 पर्सेण्ट चार्जेज इन विभागों को दिये जायेंगे। क्या आज 40 साल के बाद भी यह व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि आई. यू. डी. पी. में जो पैसा हमको मिल रहा है वह लोन का पैसा मिल रहा है? इस लोन के पैसे के इम्प्लीमैण्टेशन पर आपको 10 पर्सेण्ट चार्जेज पी. डब्ल्यू. डी. को देना पड़ेगा, 10 पर्सेण्ट आर. एस. ई. बी. को देना पड़ेगा और 10 पर्सेण्ट पी. एच. ई. डी. को देना पड़ेगा। किस बात के लिए? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुपरविजन चार्जेज के लिए। पी. डब्ल्यू. डी. का एक एक्स. ई. एन. वहां पर बैठकर नगर पालिका का काम नहीं कर सकता? इसका मतलब यह कि नगर परिषद् की आपकी व्यवस्था में एक्ट में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। नगर परिषद् के चेयरमैन के अन्तर्गत वहां पर एक्स. ईएन. होना चाहिए पी. डब्ल्यू. डी. का, पी. एच. ई. डी. का, आर. एस. ई. बी. का। छोटी नगर पालिकाओं में ए. ई. एन. हो, जे. ई. एन. हो लेकिन बड़ी परिषदें हो तो आपको इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आपके एडमिनिस्ट्रेशन की को-टर्मिनल इकाई राजस्थान की विधान सभा का जयपुर

(श्री सी. पी. जोशी)

कार्यालय को नहीं होना पड़ेगा। छोटी-छोटी नगर पालिकाओं के कार्यालय, नगर निगम के आफिस के अन्तर्गत आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा खड़ा करना पड़ेगा, जिस ढांचे के अन्तर्गत आप इन आधारभूत सुविधाओं का लाभ लोगों को दिला सकें। हम 18 साल के लोगों को वोट का अधिकार दे दें, या महिलाओं को 30 पर्सेण्ट रिजर्वेशन दे दें, या वार्डो का डी-लिमिटेशन कर दें, इससे नगर पालिकाओं की समस्याओं का निदान होने वाला नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो डिबेट हमारी पार्टी के नेता राजीव गांधी ने जनता के सामने रखी, उस डिबेट को आगे बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि आप इस बिल के साथ काम्प्रीहेंसिव बिल लायें। भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो कल सत्ता में आने की कल्पना करते हैं, जनता के सामने जाकर बतायें कि इसमें आमूलचूल परिवर्तन क्या करने पड़ेंगे। आमूलचूल परिवर्तन आपके गर्वनेंस में करने पड़ेंगे। आज स्थिति क्या बनी हुई है? पी. डब्ल्यू. डी. का एक्स. ईएन. विभाग के अन्दर तो एक्स. ईएन. बना हुआ है लेकिन लोकल सैल्फ के अन्दर डैपुटेशन पर आकर एस. ई. बना हुआ है। 30 साल के अन्दर जो भी आदमी लोकल सैल्फ के अन्दर, चाहे यू. आई. टी. में या किसी और में, उनसे जूनियर लेबल का आदमी पैरेंटल डिपार्टमेण्ट में आज भी एक्स. ईएन. बना हुआ है और आपके मेन डिपार्टमेण्ट में एस. ई. बना हुआ है। आप ने क्या व्यवस्था कर रखी है? या तो आप सीधी व्यवस्था कर दीजिए कि लोकल सैल्फ गवर्नमेण्ट पैरेलल गवर्नमेण्ट होगी। तभी व्यवस्था ठीक हो सकेगी या लोकल सैल्फ गर्वनेंस टोटल स्टेट गर्वनेंस का पार्ट होगी तब भी व्यवस्था ठीक हो जायेगी। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? बिल तो पास कर रहे हैं कि हम चुनाव करायेंगे। बिल तो पास कर रहे हैं कि हम 18 साल के लोगों को वोट का अधिकार दे रहे हैं, और फैसला क्या कर रहे हैं हम, कि 15 अगस्त तक जो लोग जहां काबिज हैं उनको रैगुलराइज कर देंगे। या तो एक्ट में प्रोविजन कर दें कि जो लोग सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, एग्रीकल्चर जमीन पर मकान बना रहे हैं उनके मकानों को हम रैगुलराइज कर देंगे। हमारे एक्ट में यह प्रोविजन नहीं है। हम एडमनिस्ट्रेटिव आर्डर लगाते हैं, चाहे जनता पार्टी का राज हो चाहे कांग्रेस पार्टी का राज हो। जनता पार्टी के नेता भी, जो आज जयपुर में बैठे हुए है, मांग करते हैं कि डवलपमैण्ट चार्जेज बहुत ज्यादा हैं, डवलपमैण्ट चार्जेज कम कर दिये जाय। डवलपमैण्ट चार्जेज कम कर दें, जमीनों को रेगुलराइज कर दें और फिर गर्वनेंस की हम आशा करें कि जनता ठीक ढंग से काम करे, हमें अपने मन को टटोलना पड़ेगा, माननीय मंत्री महोदय, कि हम किस तरह से व्यवस्था करना चाहते हैं। जो व्यवस्था हम करना चाह रहे हैं वह व्यवस्था लोकतान्त्रिक पद्धति के लिए एक प्रश्नचिन्ह के रूप में खड़ी हो जायेगी। इसलिए हमको फैसला करना पड़ेगा, म्यूनिसिपैलिटी के अन्दर नियम बनाने पड़ेंगे, एक्ट में परिवर्तन करना पड़ेगा। आज मकान बनाने के लिए लोग परमीशन लेकर भी जाय तो आप का एक्ट कहता है कि पहले हम

(श्री सी. पी. जोशी)
आक्शन करेंगे जमीन, आक्शन के बिना आपको प्लाट नहीं मिल सकता, मकान कंस्ट्रक्ट नहीं करा सकते हैं। लेकिन इर्रेगुलर आप मकान बनाते हैं, कलेक्टिव इर्रेगुलर मकान बनाते हैं तो कच्ची बस्ती के रूप में आप उसको रेगुलराइज कर देंगे। प्रभावशाली आदमी है तो कोर्ट से स्टे लाकर स्टेटस को मेण्टेन कर लेंगे। छत तक यदि आप का मकान बन जाय तो आपका मकान गिर नहीं सकता। माननीय मंत्री महोदय, यह जो पंचेज में हम काम करना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि हमारी इमरजेंसी को बीड-आउट करे, यह सारी व्यवस्थाएँ लोकतान्त्रिक पद्धति के लिए ठीक नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जिस बिल का आधार हम बनाना चाहते हैं राजीव गांधी की डिबेट को, यदि उसकी मंशा को हमें पूरा करना है तो राजस्थान सरकार को काम्प्रीहेंसिव बिल लाना पड़ेगा। काम्प्रीहेंसिव बिल लाने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि हम रिसोर्सेज को किस तरह से डिवोल्यूट करना चाहते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि आज टोटल स्टेट की 60 पर्सेण्ट नगर पालिकाएँ केवल वेजेज का पेमेण्ट कर रही हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 20–30–50 पर्सेण्ट हमको इनवेस्टमैण्ट करना पड़ेगा सिटी में रहने वाली पब्लिक की नीड्स को कैटर करने के लिए हम सिटी की पब्लिक की नीड्स का कैटर क्या करना चाहते हैं? जो डवलपिंग टाउन है वहां आज स्कूल खुलें तो स्कूल की जमीन का कोई प्रोविजन नहीं, अस्पताल खुलें तो अस्पताल की जमीन का प्रोविजन नहीं। कोई स्कूल आप खुलवा दें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप अजमेर के रहने वाले हैं। अपने विधान सभा क्षेत्र में आप एक मिडिल स्कूल को सैकण्डरी स्कूल में करवा लीजिए। वह सैकण्डरी स्कूल उसी 25 साल पुरानी जर्जर बिल्डिंग में काम करेगी। हमने यह एण्टिसिपेट नहीं किया कि डवलपिंग टाउन के अन्दर स्कूल के भवन के लिए जमीन कहां होगी, बस स्टैण्ड के लिए जमीन कहां होगी, तांगा स्टैण्ड के लिए जमीन कहां होगी, टैक्सी स्टैण्ड के लिए जमीन क्या होगी। इस सम्बन्ध में नगर पालिका कानून में हमने कोई व्यवस्था नहीं की। जो बिल आप लाये है उस बिल की महत्ता को तभी हम जस्टिफाई कर पायेंगे यदि हम उसके पीछे जो मंशा है उसको आधारभूत रूप में हम इसके साथ इनबाल्व करें और इण्टरलिंक करें।

एक बात और कहना चाहता हूं। दोहरी व्यवस्था कर रखी है हमने यू. आई. टीज. और म्युनिसिपैलिटीज की। इसके सम्बन्ध में भी सोचने की आवश्यकता है। हमने व्यवस्था कर ली कि देहली डवलपमैण्ट अथोरिटी है वैसा जे. डी. ए. जयपुर में भी बनेगा। जयपुर की अथोरिटी का मैण्टल आउटलुक जयपुर के डवलपमैण्ट का नहीं है। जयपुर के पिछले 30–40 साल के इतिहास में आप देखेंगे कि 30–40 साल में एक पैरेलल जयपुर बसाया है उन लोगों ने, जिन लोगों ने स्टेट की रेवेन्यू में कोई कण्ट्रीब्यूट नहीं किया। जिन लोगों ने डवलपमैण्ट के लिए कोई काम नहीं किया। आज स्थिति यह बन गयी है कि कोई भी पार्टी का नेता यह एफोर्ड नहीं कर सकता कि जयपुर के अन्दर डवलपमैण्ट चार्जेज 50 रुपये लगेंगे। यदि माननीय मुख्य मंत्री जी 45 रुपये करेंगे तो भवरलालजी शर्मा 15

(श्री सी. पी. जोशी)

रुपये करने के लिए तैयार हैं, वोट हमको मिलने चाहिये। इससे जयपुर का विकास नहीं हो सकेगा। हमें फैसला करना पड़ेगा कि यह जे. डी. ए., जयपुर के डवलपमैण्ट के लिए रेलेवैण्ट है या नहीं, यह यू. आई. टी. हमारे लिए रेलेवेण्ट है या नहीं, जिस नगर परिषद और नगर निगम की हम बात कर रहे हैं वह हमारे लिए रेलेवैण्ट है या नहीं है। यदि इस सम्बन्ध में हमने चिन्तन और मनन नहीं किया और पापुलेशन के आधार पर फैसला कर लिया, माननीय मंत्री महोदय, कि 5 लाख की जनसंख्या पर नगर निगम बनायेंगे या एक लाख की जनसंख्या पर नगर परिषद् बनायेंगे, यह न्याय नहीं होगा। आप वहां पर और ह्वाइट एलीफैण्ट पैदा करने की स्थिति पैदा कर देंगे, नम्बर ऑफ आफिसर्स और बढ़ जायेंगे, उनको लाइबिलिटी बढ़ जायेगी, लेकिन पब्लिक यूटिलिटी पर हम कितना इन्वेस्टमैण्ट कर रहे हैं उस सम्बन्ध में हम सोच नहीं पायेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक फार्मूला हमें यह भी बनाना पड़ेगा कि पब्लिक यूटिलिटी के लिए हम कितना इन्वेस्टमैण्ट करें और एस्टेब्लिशमैण्ट पर कितना करें। आज नगर पालिका या लोकल सैल्फ की जितनी भी गवर्ननेस बाड़ी हैं, उनमें 80 से 90 प्रतिशत इन्वेस्टमैण्ट केवल एस्टेब्लिशमैण्ट पर हो रहा है, और पब्लिक की नीड्स को कैटर करने के लिए हम 10 पर्सेण्ट इन्वेस्टमैण्ट कर रहे हैं। इस तरह की व्यवस्था आने वाले समय में लोगों का विश्वास लोकतन्त्र से डिगा देंगी। इसलिए, माननीय मंत्री महोदय आप जो यह बिल के साथ सदन को यह विश्वास दिलायें, यदि हम वास्तव में जनता की समस्याओं का निराकरण करना चाहते हैं, जनता का विश्वास लोकतन्त्र में स्थापित करना चाहते हैं और जनता इसके माध्यम से अपनी समस्याओं का निराकरण कर सके, छोटे इश्यूज पर नेशनल इश्यूज का फैसला नहीं कर पाये, तो हमें अपने कानून में आमूलचूल परिवर्तन करने की नितान्त आवश्यकता है।

एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहता हूँ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टेक्नालाजी का एक्सपांशन हो गया है। आज गांव-गांव के अन्दर टी. वी. दिखाने के लिए डिस्क की व्यवस्था कर दी गई है। उन डिस्क पर जो लोगों के कनेक्शन हुए हैं वह सब टेलीफोन की लाइन के ऊपर होकर जा रही हैं। आज हम लोगों को एण्टरटेनमैंट देना चाहते हैं लेकिन क्या नगर पालिका ने इस प्रकार की है? आज लोग 20 हजार 15 हजार की डिस्क ले आये और ये लोगों को कनेक्शन दे रहे हैं। टेलीफोन की लाइन पर कनेक्शन जा रहे हैं और लोगों से प्राइवेट चार्ट कर रहे हैं। आपके एण्टरटेनमेंट कानून में क्या परिवर्तन हो, इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं की। टेक्नालाजी के एक्सपांशन के साथ-साथ जो प्राब्लम्स क्रीएट होती हैं, उसके सम्बन्ध में भी हमें चिन्तन और मनन की आवश्यकता है।

अन्त में एक बात कहना चाहता हूँ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसे-जैसे लोगों की हैसियत बढ़ रही है, जैसे लोग व्हीकल्स

(श्री सी. पी. जोशी)

भी ले रहे हैं। कोई आदमी पहले टू व्हीकर-व्हीकल रखता हैं, आज फोर व्हीलर्स ज्यादा हो गये। फोर व्हीलर व्हीकल की पार्किंग के लिए व्यक्ति के पास जगह नहीं है, आप खुद के पास जगह नहीं है। तो नगर पालिका की व्यवस्था के सम्बन्ध में हम क्या चिन्तन-मनन करना चाहते हैं। आने वाली समस्याओं को एण्टिसिपेट करके हमने कानून में परिवर्तन नहीं किया तो जौहरी बाजार में रहने वाले एक आदमी को अपनी कार को खड़ा करना पड़ेगा 10 किलोमीटर दूर। कोई उसे चोरी कर ले जायेगा, उसकी व्यवस्था भी आपको करनी पड़ेगी। भविष्य में जो समस्याएं पैदा होने वाली हैं उनके लिए व्यवस्था जयपुर में नहीं करें, लेकिन जो डवलपिग टाउन हैं। उनमें कुछ न कुछ निश्चित तौर पर चाहिए।

अन्त में एक बात उदाहरण के रूप में कहकर अपनी बात खतम करना चाहिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगली आठवीं और नवीं योजना में दो टाउन राजस्थान में डवलप होंगे—एक का नाम है कोटा और दूसरे का नाम है चित्तौड़। दो टाउन अगले दस साल में सबसे इम्पोर्टेण्ट टाउन राजस्थान में डवलप होने वाले हैं। मैं आपको चैलेंज देना चाहती हूँ यदि ये दो टाउन भी ठीक, व्यवस्थित ढंग से डवलप हो सकें, इसके सम्बन्ध में हम चिन्तन और मनन करें। अगले दस साल में कम से कम 10 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे कोटा के अन्दर चाहे आज वहां पर सीमेण्ट का प्लाण्ट लग रहा हो, चाहे गैस के आधार पर फर्टिलाइजर का प्लाण्ट लग रहा हो, चाहे और कोई व्यवस्था हो। चाहे चित्तौड़ के अन्दर सुपर स्मैल्टर लग रहा हो, 800 करोड़ रुपये का, उस टाउन का डवलपमैण्ट अगले डीफेंड में होने वाला है उस टाउन का ठीक ढंग से डवलपमैण्ट हो सके, इसके सम्बन्ध में कानून और नियम बनाकर हम लोगों के सामने आदर्श स्थापित कर सकें, तो लोग विश्वास करेंगे कि लोकतान्त्रिक पद्धति में भी किसी टाऊन का विकास हो सकता है। नहीं तो एम. आई. रोड, विद्याधर नगर, वह इतिहास के पन्ने हो जायेंगे और 40 साल के बाद लोग भूल जायेंगे कि व्यवस्था के अन्दर भी हम किसी टाउन का डवलपमैण्ट कर सकते हैं। यह जिम्मेदारी, मंत्री महोदय, आपके ऊपर है मुझे विश्वास है कि आप काम्प्रीहैसिव बिल लायेंगे। आपका यह बिल शायद इनीशियेशन हो उस डाइरेक्शन में, लेकिन इस बिल को आगे बढ़ा कर इन सब चीजों के बारे में चिन्तन और मनन करें। रिसोर्सेज के बारे में जब तक आप पूरा कंसप्ट क्लीयर नहीं करेंगे, कि कितना पैसा स्टेट के पास हो, कितना पैसा लोकल सैल्फ के पास हो, तब तक जनता की समस्या का ठीक ढंग से निराकरण नहीं हो पायेगा। इस सम्बन्ध में भी हमें कोई निर्णय करने की आवश्यकता है। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री नवरंग सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की समस्यायें हैं इसलिये कहना चाहता हूँ....

सुश्री पुष्पा जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी बोलना चाहती हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : अब लेट आयी हैं न आप। अब आप रिपीटिशन कर रही हैं।

(व्यवधान)

माननीय नवरंगसिंहजी बैठें आप।

श्री नवरंग सिंह : कल भी जबाव नहीं मिला था। कल मेरी समस्या को टाल दिया....

श्री उपाध्यक्ष : कल वाली का जवाब दे देंगे।

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या, श्रीमती विद्याजी ने एक बात तो यह कही कि बिल में जो आप बातें लेकर आयी है वह प्रस्ताव तो बहुत अच्छे है लेकिन अभी आप क्यों लायी यह नीयत खराब है। मैंने नीयत के बाबत में तो पहले भी कहा कि इसमें कहीं कोई नीयत की, मजबूरी की बात नहीं है। यह एक अहसास जो हुआ कि हमें अपने प्रजातन्त्र के लिये क्या आधारभूत बनाना है वह पूर्व प्रधान मंत्रीजी की प्रेरणा से लोक सभा में आया और उसी के सन्दर्भ में हमने उसको यहां पर अडाप्ट किया। यह कहना कि प्रस्ताव तो आपके अच्छे हैं लेकिन सही समय पर नहीं लाये हैं। इसके लिये मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूं क्योंकि जहां तक विपक्ष के माननीय नेता महोदय का सवाल है, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि आपकी इस बात को जनता ने सराहा ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं किया, इसकी दाद ही नहीं दी लेकिन मैं तो यह कह रही हूँ कि उस वक्त जिन लोगों ने इसको नाकामयाब किया वह आज खुले सभा के अन्दर आज इसको दाद दे रहे हैं कि प्रस्ताव आपके बहुत अच्छे हैं, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ इसके लिये और दूसरी बात यह है कि आप........इसको इस समय क्यों लाये ?

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय मंत्री महोदया, फेक्टस को ठीक करिये मैने यह कहा है कि यह प्रस्ताव—They could wait. Priorities should have been fixed. There are other more important matters.

श्रीमती कमला : मैं आपकी बात अलग से बताऊंगी।

श्रीमती विद्या पाठक : फिर आप वह कहिये।

श्रीमती कमला : फिर आपने यह कहा कि इस समय क्यों लाये ? उसके लिए मैं अपने कहना चाहती हूं कि....

श्रीमती विद्या पाठक : चुनाव करवा देते तो अच्छा था बजाय इसके कि हम इसको और अवाइड करें उसकी बजाय चुनाव होते तो अच्छा था।

श्रीमती कमला : कोई अच्छा कदम किसी वक्त भी ध्यान में आ जाय और उसको कर लें तो वह अच्छा ही रहेगा,

(श्रीमती कमला)

समय के कारण से वह बुरा नहीं हो सकता यह भी आपने दाद दी। इसके साथ में मैं, यह भी कहना चाहती हूँ कि हमारे यहां तो यह है कि "शुभस्य शीघ्रम" इसलिये आप कहते हैं कि अब नहीं लाते तो बाद में ले आते, चुनाव कराने के बाद में ले आते। तो मैं कहती हूं कि जब कोई शुभ काम है और आप मान ही रही हैं और हम ले आये हैं तो इसको पास करने में रोका क्यों है?

श्रीमती विद्या पाठक : चुनाव कराना ज्यादा प्रैक्टिकली इम्पोर्टेण्ट था। शुभ को तो क्या देखेंगे पहले प्रैक्टिकल को तो देखें।

श्रीमती कमला : प्रैक्टिकल भी उसी के जुड़ेंगे यह पहले भी मैंने आपसे कहा। दूसरा आपने तीन-चार मुद्दे ऐसे उठाये जो मैं आवश्यक रूप से देखूंगी और उसमें कहीं गलती हैं तो उसको सुधारेंगे। पहला आपने यह कहा कि जो ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं उनकी अनुपालना समय पर प्राप्त नहीं होती है। और यह आम तौर पर सभी विभागों में इस तरह को एक— (व्यवधान)

क्या कहना चाहती हैं?

श्रीमती विद्या पाठक : रिकार्ड्स ही नहीं हैं, एक्शन कहां से लेंगे आप? वसूली कहां से करेंगे आप?

श्रीमती कमला : कहां से कागज कहां गया यह तो मैं नहीं कह सकती, कौन से कागज के लिये आप कह रहे हैं लेकिन जो ऑडिट रिपोर्ट्स आई हुई हैं उनकी अनुपालना भी सख्ती के साथ समय पर होती रहे तो मैं समझती हूँ कि ऐसे बहुत से गलत काम, अनियमित काम और जिनको हम भ्रष्ट भी कहते हैं वह काम भी लोग करने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन आम तौर पर विभागों में ऑडिट रिपोर्ट आ जाने के बाद भी कितने ही समय तक उनकी अनुपालना, क्रियान्वित नहीं हो पाती है इसके बारे में जितना टाइम बाउण्ड प्रोग्राम और सख्ती हम कर सकेंगे उसकी जरूरी से चेष्टा करेंगे। दो बातें आपने कही हैं जिनको मैं तत्परता से निराकरण करूंगी। एक तो आपने जो बताया वह सचमुच में शोचनीय बात है अगर एक वकील जो कि नगर पालिका का भी वकील है और नगर पालिका के खिलाफ जो हैं उसका भी वकील है तो यह तो बहुत ही आश्चर्यजनक स्थिति है इसको तुरन्त बदला जायेगा।

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : मंत्री महोदया, सम्भवतया छोटे स्थानों पर वकील नहीं मिलते होंगे तो वह दोनों जगह का काम करते होंगे?

श्रीमती कमला : हां, कुछ न कुछ बात तो है ही जो आप असेस कर पा रहे हैं और मैं नहीं कर पा रही हूं।

दूसरा आपने कहा कि महिला चिकित्सालय के पास में सब्जी मण्डी बनाने से काफी इन्फेक्शन्स वगैराह होते हैं। यह सही बात है कि महिला चिकित्सालय के आसपास में सब्जी मण्डी होने से, इस तरह का नया कदम इन्होंने उठाया है उनको हम दूसरी जगह स्थानान्तरित कर सकते हैं उसको जल्दी से जल्दी देखेंगे।

(श्रीमती कमला)

इसके अलावा डॉ. उजला आरोड़ा जी ने कहा कि अग्नि सेवा के जो कर्मचारी हैं उनके सेवा नियम नहीं हैं, महिलाओं की पदोन्नति नहीं होती है, सड़क, नली-गली के निर्माण के लिये राशि नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है। और अधिक कुछ हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि अधिकारियों के खर्चे पर नियन्त्रण किया जाना चाहिये। यह जो सारी बातें आपने कहीं हैं। यह व्यवस्था विकास और सफाई से सम्बन्धित जो मुद्दे हैं उनको जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया, उनको हम देखने लग गये हैं और उनकी व्यवस्था के लिये सख्ती से प्रबन्ध करें इसका भी कुछ प्रावधान कर रहे हैं। और किस प्रकार से किस कमी को....

श्री हरिशंकर भामड़ा : मंत्री महोदया, अपना घर तो देखिये मालविया नगर में जहाँ आपका मकान है।

श्रीमती कमला : मेरा अलग नहीं है, मैं भी उसी जनता में शामिल हूँ जिसको कष्ट है। इसलिये मैं कष्टों से परे नहीं हूं क्योंकि मुझे पता है कि वहां पर बिजली की भी दिक्कत है, सड़क की भी दिक्कत है, पानी की भयानक दिक्कत है तो जानते हैं हम उस बात को। इसलिये यह तो सही है कि सारे शहर की या नगर की....

श्री हरिशंकर भामड़ा : अभी पिछले 15 अगस्त के पहले के कब्जों को नियमित करने की घोषणा की है उसको लेकर पिछले 7–8 दिन से मालविया नगर में जगतपुरा रोड पर सैंकड़ों प्लाटों पर कब्जे हो रहे हैं, बल्कि हजारों में एक इंच जगह नहीं छोड़ी है आप जाकर देखिये।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : होने दो।

श्रीमती कमला : माननीय सदस्य यह बात सही है कि मौजूद नगर पालिकायें है चाहे पुरानी नगर पालिकायें हैं चाहे उनकी एक्स्टेंशन्स की स्कीम्स है उनमें नल का, बिजली का, सफाई का, सड़कों का, या आम रख-रखाव का जो स्तर है वह सही नहीं है और उसकी व्यवस्था भी सही नहीं है और उसको मौजूदा हालात में कितना जल्दी से जल्दी हम सुधार करके और किस तरह से लोगों को राहत दे सकें इसकी हम चेष्टा में लगे हुए हैं। कितना कारगर ढंग से कितना कर पायेंगे यह तो मैं अभी कहने की स्थिति में नहीं हूँ।

इसके अलावा माननीय सदस्य जोशीजी ने कहा वह बात सही है कि हमें जो मुख्य मुद्दे हैं, जिनमें से कुछ पहले भी आये हैं, चुंगी की दरें हैं उनकी यूनिफार्मिलटी है, विकास कार्यों की व्यवस्था है, सारा एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है, उसके सन्दर्भ में विकास का अनुपातिक खर्चा है या जो आवासीय व्यवस्थायें हैं। जो आज आप चिन्ता कर रहे हैं वह हम भी कर रहे हैं कि रेगुलराइज नहीं करते हैं तो लोग दुःख पाते हैं और रेगुलराइजेशन की तारीखों का करते हैं तो उन तारीखों में अनाप-शनाप फिर अतिक्रमण होते हैं और जो हमारी काउन्सिल है या जो यू. आई. टीज. है और प्राधिकरण है वह तत्परता से अपनी। योजनायें बनाकर लोगों

(श्रीमती कमला)

को बहुत सरल तरीके से, बहुत बड़े पैमाने पर, लोगों को आवासीय व्यवस्था से राहत दिला सकें यह चूंकि नहीं हो पा रहा है। उधर जो गृह निर्माण सहकारी समितियां बनी हैं उनके ऊपर यह पाबन्दी नहीं होने से कि वह लैण्ड्स के अन्दर डीलिंग्स नहीं करेंगी, सिर्फ जो लैण्ड्स अलॉट हो चुकी है उन पर निर्माण के लिये वह मदद करेंगी यह लागू नहीं होगा तब तक जहां भी यू. आई. टी. पैर रखेगी या प्राधिकरण वहीं उनको सोसाइटी का काम हुआ नजर आयेगा। चाहे वह 50 किलोमीटर हो चाहे 100 किलोमीटर हो। इसलिये कई ऐसे फैक्ट्स हैं जो....

श्री भंवरलाल शर्मा : यह एक सूचना दें आप कि यह 15 अगस्त के लिये जो आपने घोषणा की है, 15 अगस्त, 1989 से पहले जिनके मकान बन गये उनके मकान तोड़े नहीं जायेंगे। इसकी कोई भी आपने जांच की है। 15 अगस्त से पहले कितने मकान बन चुके थे, ऐसा कोई रेकार्ड है क्या सरकार के पास? है या नहीं आपके पास इतना बता दीजिये।

श्रीमती कमला : वह जो कुछ भी है, सारी बस्तियों का रिकॉर्ड है। जयपुर के अन्दर, दूसरे शहरों के अन्दर किस-किस पीरियड में कहाँ-कहां, कितने-कितने अतिक्रमण हुये हैं, कितनी बस्तियां नयी बसी हैं ..

श्री भंवरलाल शर्मा : यह रिकॉर्ड हैं आपके पास।

श्रीमती कमला : और क्या नियमितता और अनियमिततायें हैं....सब मालूम है।....

श्री भंवरलाल शर्मा : यह रिकॉर्ड है आपके पास ?

श्रीमती कमला : जी, हाँ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने 1981 में कब्जे कराये फिर 1985 में कब्जे कराये....

श्रीमती कमला : हमने कब्जे नहीं कराये हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपने कहा था कि 85 तक के सर्वे करा लेंगे और अब 89 के सर्वे पर आ गयीं। चार-चार बार यू आई. टी. म्युनिसिपेलिटी ने फार्म दे दिये। उनके पैसे ले लिये। कोई सर्वे नहीं, कोई आपके पास रिकार्ड नहीं है।

श्रीमती कमला : सर्वे हो चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : उजला जी आप जब बोल रही थीं तो कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, एक भी कच्ची बस्ती आपने व्यवस्थित ढंग से नहीं बसायी 1971 के कब्जे आपने अब तक नहीं दिये और आप क्या करने जा रहे हैं ?

श्रीमती कमला : आप विराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप अब तक के कब्जों को आज ही दे देना चाहते हो।

श्रीमती कमला : मैं आपको जवाब कैसे दूं आप नहीं बिराज रही जब तक ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपका अमला तो बहुत है, दिक्कत क्या है, देते नहीं हैं। विरूपता पैदा करने की मंशा है।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या को बहुत सी बातें मालूम होते हुए भी शायद कहने के लिए कह जाती हैं। 1971 की सर्वे, 81 की सर्वे लगभग पूरी हो चुकी है और राजस्थान भर में....

(व्यवधान)

आप बीच में नहीं बोलेंगी, बाद में बोल लीजिएगा।

राजस्थान भर का जो 71 और 81 का सर्वे हुआ है उसके हिसाब से राजस्थान भर....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने तो यह कहा आपसे कि 71 के सर्वे के पट्टे ही नहीं दिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : उजला जी, कापरेट प्लीज।

(व्यवधान)

श्रीमती कमला : मैं बता रही हूं, सुन ही नहीं रही हैं आप जवाब तो पूरा करने दीजिए।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप जिनके सर्वे हो चुके हैं उनको पट्टे क्यों नहीं देते।

श्रीमती कमला : आप जवाब नहीं सुनना चाह रही हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपके पास जवाब है ही नहीं।

श्रीमती कमला : है कैसे नहीं। दे रही हू।

आप सुनिए मैं जवाब दे रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1989 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक पारित किया गया।

माननीय दामोदर जी आचार्य

विधेयक पर विचार

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था विधेयक 1986

श्री दामोदरदास आचार्य (शिक्षा मंत्री) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था विधे-

(श्री दामोदरदास आचार्य)

यक, 1986 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : एनीबडी टू स्पीक।

प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था विधेयक, 1986 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

पारित करने के लिए प्रस्ताव

विधेयक का पारण

श्री दामोदरदास आचार्य : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था विधेयक, 1986 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : नन टू स्पीक ?

श्री दामोदरदास आचार्य : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक बहुत दिनों से लम्बित था हम सभी चाहते थे कि शैक्षणिक जो गैर-सरकारी संस्थायें हैं उनमें जिस प्रकार का शोषण अभिभावकों एवं अध्यापकों का हो रहा था उसे रोका जाय निश्चित तौर से इस पर काफी दिनों से मनन किया जा रहा था, प्रवर समिति ने भी इस पर विचार किया, कुछ इसमें अमेंडमेंडस भी आये और उनको इन-कारपोरेट करके यह विधेयक के रूप में आपके सामने लाया गया लेकिन अभी भी इसमें बहुत खामियां हैं और वे खामियां अभी भी उन संस्थाओं के सम्बन्ध में हैं जिन्हें हमने मान्यता दे रखी है लेकिन जिनको हम अनुदान नहीं देते। ऐसी भी संस्थायें हैं जो कि मान्यता प्राप्त नहीं हैं फिर भी शैक्षणिक कार्य कर रही हैं उनके सम्बन्ध में भी हमें निश्चित तौर से विचार करना पड़ेगा। मेरा आपसे इस सम्बन्ध में निवेदन है कि इसको पारित करने के बाद में सभी यहां पर जो हमारी पार्टी के लोग हैं और शिक्षाविद् हैं उनके साथ बैठकर इन खामियों को पूरा किया जाए, यह मेरा आपसे अनुरोध है। और मैं चाहूंगा कि इस बिल को पास किया जाए विधेयक के रूप में।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था विधेयक, 1986 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था विधेयक, 1986 को पारित किया गया।

शासकीय संकल्प

राजस्थान विद्युत मण्डल द्वारा यथा परिकल्पित ऋण लेने की उच्चतर अधिकतम राशि का नियमन

श्री हीरालाल देवपुरा (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित संकल्प

(श्री हीरालाल देवपुरा)

प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन मण्डल द्वारा किसी भी समय विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 54) की धारा 65 की उप धारा (तीन) के अधीन यथा परिकल्पित ऋण लेने की उच्चतर अधिकतम राशि एक हजार करोड़ रुपये नियत करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन करता है।"

श्री उपाध्यक्ष : एनीबडी टू स्पीक। नोबडी।

प्रश्न यह है कि यह सदन मण्डल द्वारा किसी भी समय विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948, (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 54) की धारा 65 की उपधारा तीन के अधीन यथा परिकल्पित ऋण लेने की उच्चतर अधिकतम राशि एक हजार करोड़ रुपये नियत करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन करता है।"

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

सदन की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 22 जनवरी, 1990 के मध्याह्न पूर्व 11·00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही अपराह्न 4·37 बजे सोमवार, दिनांक 22 जनवरी, 1990 के पूर्वाह्न 11·00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

123

शुद्धि-पत्र

क्रम सं.	स्कम्भ सं.	पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
1.	2	5	श्री हरिशकर	श्री हरिशंकर
2.	7	16	श्री भैरूलाल	श्री भैरूलाल
3.	9	5	श्री मानिक द सुराना	श्री मानिक चन्द सुराना
4.	10	13	श्री मानिक दन्द सुराना	श्री मानिक चन्द सुराना
5.	94	फोलियो	विशेस	विशेष
6.	97	फोलियों	नियम 295 के अन्तर्गत	नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख
7.	121	1	[1]	[121]
8.	129	फोलियो	विधेयक	विधेयक पर
9.	133	1	3]	133]
10.	191	फोलियो	1 सम्बर	दिसम्बर,
11.	221	2	श्री मी. पी. जोशी	श्री सी. पी. जोशी
12.	223	2	जेन	जैन
13.	226	19	(हवाहल)	(हवामहल)